लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

Fifteenth Session

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 26 जुलाई, 1966/ 4 श्रावण, 1888 (शक)

No. 2, Tuesday, July 26, 1966/Sravana 4, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **Oral Answers to Questions**

तारांकित प्रश्न संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	**Subject**	**पृष्ठ/Pages**
31.	प्रधान मंत्री का अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	Tour of Famine areas by the Prime Minister	**4-7**
32.	'पी' फार्म के बिना एयर इण्डिया द्वारा टिकटों का दिया जाना	Issue of tickets by Air India without 'P' Forms	**7-11**
33.	शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज का योगदान	Role of Panchayati Raj in Education	**11-14**
34.	खाद्यान्न को लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on movement of Food grains	**14-17**

प्रश्नों के लिखित उत्तर — **Written Answers to Questions**

35.	हल्दिया पतन	Haldia Port	**17**
36.	खाद्यान्न को संग्रह कर रखने की क्षमता	Storage capacity of Foodgrains	**18**
37.	खाद्य तेलों की कमी	Shortage of Edible Oils	
38.	पंजाब में गेहूँ के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Wheat in Punjab	**18-19**
39.	खाद्य स्थिति	Food Position	**19-20**
40.	दिल्ली में राशन के गेहूँ का भाव	Price of rationed wheat in Delhi	**19-20**
41.	खरीफ और रबी की फसलों में अनाज का उत्पादन	Food Production during Kharif and Rabi Seasons	**20-21**
42.	पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति	Food Position in West Bengal	**21**
43.	प्रबन्ध अभिकरण (मैनेजिंग एजेन्सी) जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Managing Agency Euquiry Committee	**21**
44.	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	**22**
45.	कृषि सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम	Package Programme for Agriculture	**22**

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicate that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
46. केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund	23
47. सूखा ग्रस्त राज्यों की स्थिति	Position of Drought Affected States	23-24
48. विदेशों से खाद्यान्न की सहायता	Foreign Assistance of Foodgrains	24-25
49. घटिया किस्म के चावल के भाव में वृद्धि	Increase in price of coarse rice	25
50. फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme	25-26
51. परिवहन व्यय	Cost of Transport	26-27
51. भारतीय खाद्य निगम के कार्य	Functions of Food Corporation of India	27
53. राज सहायता दत्त (सबसीडाइज्ड) मूल्य पर उर्वरकों का संभरण	Supply of fertilisers at subsidised prices	27-28
54. मंगलौर बन्दरगाह	Mangalore Port	28
55. कृषि के विकास के लिये रूस से सहायता	Aid from USSR for Development of Agriculture	28-29
56. आम चुनाव	General Election	29
57. चीनी के कारखानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Sugar Plants	29-30
58. राज्यों में बीज फार्म	Seed Farms in States	30
59. सहकारी क्षेत्र में उर्वरक का कारखाना	Fertiliser Factory in Cooperative Sector	30-31
60. संघ राज्य क्षेत्रों में कृषकों की ऋणग्रस्तता	Agricultural Indebtedness in Union Territories	31
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
99. सहकारी सरकारी क्षेत्र में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Cooperative Public Sector	
100. खजूर की खेती	Oil Palm Cultivation	31
101. अमरीका के मछली उद्योग विशेषज्ञों की केरल की यात्रा	Visit of U. S. Fishing Experts to Kerala	31-32
102. काजुओं से बनाये गये खाद्य पदार्थ	Foodstuffs out of Cashew Fruits	32
103. अपमिश्रित चावल की बिक्री	Sale of Adulterated Rice	32-33
104. धान की फसल को हानि	Damage to Paddy Crops	33
105. पश्चिमी घाट सड़क	West Coast Road	33-34
106. केरल के कोजीकोड जिले में सड़क सम्बन्धी कार्य	Road Works in Kozhikode District, Kerala	34
107. कोचीन पत्तन पर तिरोंदा (फ्लोटिंग) क्रेन	Floating Crane at Cochin Port	34-35

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
108	केरल में चिकन ड्रेसिंग फार्म	Chicken Dressing Farm in Kerala	35
109.	कोजीकोड में हवाई अड्डा	Aerodrome at Kozhikode	35
101.	नई दिल्ली-बहादुरगढ़ बस सेवा	New Delhi-Bahadurgarh Bus Service	36
111.	पत्तन न्यासों में युद्ध सेवा उम्मीदवार	War Service Candidates in Port Trusts	36
112.	मुजफ्फरपुर और पटना जिलों के विधान मण्डलीय निर्वाचन-क्षेत्रों का क्षेत्रफल	Area of Assembly Constituencies of Muzaffarpur and Patna Districts	36-37
113.	बिहार के पूर्णिया जिले में ट्रैक्टरों का बेकार पड़े रहना	Tractors Lying Idle in Purnea District, Bihar	37
114.	प्रति एकड़ उपज	Yield per acre	33
115.	कलकत्ता आसाम जल मार्ग	Calcutta Assam Water Route	38
116.	बम्बई लन्दन विमान सेवा	Bombay London Air Service	38-39
117.	दाने तथा चारे के बीजों की नई किस्में	New Varieties of Feed and Fodder Seeds	39
118.	चावल का मूल्य	Price of Rice	39-49
119.	मोटर गाड़ियां तथा मोटर तेल की खपत	Vehicles and Fuel Consumption	40
120.	बम्बई बन्दरगाह के ड्रेजर चालकों द्वारा हड़ताल	Strike by Dredger Drivers of Bombay Harbour	40-41
121.	दिल्ली में खेती की जाने वाली भूमि	Land under Cultivation in Delhi	41
122.	बकरी का दूध	Goat Milk	41-42
123.	मुसलमानों में बहु विवाह की प्रथा	Polygamy among Muslims	42
124.	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	42-43
126.	हल्दिया पत्तन	Haldia Port	43
128.	खाद्य के अभाव में मृत्यु	Deaths due to Food Scarcity	44-45
129.	दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्यकरण की जांच	Enquiry into Working of D. T. U.	45
130.	पश्चिम घाट सड़क	West Coast Road	45-46
131.	खेती के औजारों सम्बन्धी समिति	Committee on Agricultural Implements	46
132.	उड़ीसा में दुर्भिक्ष और सूखा की स्थिति	Famine and Drought Conditions in Orissa	46-47
133.	वन विशेषज्ञों सम्बन्धी विश्व बैंक मिशन की केरल यात्रा	Visit of World Bank Mission of Forest Experts to Kerala	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. Q. Nos.		
134. एकाधिकार (मोनोपलीज) जांच आयोग	Monopolies Enquiry Commission	47-48
135. भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	48
136. कोचीन हवाई अड्डा	Cochin Airport	48-49
137. उत्तर प्रदेश में भू-बन्धक (लैण्ड मौर्टगेज) बैंकों को सहायता	Assistance to Land Mortgage Banks in U. P.	49-50
138. उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि	Cultivable Land in U. P.	50-51
139. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर	Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar	51
140. खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित सहकारी कृषि सम्बन्धी गोष्ठी (सेमिनार)	Co-operation Farming Seminar Organised by F. A. O.	51-52
141 राजस्थान नहर में नौवहन की सुविधाएं	Navigation Facilities in Rajasthan Canal	52
142. उत्तर प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies in Uttar Pradesh	52
143. गन्ने की फसल	Sugarcane Crop	53
144. पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres	53
145. उत्तर प्रदेश में सहकारी आधार पर चीनी की मिलें	Sugarcane Mills on Cooperative Basis in Uttar Pradesh	53-54
146 चीनी का उत्पादन	Sugar Production	54-55
147. राजस्थान में भूमिगत जल की खोज	Search for Under-ground Water in Rajasthan	55
148. सूखा और दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सहायता	Assistance by Private Associations in Drought and Famine Areas	55
149. बनिहाल दर्रे के निकट फोक्कर फ्रैंडशिप विमान दुर्घटना की जांच	Enquiry into Crash of Fokker Friendship near Bahihal Pass	56
150. गैमन इंडिया लिमिटेड	Gammon India Limited	56
151. चुनाव सम्बन्धी खर्च	Election Expenses	56-57
152. कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य	Price of Agricultural Commodities	57-58
153. राज्यों द्वारा गेहूँ का समाहार	Procurement of Wheat by States	53
154. बहुलता वाले राज्यों से चावल का समाहार	Rice Procurement for Surplus States	58-59
155. फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme	59

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
156.	उत्पादक तथा गैर-उत्पादक-प्रयोजनों के लिये उपलब्ध ऋण	Credit Available for Productive and Non-Productive purposes	59-60
517.	भारत-पाकिस्तान के बीच विमान सेवाएं	Indo-Pak. Air Services	60
158.	1966 के लिये अनाज की आवश्यकता का अनुमान	Estimated Food Requirements for 1966	60-61
159.	महाराष्ट्र में बीज फार्म	Seed farm in Maharashtra	61
160.	केरल भूमि उपयोगकरण आदेश	Kerala Land Utilization Order	62
161.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से अनाज की सप्लाई	Foodgrains from U. S. A. under P. L. 480	62-63
162.	कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Aerodrome	63
163.	बिहार में चीनी का उत्पादन	Sugar Production in Bihar	63-64
164.	रूस के सहयोग से केन्द्रीय कृषि फार्म	Central Agricultural Farms with Russian Collaboration	64
165.	उड़ीसा में चीनी की मिलें	Sugar Factories in Orissa	64-65
166.	अमरीकी खाद्य परिष्करण उद्योग	American Food Processing Industry	65
167.	राष्ट्रीय सड़क बोर्ड	National Road Board	65-66
168.	केरल में भारत-अमरीकी मत्स्य-पालन निगम	Indo-U. S. Fisheries Corporation in Kerala	66
169.	राष्ट्रीय सहकारी बैंक	National Cooperative Bank	66
170.	विमान का किराया	Air Fares	67
171.	सुपरफास्फेट का कारखाने से निकलते समय का मूल्य	Ex-Factory Price of Superphosphate	67-68
172.	बन्दरगाहों की अनाज लादने और उतारने की क्षमता	Capacity of Ports to Handle Food Grains	68-69
173.	राज्यों में बीज निगम	Seeds Corporations in States	69
174.	पशुओं की गणना	Live Stock Census	69-70
175.	दिल्ली में आलू के लिये शीतागार (कोल्ड स्टोरेज)	Cold Storages for Potatoes in Delhi	70
176.	पँजाब में सहकारी आन्दोलन	Cooperative Movement in Punjab	70-71
177.	पंजाब में सूखे की स्थिति	Drought Conditions in Punjab	71-72
178.	राज्यों द्वारा संकर (हाइब्रिड) बीज के सम्बन्ध में प्रशिक्षण	States training in hybrid seed	72

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
179. मिजो पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न का अभाव	Food Scarcity in Mizo Hill Areas	72
180. चाटा में सहकारी चीनी कारखाना	Cooperative Sugar Factory at Chata	72
181. नलकूपों का उपयोग में लाया जाना	Utilisation of Tube-wells	73
183. अधिनियमों का अनुवाद	Translation of Acts	73
184. खाद्यान्न लाने वाले जहाज 'सुरेटे' से माल न उतारने के कारण विलम्ब शुल्क	Demurrage for Unloading Food-ship "Suretc"	74
185. अमरीका से आयातित खाद्यान्न	Imported Foodgrains from U. S. A.	74
186. रासायनिक पदार्थों से लदे जहाजों में आग लगने के बारे में जांच	Enquiry into Fire in vessels carrying Chemicals	75
187. सुपारी का व्यापार	Trade of Arecanut	75-76
188. भूमिहीन श्रमिकों का पुनर्वास	Resettlement of Landless labour	76
189. देश में सूखे की स्थिति	Drought Conditions in the Country	76-77
190. कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति	Vice-Chancellors of Agricultural Universities	77
191. डकोटा विमान सेवा	Dakota Service	77
192. सहकारी क्षेत्र में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Cooperative Sector	77
193. ब्रिटेन में नाविकों (सीमैन) की हड़ताल	Seamen's Strike in U. K.	78
194. पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां	Powers under Panchyati Raj Act	78
195. अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक भूमि की सिंचाई	New Land under Irrigation to step up Food Production	78-79
196. मिट्टी हटाने की भारी मशीनों को चलाने का प्रशिक्षण	Training to operate Heavy Earth Moving Equipment	79
197. मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायता	Assistance to Central Cooperative Banks in Madhya Pradesh	79-30
198 केरल में चावल का दाम	Price of Rice in Kerala	80
199. आसाम को जाने वाली पार्श्व (लेटरल) सड़क	Lateral Road to Assam	80-81
200. ताईचुंग धान फसल	Taichung Paddy Crop	81
201. खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains	81-82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. No.		
202. मद्रास बन्दरगाह में बैलों से चलने वाले ट्रक	Bullock-Drawn Trucks at Madras Port	82
203. तूतीकोरिन बन्दरगाह	Tuticorin Port	83
204. प्रबन्ध अभिकरणों (मैनेजिंग एजेन्सीज) की अवधि बढ़ाना	Extension to Managing Agencies	83
205. उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in U. P.	83-84
206. गंगा पर पुल	Bridge over Ganga	84
208. वनस्पति बनाने के लिये लाइसेंस देने की पद्धति	Licencing System for Vanaspati	84
209. परादीप पत्तन	Paradeep Port	84-85
210. पोर्ट ब्लेयर के साथ विमान द्वारा सम्पर्क	Air Link to Port Blair	85
211. केरल में कानूनी सहायता निधि (लीगल बैनीफिट फंड	Legal Benefit Fund in Kerala	85-86
212. धान की खेती	Paddy Cultivation	86
213. चावल का मूल्य	Price of Rice	86-87
214. बन्दरगाहों पर चोरियां	Thefts at Ports	87-88
215. मणिपुर में अभाव की स्थिति	Scarcity conditions in Manipur	88
216. इम्फाल-कचार सड़क	Imphal Cachar Road	88-89
217. किसानों को सहायता	Aid to Farmers	89
218. त्रिपुरा को खाद्यान्न का सम्भरण	Supply of Foodgrains to Tripura	89-90
219. देहरादून में दुग्धशाला	Milk Dairy at Dehra Dun	90
220. अत्यावश्यक वस्तुओं के लिये सुपर बाजार	Super Market for Essential Commodities	90-91
221. पश्चिमी घाट का पर्यटन की दृष्टि से विकास	Development of West Coast for Tourism	91
222. गुलबर्ग तथा खिल्लनमर्ग के बीच रज्जु-मार्ग (रोपवे) द्वारा सम्पर्क स्थापित करना	Ropeways to link Gulmarg with Khillanmarg	91-92
223. नर्मदा पर पुल	Bridge over Narmada	90
224. मंगलौर बन्दरगाह परियोजना	Mangalore Harbour Project	92-93
225. खाद्यान्न का अभाव	Scarcity of Foodgrains	93
226. कृषि के तरीकों को नया रूप देना (रिओरियेंटेशन)	Reorientation of Agriculture	93-94

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.		
227. उड़ीसा के लिये चीनी का नियतन	Allotment of Sugar to Orissa	94-95
228. चावल और धान के मूल्य	Price of Rice and Paddy	95
229. नलकूपों का छिद्रण	Drilling of Tube-wells	96
231. चीनी के कारखानों के लिये लाइसेंस	Licences for Sugar Factories	96-97
232. जम्मू–श्रीनगर सर्व ऋतु (आल वेदर) सड़क	Jammu Srinagar All weather Road	96
233. दक्षिण भारत में चीनी उद्योग	Sugar Industry in Southern India	96-97
234. त्रिपुरा को चावल का संभरण	Rice Supply to Tripura	97
235. त्रिपुरा में भारी मोटर गाड़ियाँ चलाने के लिये लाइसेंस	Driving Licences for Heavy Vehicles in Tripura	97
236. संकर फसल की खेती	Cultivation of Hybrid Crop	97-98
237. मिनया बे बन्दरगाह	Minya Bay Port	98-99
238. नये कारखानों के लिये लाइसेंस	Licences for New Factories	99
239. धान का न्यूनतम मूल्य	Minimum Prices of Paddy	99-100
240 कृषि के लिये, बीज, उर्वरक आदि का संभरण	Supply of Agricultural Inputs	100
241. केरल को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Kerala	100
242. राज्यों को गेहूँ का संभरण	Supply of Wheat to States	100-101
243. चीनी का उत्पादन	Production of Sugar	101
244. राजधानी को मछलियों की सप्लाई	Supply of Fish for Capital	101-102
245. अनाज की उपलब्धता	Availability of Foodgrains	102
247. वर्धा, सेवाग्राम का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Wardha Sevagram as a Tourist Centre	
248. मैसूर में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Mysore	102-103
249. मैसूर में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य	Relief Works in Famine Areas in Mysore	103
250. जम्मू के गोदामों में गेहूँ का सड़ना	Rotting of Wheat in Jammu Godowns	104
251. पश्चिमी बंगाल को चावल की सप्लाई	Rice Supply to West Bengal	104
252. कोर्टल्लम में 'केरल हाउस' को पर्यटक केन्द्र बनाया जाना	Kerala House in Courtallam as a Tourist Centre	104-105

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. No.		
253. गैर सरकारी क्षेत्र में होटल	Hotels in Private Sector	105
254. पंजाब में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Punjab	105-106
255. सूरतगढ़ फार्म	Suratgarh Farm	106
256. अधिक उत्पादन करने वाले बीज	High Yielding Seeds	106-107
257. चौथी योजना में होटलों का निर्माण	Construction of Hotels during Fourth Plan	107
258. उर्वरकों का प्रयोग	Use of Fertilisers	107-108
259. सेतुसमुद्रम परियोजना	Sethusamudram Project	108-109
260. दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	109
261. अनाज उत्पादन कार्यक्रम	Programme for Food Production	109-110
263. काश्मीर में घटिया किस्म का गेहूँ दिया जाना	Supply of Inferior Quality Wheat in Kashmir	110
264. भारी ट्रैक्टरों का आयात	Import of Heavy Tractors	110-111
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Query)	111
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	112-116
श्री हरि विष्णु कामत द्वारा 13 मई, 1966 को प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege raised by Shri Kamath on 13. 5. 66, against P. T. I.	116-117
हाल में हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में	Re. Recent Railway Accidents	117
सभा में शिष्टता आदि के बारे में	Re. Decorum of the House etc.	117-120
देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Present Economic Situation in the country	120-136
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri	
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M Trivedi	
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi	
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
श्री कृ० चं० पन्त	Shri K. C. Pant	
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharya	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
48 वां प्रतिवेदन	Forty-eight Report	136
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	136-138
राज्यों की समाहार उद्ग्रहण योजनाओं के बारे में	Re. Procurement Levy Schemes of States	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री गोविन्द मैनन	Shri Govinda Menon	

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 26, जुलाई 1966 / 4 श्रावण, 1888 (शक)
Tuesday, July 26, 1966 / Sravana, 4, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*.]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री स० वें० रामस्वामी के निधन की, जिनका 25 जुलाई, 1966 को 61 वर्ष की आयु में मद्रास में स्वर्गवास हुआ, सूचना देनी है।

श्री रामस्वामी मद्रास के सैलम-निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे। वह पहली और दूसरी लोक-सभा के भी सदस्य रहे थे। वह अनेक वर्षों तक लोक-लेखा समिति के भी सदस्य रहे तथा उन्होंने अन्य कई संसदीय समितियों में भी काम किया। वह सभा की तथा समितियों की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे। वह 1958 से 1964 तक रेलवे उपमंत्री तथा 1964 से जनवरी, 1966 तक वाणिज्य उपमंत्री रहे।

हमें इस बात का गहरा दुःख है कि हम एक मित्र खो बैठे हैं और मुझे आशा है कि संतप्त परिवार के प्रति समवेदना व्यक्त करने में सभा मुझे अपना सहयोग देगी।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : कल चौधरी हैदर हुसैन का, जो पहली लोक-सभा के भी सदस्य थे, स्वर्गवास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह हमें अभी मालूम हुआ है। हम कल निधन सम्बन्धी उल्लेख करेंगे।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, श्री स० वें० रामस्वामी के दुःखद तथा असामयिक निधन का समाचार सुनकर हमें बड़ा धक्का लगा है, और गहरा दुःख हुआ है। वह सभा के सभी वर्गों में लोक-प्रिय थे। उन्होंने एक पारंगत शैक्षणिक पृष्ठ भूमि से सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया था और सामाजिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में शीघ्र ख्याति प्राप्त की थी। उनसे कई शैक्षणिक तथा कल्याण संस्थाएं और अस्पताल

सम्बन्धित हैं। क्षय रोग का उन्मूलन करने तथा रोगियों के लिये अधिक अच्छी चिकित्साओं की व्यवस्था करने के लिये उन्होंने जो कार्य किया है उसे दक्षिण में विशेषकर सैलम जिला में, जिसका वह संसद में प्रतिनिधित्व करते थे, स्मरण रखा जायेगा। वह एक बड़े लोक-हितैषी थे। दक्षिण में कई महत्वपूर्ण संस्थायें उनकी लोकोपकारिता से लाभांवित थीं। वह कुछ समय के लिये कांग्रेस दल के सचिव और रेलवे मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री भी रहे थे। एक साथी के रूप में मैं उनको श्रद्धाँजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। आशा है कि सभा मुझे आप से यह निवेदन करने में सहयोग देगी कि आप इस दुःखद निधन पर संतप्त परिवार के सदस्यों तक इस सभा के मनोभाव पहुँचायें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : अपने मित्र तथा साथी, श्री स० वें० रामस्वामी के स्वर्गवास होने का समाचार सुनकर हमें बहुत धक्का लगा है। मैं उन्हें पहली संसद के दिनों से जानता हूं और यद्यपि इस सभा में उनसे कभी कभी, विशेषकर उन दिनों में जब वह अन्य पक्ष के एक साधारण सदस्य थे, खेंचातानी हुआ करती थी, तथापि हमने उन्हें सदा विनम्र तथा मददगार पाया और उनका यही चरित्र उनके स्वर्गवास होने तक बना रहा। वह बहुत विनम्र तथा सुशील थे।

अपनी तथा अपने दल की ओर से मैं अपने आप को इस दुःख में सम्मिलित करता हूँ जो संतप्त परिवार को हुआ है और मैं व्यक्त किये गये उन मनोभावों से सहमत हूँ जो संतप्त परिवार के सदस्यों तक पहुँचाये जाने हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अपने मित्र और साथी, श्री स० वें० रामस्वामी के दुःखद निधन का आज प्रातः समाचार सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। वह कुछ समय से अस्वस्थ थे। एक साधारण सदस्य के रूप में तथा लोक-लेखा समिति के, जिसमें हमने मिलकर कार्य किया था, एक सदस्य के रूप में पहली संसद के दिनों से मैं उन्हें जानता हूँ। वह स्वभाव से बड़े खुश-मिजाज थे और जब वह उपमन्त्री बने तब भी उन्होंने अपनी विनम्रता शिष्टाचार तथा अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ा। उनके निधन से हम एक अच्छे संसदविज्ञ तथा एक प्रिय मित्र को खो बैठे हैं। सभा के नेता द्वारा व्यक्त किए गए मनोभावों में मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूँ और महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी तथा मेरे दल की ओर से हमारे इन भावों को संतप्त परिवार तक पहुँचायें।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्री स० वें० रामस्वामी के दुःखद निधन के समाचार से हमें बहुत धक्का लगा है। मैं उनके पिता जी को भी जानता था, वह उन दिनों में एक बड़े देश भक्त थे जब एक देशभक्त होना बहुत खतरनाक होता था। उनके पिता, श्री वेंकटाचलम चेट्टियार ने, जो सैलम में एक अग्रणीय वकील थे, राष्ट्रीय आन्दोलन में राष्ट्रीय नेताओं से सहयोग किया था और मेरे विचार में वह कुछ समय के लिए विधायक भी रहे थे। अतः मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब उनके सुपुत्र ने संसद में तथा तमिलनाड में सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त की थी। जो कोई भी उनके सम्पर्क में आता था वह उनके प्रिय हो जाते थे। उनकी पत्नी भी एक बड़ी धार्मिक महिला हैं। मेरे विचार में उनकी कोई संतान नहीं है। असहाय बच्चों के लिये उन दोनों में बड़ा प्रेम था। ऐसे निःसहाय बच्चों के लाभ के लिए उन्होंने दिल्ली में एक संस्था स्थापित करने के लिये प्रयत्न किया। राजनीतिज्ञ होने के अतिरिक्त वे दोनों बड़े सामा-

जिक कार्यकर्त्ता थे और हम उन्हें बहुत पसन्द किया करते थे जब वह रेलवे उपमन्त्री थे। हम में से कुछ सदस्य जब कभी उनसे कुछ गर्म हो जाते थे, जैसा कि आपको मालूम है, वह बड़ी सहनशीलता से पेश आते थे और उन्होंने अपना कर्त्तव्य बहुत अच्छी तरह निभाया।

उनके इस असामयिक देहावसान पर मुझे बड़ा दु:ख है। हम सब उनकी मातमपुर्सी करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उनकी पतिव्रता पत्नी से हमारी समवेदना व्यक्त करें।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): श्री स० वें० रामस्वामी के दु:खद निधन के समाचार से हमें बहुत दु:ख हुआ है। मैं उन्हें इस सभा में आने से भी पहले से जानता था। एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की है और उनके देहावसान से न केवल इस सभा के सदस्यों को ही परन्तु तमिलनाड के लोगों को हानि हुई है। सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में हुई इतनी अधिक हानि पर व्यक्त किये गये मनोभावों में मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : श्री रामस्वामी के, जो हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, असामयिक देहावसान का समाचार सुनकर हमें सबको बड़ा धक्का लगा है। पिछले वर्ष हम दोनों वेलिंगडन नर्सिंग होम में थे। श्री रामस्वामी ने उसे छोड़ दिया था और मुझे खेद है कि उनकी मृत्यु पर मातम मनाने के लिए अब वह मुझे यहां छोड़ गये हैं। वह बड़े शिष्टाचारी तथा चाल-ढाल से बड़े विनम्र थे। एक अच्छे मित्र तथा एक अच्छे संसदविज्ञ के रूप में उन्होंने हमें सबको मोह लिया था। हम उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और अपने दल की ओर से मैं सभा के नेता तथा सभा में अन्य वर्गों के नेताओं द्वारा व्यक्त किये गये मनोभावों के साथ अपने आपको सम्मिलित करता हूँ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं सभा के नेता तथा अन्य वर्गों के नेताओं द्वारा व्यक्त किये गये मनोभावों से अपने आप को सम्मिलित करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

पिछले सत्र में ही मुझे एक समिति में, जो अधिवकता अधिनियम का पुनर्विलोकन कर रही थी, उनके साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा तथा त्याग भाव से, जो उन लोगों का प्रमाण-चिह्न है जिनमें सार्वजनिक सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी होती है, अपने संसदीय तथा अन्य कार्य में एक उच्च कोटि की विनम्रता की छाप बिठाई थी। उन्होंने अपने आप को एक भद्र, सभ्य तथा अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रिय बना लिया था। आगामी दिनों में उनकी अनुपस्थिति हमें सबको खलेगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति के निधन पर गहरा दु:ख प्रकट करता हूँ जो सब के प्रिय थे।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Mr. Speaker, I saw Ramaswamy very closely when he was Deputy--Minister of Railways and found that he was habituated to do his work very constructively. He did not like show, he used to give expression what he had in his mind and then if there was any misunderstanding he used to remove that.

We were shocked to hear the news of his untimely death. On behalf of my Party, I offer my respectful homage to him.

श्री राजाराम (कृष्णगिरि) अपने दल की ओर से मैं अपने आपको श्री रामस्वामी के दु:खद निधन पर सभा के नेता तथा मेरे अन्य साथियों द्वारा व्यक्त किये गये मनो भावों में सम्मिलित करता हूँ।

श्री स० वें० रामस्वामी मेरे स्थान अर्थात सैलम के रहने वाले थे। वह एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता और एक पारंगत संसदविज्ञ थे। उन्होंने केन्द्रीय सरकार में एक उपमन्त्री के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर दिखाया था। उन्होंने अपने प्रयत्नों द्वारा धन इकट्ठा कर के सैलम में एक महिला कालेज खोला था। उनकी पत्नी भी एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्त्ता रही हैं। उनके पिता एक सुविज्ञान तथा विख्यात अधिवक्ता तथा उन दिनों में एक अच्छे स्वाधीनता संग्रामी थे।

अपने दल की ओर से संतप्त परिवार को अपनी समवेदन प्रकट करने में मैं अपने आप को अन्य वर्गों तथा दलों के नेताओं के साथ सम्मिलित करता हूँ।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. speaker, we are all very sorry to hear the sad demise of Shri Ramaswamy who was a senior Member of this house and who had cultivated a sense of public service in him. On my behalf and on the behalf of my Party, I associate myself with the sense of this sorrow.

अध्यक्ष महोदय : मैं भी अपने आपको व्यक्त किये गये सभी मनो भावों में सम्मिलित करता हूँ। हम श्री स० वें० रामस्वामी को कुछ समय से जानते थे।

मैं अब सभा से निवेदन करूँगा कि वह इस दुःख की भावना को व्यक्त करने के लिये थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहें।

इसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रधान मंत्री का अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

+

31. **श्री गुलशन :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री ने राज्यवार किन-किन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है; और

(ख) सरकार द्वारा उनकी स्थिति को सुधारने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सूखा से प्रभावित क्षेत्र जिनका मई और जून, 1966 के महीनों में प्रधान मन्त्री ने दौरा किया था, बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6462/66]

(ख) राज्य सरकारों ने इन क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सहायता कार्य चलाये हैं। इन क्षेत्रों में चलाये गये बहुत से सहायता कार्यों से वहाँ स्थायी सुधार होगा। इन कार्यों में भूमि संरक्षण, वनरोपण, छोटी और मध्यम सिंचाई, कुओं, तालाबों को गहरा करना तथा निर्माण करना और अन्य इसी प्रकार की प्रायोजनाएँ शामिल हैं। यथा समय में सम्भव साधन सुलभ होने पर इन क्षेत्रों के शीघ्र विकास के कार्यक्रम भी शुरू किये जायेंगे।

Shri Gulshan: Is it not a fact that instead of any improvement in the situation, there has been an increase in the acuteness of the food crisis, dearness and also there has been an increase in the disorder in the country due to Prime Minister's visit. As a result of devaluation and due to more profiteering by the Government itself, starvation and corruption, there has been increase in the number of agitations, hunger strikes and police excesses etc. May I know whether all these things show that the situation has improved or worsened?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): यह कोई प्रश्न नहीं है।

Mr. Speaker : This is no question.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

Shri Gulshan : It is not a faet that those people who met the Prime Minister there when she was on tour had told her that there have been starvation deaths ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें भूख के कारण मौतों का कोई समाचार नहीं मिले हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is the Government aware that the quality of wheat and rice being given to the famine-stricken areas is very low and if so, what action is being taken by Government to change that quality. I want to show a sample of **Jowar** which I have brought from a government shop.

Mr. Speaker : You please better send it to the hon. Minister and he will give a reply to that.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि अनाज खराब हो जाता है और वह मानवीय खपत के लिए उपयुक्त नहीं होता है तो हम उसे वापस ले लेते हैं। जब कभी इसको साफ करने से इसकी किस्म को सुधारना सम्भव होता है तो हम उसे सुधार कर फिर भेज देते हैं। मैं ऐसे मामलों की छान-बीन करने के लिये तैयार हूँ जिनमें ऐसा अनाज दिया जाता है जो मानवीय खपत के लिये उप-युक्त नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि उन क्षेत्रों में, जिनका प्रधान मन्त्री ने दौरा किया था, जब एक करोड़ से भी अधिक लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था, उस समय जहाजों से अनाज उतारने में देर हो जाने के कारण केवल जून के एक महीने में, और वह भी कलकत्ता बन्दरगाह पर, 10 लाख रुपए विलम्ब-शुल्क के रूप में देने पड़े थे, यह कार्य दूसरे लोगों पर छोड़ने की बजाय क्या खाद्य विभाग यह कार्य अपने आप नहीं कर सकता है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास दिये गये विलम्ब शुल्क के आँकड़े तो नहीं हैं। परन्तु मेरे विचार में जहाजों से अनाज उतारने में विशेषकर इस वर्ष काफी सुधार हुआ है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the hon. Minister be pleased to state whether the Prime Minister had met some famine-stricken people herself at the time of her visit to

famine-stricken areas or she had met only those persons who were brought by the officials themselves?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों से मिलीं।

Shri Sheo Narain : Why do the Government make discrimination in the matter of distribution of food grains between famine stricken areas and urban areas ? Why the same quality of foodgrains are not supplied to the poor at reasonable rates and why they are not given rice and wheat ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में जहाँ पर सहायता कार्य आरंभ किये गये हैं उनको शहरों की अपेक्षा अधिक राशन दिया जा रहा है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार आयात किये गये अमरीकी माइलो को मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त समझती है, और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने वास्तव में इसके वितरण के अधिकार दिये हैं या क्या सरकार को पता है कि राजस्थान के बड़े क्षेत्रों में सामान्य राशन के स्थान पर इसको मानवीय उपभोग के लिए दिया जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस माइलो की किस्म के सम्बन्ध में कुछ सन्देह पैदा हो गया है। हमने अपने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसन्धान संस्थान में इसका परीक्षण कराया था। उसने कहा है कि पौष्टिक दृष्टि से यह हमारी ज्वार से काफी अच्छा है और हम जिन विभिन्न प्रकार के ज्वार बाजरे आदि का उपयोग कर रहे हैं उनसे यह कुछ अच्छा है। इन परिस्थितियों में हम इसका वितरण कर रहे हैं।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मन्त्री ने जिन चार राज्यों का दौरा किया है उन्होंने धन तथा अन्य प्रकार की क्या क्या सहायता की माँग की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुख्य मन्त्रियों ने प्रधान मन्त्री को अभ्यावेदन दिये थे कि उनको अधिक वित्तीय सहायता और अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होगी और जहां तक संभव हो सका है ये सहायता इन राज्यों को दी गई है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों की सहायता के लिए मन्जूर किए गए तकावी ऋणों, बीज और अन्य अनुदानों का वितरण उचित रूप से किया जा रहा है और यदि सरकार को यह पता लगा है कि उड़ीसा के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में जो बीज दिया जाता है वह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और यह कि केवल 40 प्रतिशत खेती योग्य उपलब्ध भूमि में ही खेती की जायेगी क्योंकि उन काश्तकारों को तकावी ऋण नहीं दिये गये जो वास्तव में कृषि प्रयोजनों के लिए धन का उपयोग कर सकते थे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सहायता उपायों के सम्बंध में राज्यों का दौरा करने और केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन देने के लिये हमने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है और विशेष रूप से बीज और तकावी ऋण के वितरण के सम्बन्ध में हमारे पास शिकायतें आती रही हैं और इनका पता लगाने के लिये हमने एक अधिकारी भेजा है। मैं समझता हूँ कि वह अधिकारी इस मामले पर विचार करता रहा है। बीज और तकावी ऋणों की मांगों को पूरा करने के लिए उड़ीसा द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सहायता वहाँ की सरकार को उपलब्ध करा दी गई थी और मैं माननीय सदस्य के इस

अनुमान को सही नहीं समझता कि केवल 40 प्रतिशत भूमि में ही खेती की जा सकेगी। मेरी जानकारी यह है कि केवल 10 प्रतिशत भूमि में खेती करने के सम्बन्ध में कठिनाई पैदा हो रही है।

श्री त्यागी : क्या यह सच है कि इस असफलता का मुख्य कारण यह था कि पिछले 18 वर्षों में उस क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारी तीन योजनायें थीं। इन योजनाओं पर यहाँ चर्चा की गई थी। हमने कई बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनायें आरम्भ की हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वहां पर सूखा पर्याप्त सिंचाई योजनाओं को आरम्भ नहीं करने के कारण है जहाँ तक छोटे सिंचाई कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, यदि उन स्रोतों में जहाँ से उनकी पूर्ति होती है पानी नहीं आयेगा तो ये कार्यक्रम बिलकुल असफल हो जायेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : From this Statement it appears that the Prime Minister did visit the famine stricken areas. What are the reasons for her not visiting Rajasthan where 23 districts out of 26 are affected by drought and drinking water is not available ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। आखिर उनको समय मिलने की बात है। वह चार राज्यों का दौरा कर पाई हैं।

Shri M. L. Dwivedi : What is the number of starvation deaths in Madhya Pradesh and Rajasthan. Is it not a fact that people have shifted to other places from these two states. If so, the number of migrants and the steps taken to check starvation deaths ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारी जानकारी में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। जहां तक वहां से बाहर चले जाने वालों का सम्बन्ध है मेरे पास इस समय इसकी जानकारी नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : The storage conditions of State and Central Government warehouses are that the foodgrains stored there gets rotten and that rotten stock is distributed first among the people. In view of this are Government taking appropriate steps to improve the conditions ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में मैंने कुछ गोदामों का, उनकी हालत का पता लगाने के लिए दौरा किया था। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूँ कि अनाज स्टोर करने के प्लानों में काफी सुधार किया गया है और वे स्थान अब काफी संतोषजनक हैं।

'पी' फार्म के बिना एयर इण्डिया द्वारा टिकटों का दिया जाना

32. **श्री वारियर** — **डा० राममनोहर लोहिया**
श्री मधु लिमये : — **श्री ईश्वर रेड्डी** :
श्री किशन पटनायक

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री 17 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1727 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक के 'पी' फार्म के बिना ही एयर इण्डिया द्वारा टिकट दिये जाने के कथित मामले की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) जांच में दोषी पाये गये एयर इण्डिया के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) कुछ मामलों की जाँच अब पूरी हो चुकी है और कुछ मामलों की अभी तक जांच हो रही है ।

(ख) जांच के परिणामस्वरूप अब तक यह स्थापित किया गया है कि कम से कम 55 मामलों में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उचित 'पी' फार्म अनुमोदन के बगैर टिकट जारी किये गये ।

(ग) 55 मामलों में जिनमें कि टिकटों का अनियमित रूप से जारी किया जाना पाया गया है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एयर इण्डिया को तथा एयर इण्डिया के उन अधिकारियों को जो ऐसे टिकट जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं कारण बताओ नोटिस जारी किये जा रहे हैं ।

श्री वारियर : पहले भी एक बार माननीय मन्त्री ने यह जानकारी दी थी कि पिछली जांच के आधार पर कारण बताओ सूचना पहले ही दी गई थी । इस अनुचित तथा अनियमित आचरण के लिए जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया है उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के संबंध में क्या कोई उचित कार्यवाही की गई है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : दो प्रकार के मामले हमारी जानकारी में आये हैं । एक तो 'पी' फार्मों से सम्बन्धित है जिसमें जालसाजी का आरोप लगाया गया है और दूसरे वे मामले हैं जिनमें मान्य 'पी' फार्म जारी नहीं किये गये थे । पहले वाले मामलों में उससे सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है । दूसरी प्रकार के मामलों में कारण बताओ सूचनायें जारी की गई हैं और उत्तर प्राप्त हो रहे हैं । प्राप्त उत्तरों के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री वारियर : जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया है क्या उनके नाम देना लोक हित में नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : एक दो नाम बताये जा सकते हैं । क्या माननीय मन्त्री मुअत्तल अधिकारियों के नाम बता सकते हैं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : श्री पी० आर० बख्शी, स्टेशन मास्टर, बम्बई को मुअत्तल किया गया है ।

Shri Madhu Limaye : Last time I raised this question and it was replied that the Government was looking into the matter. What has happened in this case is that the Officer called for giving evidence has been permitted to resign his post by the Air India International and he has been offered a handsome job in the Rallis firm by the chairman himself. I have got a photostat Copy of the letter addressed to that Officer. This is a letter from Shri Uppal to Shri Ranga by name :---

"Kindly issue one ticket Bombay to Newyork via franfurt, for Mr. M. L. Malvani. Keep office coupons in my tray at my table for P Form regularisation on Monday. Thanks."

Even that has not been regularised. That officer has left Air India and has been given a handsome job in Rallis firm. With your permission Sir, I lay this photostat copy on the table. **Placed in the Library See No. L T-7106/66.** I also demand an independent and judicial inquiry to put an end to the malpractices in Air India. Is the hon. Minister prepared to hold a judicial enquiry into this matter ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह सच है, कि पिछली बार भी मधुलिमये ने इसकी जानकारी हमें दी थी । प्रवर्तन निदेशालय सारे मामले की जांच कर रहा है । एयर इण्डिया में नौकरी के दौरान उन्होंने जो अपराध किये हैं हम निश्चय ही उनकी जाँच करेंगे । परन्तु, यदि बाहर गैर सरकारी कम्पनियों में वह नियुक्त हो गये हैं तो मैं नहीं समझता कि सरकार कुछ कर सकती है (**व्यवधान**)।

श्री बड़े : 'पी' फार्मों से सम्बन्धित मामलों में सूचनाएं कब जारी की गई थीं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : अप्रैल, 1966 में ।

श्री हेम बरुआ : पिछले एक अवसर पर जब कि इस सभा में यह कहा गया था कि एयर इण्डिया के एक अधिकारी ने अपने पुत्रों को बिना 'पी' फार्मों के यात्रा करने की अनुमति दी थी, हमें बताया गया था कि मामले की जांच की गई थी । यह अधिकारी कौन था और इसके विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार को कितना समय और लगेगा ? उसको अब तक मुअत्तल कर दिया जाना चाहिये था । क्या उसको मुअत्तल कर दिया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : उसको मुअत्तल कर दिया गया है ।

Shri Madhu Limaye : Shri P. R. Patel has not been suspended, he has simply been transferred.

श्री चे० मु० पुनाचा : तथा कथित अपराध उसी अधिकारी ने किया है जिसका नाम मैंने अभी लिया और जो मुअत्तल है । सारा मामला वित्त मन्त्रालय के प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में आ गया है और वह इसकी पूरी तरह से जांच कर रहा है । जहां तक इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है हमारा इस जांच से सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I rise on a point of order. That Officer is not P. R. Bakhshi to whom Shri Hem Barua's question pertains; that Officer is P. R. Patel, General Mnager of Air India International. He has been transferred to some other Ministry. Gorvernment donot want to hold an inquiry. The I. C. S. rule is still going on and there has been no changein that.

Shri Onkar Lal Berwa : He has been posted to Rajasthan.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा कि एक श्री बख्शी को मुअत्तल कर दिया गया है । क्या वह वही अधिकारी है जिसके पुत्र ने बिना 'पी' फार्म के यात्रा की थी ।

श्री संजीव रेड्डी : जी हां, उनका लड़का इसमें अन्तर्ग्रस्त था और वह मुअत्तल है । और कोई जानकारी हमारे पास नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार का विचार है कि श्री पी० आर० पटेल अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि किसके पुत्र ने यात्रा की वह कहते हैं. कि वह श्री बख्शी है और श्री पटेल नहीं ।

Shri Maurya : The second type of violation of law that has been there is that Air India issued tickets to a number of persons for foreign travel without 'P' form clearances and allowed them to go. What is the number of high Government officials, big industrialists and relatives of great leaders who were allowed to go in this way ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पता लगा है कि 317 मामलों में 'पी' फार्म द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी और जांच से पता चला है कि इनमें से लगभग 90 व्यक्ति यात्रियों की छूट प्राप्त श्रेणी से सम्बन्ध रखते थे, जिनको 'पी' फार्म की आवश्यकता नहीं थी, अर्थात-कुछ सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्य - और वे सरकारी कार्य पर जा रहे थे । यह भी सिद्ध हो गया है कि उनमें से 40 या 45 ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके पास नियमित 'पी' फार्म की स्वीकृति थी । 55 मामलों में पता लगा है कि पी फार्म की स्वीकृति नहीं थी । इन मामलों में इस कथित अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध अब कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Maurya : This is not my question. Sir, my question is what is the number separately of the Government officials, big industrialists and relatives of the big people in the ruling Party among those persons who were allowed by the Air India to travel to foreign countries without obtaining 'P' form clearances ?

अध्यक्ष महोदय : 'पी' फार्म की स्वीकृति प्राप्त किये बिना यात्रा करने वाले 55 व्यक्तियों में कितने सरकारी कर्मचारी थे ।

श्री संजीव रेड्डी : यदि आप इसकी पूर्व सूचना दे दें तो मैं उनके नामों की सूची सभा पटल पर रख दूँगा ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय के कथन के अनुसार इन अनियमित कार्यों के 317 मामले हैं और इसमें 55 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं । यह आरोप लगाया जाता है कि उनमें से अधिकाँश सरकारी कर्मचारी हैं । मेरा प्रश्न यह है कि मामला काफी समय से पड़ा है । जब कि एक प्रकार की अनियमितता में 317 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं, मन्त्री के लिये यहां आकर यह कहना, कि वह जानकारी प्राप्त करेंगे और बाद में कभी सभा पटल पर सूची रखेंगे, एक आश्चर्य की बात है...

अध्यक्ष महोदय : आपने उत्तर नहीं समझा है । मन्त्री महोदय ने कहा कि 317 मामलों में कुछ 'पी' फार्म की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही जा सकते थे ।

श्री हेम बरुआ : यह नहीं । 317 मामलों में से उन्होंने 90 मामलों को उठा लिया और कहा कि 90 व्यक्ति बिना 'पी' फार्म की स्वीकृति के यात्रा कर सकते थे । 227 व्यक्ति अब भी अनियमितता के दोषी हैं । वह उनके बारे में चुप हैं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : श्रीमन्, मैंने बहुत स्पष्ट करके बता दिया कि 317 मामलों में, जिनको "बिना पी फार्म की स्वीकृति" के अन्तर्गत बताया गया है, 90 मामले ऐसे हैं जिन्हें 'पी' फार्म की छूट दे दी गई थी, 45 मामलों में नियमित 'पी' फार्म की स्वीकृति थी और 55 मामले

ऐसे थे जिनमें नियमित 'पी' फार्म की स्वीकृतियां नहीं थी। 132 मामले अब भी हैं जिनकी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है।

Shri Madhu Limaye : Sir, I rise on a point of order. He has given a wrong statement. First, he.....

Mr. Speaker : Even if it is a wrong statement, the point of Order does not arise. If it is a wrong statement, the hon. Members have other methods which they can adopt.

Dr. Ram Manohar Lohia : In view of the fact that the officers give facilities to the businessmen or Ministers and their relatives and when there is compulsion to take action against these officers, they are able to get even better jobs outside in the companies of some businessmen, do Government contemplate to take some steps to smash this conspiracy so that this association of businessmen, ministers and officers can be put an end to and some result achieved ?

श्री चे० मु० पुनाचा : चूंकि प्रवर्तन निदेशालय स्वयं इसकी जाँच कर रहा है, जाँच पूरी होने तक हम प्रतीक्षा करना चाहते हैं और वास्तविक अपराध सिद्ध हो जाने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध है प्रवर्तन निदेशालय बहुत निष्पक्ष रूप से इसकी जाँच करेगा और किसी भी परिस्थिति में किसी श्रेणी या व्यक्ति को संरक्षण देने की कोई बात नहीं होगी।

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister Shri Sanjiv Reddy just now stated that if such suspended Officer is able to get handsome job outside, what do we lose. My question realated to this. There is no reply to this. The corrupt officers get handsome jobs outside and the hon. Minister says that he has nothing to do with that.

Mr. Speaker : The Honourable Minister has said that if somebody gets a job in private Company we can not detain him. What more answer should I elicit for this now ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I would like to know whether this government is thinking is take some steps over this or whether this government wants to ruin this country ni ;his way and would adopt and continue to pursue measures of ruining it ?

Mr. Speaker : Next question, Dr. Ram Manohar Lohia.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, you may yourself think. You may at least elicit answers of the questions asked. If answers are not elicited, these Ministers will do what they please.

Mr. Speaker : Next qusetion

Dr. Ram Manohar Lohia : Question No. 33.

शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज का योगदान

\+

*33. **डा० राम मनोहर लोहिया** — **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी : — **श्री विश्वनाथ पांडेय :**

श्री किशन पटनायक — **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री मौर्य : — **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री 26 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज के योगदान के सम्बन्ध में अब अपनी सिफारिशें दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-6463/66]

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I would like to know whether the attention of the government has been drawn to the fact that the representatives of Panchayats are by and large from backward and low classes and the government servants are mostly from high classes and as a result the unbalance or breach that is caused germinates discrimination and system of education becomes faulty ? If so, what ways have been devised in this regard.

श्री शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की उक्ति से सहमत नहीं हूँ । वास्तव में, राजस्थान में एक समिति ने इस समस्या की जांच की तथा समिति को यह जानकर सन्तोष हुआ कि बेसिक शिक्षा को पंचायत समितियों को हस्तांरित करने से अध्यापकों की उपस्थिति, वेतन का नियमित तथा उचित वितरण तथा प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व के बारे में अधिक सतर्कता आदि बातों में सुधार हुआ है ।

Shri Ram Sewak Yadav : He is telling a lie. It has no relation to that.

श्री शिन्दे : किन्तु मुझे कहना है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन से है । यह अब प्राप्त हो गया है तथा इस पर शिक्षा मन्त्रालय द्वारा विचार किया जायेगा । इस विषय में केवल पंचायती राज के कार्य से ही हमारा सम्बन्ध है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Do you think that the answer of the question has been given ?

Mr. Speaker : He has said that the report has been received now and it is under consideration.

Dr. Ram Manohar Lohia : Why do you allow questions then ? These Ministers do not answer any question. At least they should give some reply.

Mr. Speaker : You may ask another question.

Dr. Ram Manohar Lohia : I am putting another question. Unnecessary work is going on. I am putting another question. You may please listen to that.

Shri M. L. Dwivedi : He will become Minister.

Dr. Ram Manohar Lohia : Will we become Ministers while you people are here ? Your period has come to an end now. Time has come, when you will be sacked.

Have certain departments of Panchayati Raj been opened with a view to provide jobs to the relatives and near and dear ones of the government officers or with a view to provide jobs for unemployed educated persons in order to remove frustration which is prevalent amongst masses ? Why have all these departments been opened ?

श्री शिन्दे : माननीय सदस्य को पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 40 में निहित सिद्धान्त के अनुसार पंचायतीराज शुरू किया गया तथा बहुत से राज्यों में अध्यापकों की नियुक्ति निष्पक्ष निकायों को सौंपी जाती है।

Shri Maurya : Majority of the people living in villages consists of those who are called untouchables and backward class people. Have the government collected some data in respect of the proportion of education amongst the backward class and so called untouchables and where do they stand in comparison with other people ? If it is much less, what efforts are being made to augment or improve that ?

श्री शिन्दे : यह प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये, किन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूँ कि इस मामले में हमारा भी उतना ही सम्बन्ध है। जहां तक निम्न वर्गों तथा जातियों की शिक्षा का सम्बंध है, उन्हें शिक्षा-प्राप्ति की आवश्यक सुविधायें देने के लिये प्रभावकारी या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri Maurya : My first objection is that this question pertains to imparting education in villages. This simply pertains to Panchayati Raj. He can not evade by leaving it with Education Ministry. Now I want to have my question answered. What is the percentage of the educated people amongst those backward class people who live in villages and if their number is much less and they are at a very low stratum in comparison with others what efforts are being made for uplifting them and for increasing the percentage of education in them ?

श्री शिन्दे : जहां तक आंकड़ो का सम्बन्ध है वे हमारे पास अभी नहीं हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey : Spreads of education is very low in the Country. Keeping this in view I would like to know whether education Commission has consulted the Ministry of Community Development as to how this Ministry can help spread education in this Country ?

Shri Kishen Pattnayak : Mr. Speaker, I would first like to ask you a question.

Mr. Speaker : Do not ask me please.

Shri Kishen Pattnayak For the last two questions I have stood up time and again and you did not call me. Now I was sitting and you have called me. I want to know the way that how you call the members.

Mr. Speaker : You put quesiton. I have no way.

Shri Kishen Pattnayak : My question is how much expenditure is incurred on Primary education and what percentage of it is Shared by the Panchayati Raj and what percentage of the boys studying in Primary Schools are under the management of Panchayats.

श्री शिन्दे : मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर एक नोटिस की अपेक्षा है तथा माननीय सदस्य को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रश्न को शिक्षा मंत्रालय से पूछें।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को ज्ञात है कि सभी शैक्षणिक सम्मेलन उस अखिल भारतीय सम्मेलन के सहित जो हाल ही इलाहाबाद में हुआ, की यह सर्वसम्मत राय है कि शिक्षा पंचायती राज के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी जाय क्योंकि इससे स्तरों में अवनति, भाईचारा, दोषपूर्ण स्थानान्तरण तथा वेतनों का समय पर न भुगतान किया जाना आदि दोष उत्पन्न हुये है ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार पंचायतीराज से शिक्षा को अलग कर देगी तथा इसे कोई और दूसरा खिलौना खेलने को देगी ?

श्री शिन्दे : जैसा कि मैं पहिले ही जिक्र कर चुका हूँ कि शिक्षा आयोग की सिफारिशें हाल ही मिली हैं और विचाराधीन विषयों में एक यह भी है कि पंचायती राज के क्या काम हों। इस पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

Shri Sarju Pandey : Generally Schools of Primary education are either run by the District Boards or are in the hands of Private management. Every people appoint their relatives as teachers. All the educations the Country demand that in the Government should take away education from the private Management. The hon. Minister has stated just the reverse. He has said that there is improvement in education. I would like to know whether the Government would form a Commitee to look into it so that real position is understood.

श्री शिन्दे : सभी विषय विचाराधीन हैं तथा आयोग के प्रतिवेदन के अंग हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know whether Education Commission has drawn the attention of the Government to the fact that there is great difference between the Primary education imparted in Schools run by Panchayati Raj and the education provided by the Public Schools ? I under the Panchayati Raj a rupue is spent on each boy where as fifty or sixty rupees are spent on each boy. If so, what has been suggested ro remove this inequality ?

Shri M. L. Dwivedi It pertains to the Ministry of Education.

श्री शिन्दे : आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं छपी है। वह विभिन्न मंत्रालयों में प्रसारित नही की गई है। मेरे विचार में शिक्षा मंत्रालय इन सभी बातों पर ध्यान देगा।

Shri Kashi Ram Gupta : Is the hon. Minister aware of the fact that the Chairman of the District Boards in Rajasthan are the members of that Commission which appoints teachers etc. in Panchayat Raj Service and the ruling party is providing employment to the sons and daughters of those who can be instrumental in winning votes in the General Election ? If so, what steps Government thinks to take to improve the condition.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं निवेदन करता हूँ कि प्रारम्भिक शिक्षा खासतौर पर राज्य-विषय है। हमारा सम्बन्ध सहयोग और आम नीति निर्धारण से है। शिक्षा आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। हम निश्चित रूप से इसकी जांच नहीं कर सकते कि किसी राज्य विशेष में अध्यापकों के स्थानान्तरण आदि के बारे में क्या हुआ यह मामला राज्य विधान सभा में उठाया जाना चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta : My question has not been answered.

Mr. Speaker : The hon. Minister says that it is a state Subject.

Shri Kashi Ram Gupta : These form the part of Panchayati Raj. What is being done against them who indulge in such acts.

Mr. Speaker : He has answered this.

Restrictions on Movement of Foodgrains

*34 **Shri M. L. Diwivedi** :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri R. Barua :
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Rishang Keishing :
Shri R. S. Pandey :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Linga Reddy :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Liladhar Kotoki :
Shri N. R. Laskar :

Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Umanath :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Jaswant Mehta :**
Shri Raghunath Singh :

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) Whether any decision has been taken or is likely to be taken by Government to remove the restrictions on the movement of foodgrains at zonal and State Levels; and

(b) if so, the broad details thereof ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) खाद्यान्नों के लाने ले जाने सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने के प्रश्न पर खाद्यान्न नीति समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri M. L. Dwivedi : When was this committee formed and for how many days has it been exchanging thoughts in this regard and when is the report expected ?

श्री गोविन्द मेनन : प्रतिवेदन अगस्त या सितम्बर में मिलने की आशा है ।

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know whether food restrictions are not applicable to those cooperative Bazars and big grain stores opened by the government ? If so, how are the grains supplied to those stores.

श्री गोविन्द मेनन : यद्यपि गल्ला लाने और ले जाने में छूट तो नहीं है तथापि सरकार द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को गल्ला लाने और ले जाने का प्रबन्ध किया गया है । इस प्रकार हम कमी वाले राज्यों को गल्ला भेजते हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : अभी पिछले दिनों मुख्यमन्त्रियों का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ, क्या उसमें क्षेत्रीय प्रतिबन्धों पर विचार हुआ ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस पर मुख्यमन्त्री सम्मेलन में विचार नहीं हुआ ।

Shri Prakash Vir Shastri : What are the results of removing food Zones from Punjab, Uttar Pradesh and Delhi and encouraged by those results whether government is considering immediate removal of other Food Zones ?

श्री गोविन्द मेनन : इस खाद्यान्न क्षेत्र के विस्तार से जिसमें पंजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि हैं, पंजाब राज्य में कीमतें बढ़ी हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How many cases have been detected regarding violation of restrictions imposed on movement of grains from one State to another, from one district to another district, from one Tehsil to another Tehsil and whether grains held would be released after the report is obtained.

श्री गोबिन्द मेनन : ये उल्लंघन भारत के हर राज्य में होते हैं तथा मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि यह बता सकूं कि कितने मामले पकड़े गये ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने पंजाब की किसान सभा द्वारा निर्धारित मांगों, जिनमें खाद्यान्नों के लाने ले जाने की छूट की माँग भी है, की ओर ध्यान दिया और हैं और यदि ऐसा है तो क्या सरकार मांगों की जाँच उस समिति से कराना चाहती है जिसका जिक्र अभी हुआ है ।

श्री गोविन्द मेनन : जैसा मैंने पहिले कहा, यह सारा प्रश्न समिति के समक्ष है जिसमें क्षेत्रों को हटाने की मांग भी आ जाती है तथा जैसे ही प्रतिवेदन मिलेगा, सरकार निर्णय करेगी ।

श्री कपूर सिंह : दूसरी मांगों की सरकार जांच करेगी या समिति ?

श्री गोविन्द मेनन : सभी सम्बन्धित मामलों पर विचार होगा ।

श्री ग्र० प्र० शर्मा : क्या सरकार को बिहार राज्य में कम अनाज पहुँचाये जाने का पता है तथा क्या राज्य सरकार ने शिकायत की है ? यदि ऐसा है तो केन्द्रीय सरकार ने उन्हें निश्चित कोटा देने की दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बिहार के मुख्य मन्त्री द्वारा मुझ से शिकायत की गई थी कि उन्हें पर्याप्त अनाज नहीं भेजा जा रहा है । मैंने उन्हें स्थिति की जानकारी दी तथा हम बिहार राज्य की यथा सम्भव सहायता कर रहे हैं ।

श्री उमानाथ : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विशेष मामले में कभी राज्यों से परामर्श किया और यदि हां तो क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने के पक्ष में कौन-से राज्य हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : मुख्य मन्त्री-सम्मेलन में विचार होने के बाद ही निर्णय किया गया ।

श्रीमती रेणुका राय : इस विचार से कि मुख्य मन्त्री सम्मेलन में जो पूर्व निर्णय हुआ था कि प्रतिबन्ध हटाने से पहिले प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में बड़े शहरों को प्रश्रय दिया जायेगा, मैं जानना चाहूँगी कि कितने शहरों में राशनिंग लागू किया गया है तथा प्रश्रय दिया गया है ताकि क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाये जा सकें ।

श्री गोविन्द मेनन : जहाँ विधिवत राशनिंग लागू किया गया है वे शहर हैं : पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता, आसनसोल तथा दुर्गापुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कानपुर, आन्ध्र प्रदेश में विशाखापटनम तथा हैदराबाद, मद्रास राज्य में मद्रास तथा कोयम्बटूर, बम्बई, नागपुर तथा पूना ।

Shri Kishen Pattnayak : Restrictions are imposed on movements of grain from Madhya Pradesh to Orissa, or from Orissa to Madras or Kerala but Railway wagons are booked for transporting gram from Madhya Pradesh to Orissa and thence to Kerala etc. places. Have the Ministry thought of taking necessary action against the Railway Ministry so that the Railway Ministry may also abide by the restrictions.

श्री गोविन्द मेनन : चने के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने की पूर्ण छूट है । लाने लेजाने पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा तथा खरीफ की फसल आने से पूर्व सरकार की स्पष्ट नीति घोषित हो जायेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : यही इरादा है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : It is found that when a boy carries a little rice or sugar for her sister, he is detected by Toll Tax officials but what action is taken against the trucks which are surreptitiously or stealthily passed through Railway Bridges.

Mr. Speaker : Shri Priya Gupta.

Shri Jagdev Singh Siddanti : Mr. Speaker, please elicit the answer of my question.

Mr. Speaker : The hon. member also knows the answer of it.

श्री प्रिय गुप्त : कुछ रेलवे के आदमी जो गांव के राशन के अधिकारी नहीं समझे जाते हैं बिहार, बंगाल, आसाम और दूसरे राज्यों की सीमाओं पर नियुक्त किये गये हैं । हर प्रकार से

वे चलते-फिरते लोग हैं तथा उनके पास खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिये भूमि नहीं है । इन गांवों में नियुक्त चलते-फिरते व्यक्तियों के लिये सरकार क्या करने का विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : लोगों को राशन पहुँचाने की दिशा में राज्य सरकारें हर सम्भव प्रयत्न कर रही हैं । खाद्य मन्त्रालय राज्य सरकारों को खाद्यान्न पहुँचा रहा है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने से राज्यों की खाद्यान्न उपलब्धि पर असर पड़ेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : वह विषय का एक पहलू है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि हाल ही में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने बचत वाले राज्यों द्वारा एकत्र खाद्यान्नों से एक चावल संग्रह (Pool) संगठित करने का निर्णय किया है ? यदि ऐसा है तो क्या यह चावल संग्रह एक दीर्घ कालीन व्यवस्था है या वर्तमान कठिनाइयों पर अस्थाई रूप से विजय पाने के लिये ही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह वर्तमान कठिनाइयों पर विजय पाने की ही व्यवस्था है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हल्दिया पत्तन

*35. **श्री स० चं० सामन्त**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री सुबोध हंसदा
श्रीमती रेणुका राय
श्री कपूर सिंह ।
श्री बूटा सिंह
श्री नरसिम्हा रेड्डी ।
श्री बिभूति मिश्र

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन का निर्माण तथा अन्य सहायक कार्य प्रारम्भ में निर्धारित किये गये समय के अनुसार हो रहे हैं;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (ग) : हल्दिया की नई डाक व्यवस्था के विकास की प्रथम अवस्था के बारे में सब प्रारम्भिक कार्य समाप्त हो चुका है । हल्दिया में तेल जेटी का निर्माण प्रगति पर है । डाक बेसिन की खुदाई के लिए पोर्ट कमिश्नरों ने ठका दे दिया है । पोर्ट कमिश्नरों ने डाक और इट्रेंसलाक के निर्माण के लिए निविदा प्रलेख तैयार कर लिये हैं । हल्दिया सरीखी बड़ी परियोजना में, जिसमें विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, उसमें बड़े काम के पहले यह निश्चित करना होता है कि जरूरी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है, और अब इसी पर विचार किया जा रहा है । इस बीच मुख्य सिविल कार्यों के लिए कमिश्नरों को निविदा मंगाने की स्वीकृति दे दी गई है । इस प्रकार हल्दिया परियोजना को आगे बढ़ाने के सब प्रयास किये जा रहे हैं । परियोजना के 1970-71 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

खाद्यान्न को संग्रह कर रखने की क्षमता।

*36. **डा० लक्ष्मीमल सिंघवी** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्रीमती रेणुका राय : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का संग्रह कर रखने की क्षमता स्थापित करने की कोई योजना की जा रही है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में चार और स्थानों पर भाण्डागार बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके क्रियान्वित हो जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) चौथी योजना अवधि में सरकार की अपनी खाद्यान्न संचयन क्षमता में 20 लाख मीटरी टन की और वृद्धि करने का विचार है।

(ख) इसके अतिरिक्त क्षमता में से देश के अन्तर्देशवर्ती केन्द्रों पर 10 लाख मीटरी टन के बोरी में बन्द अनाज और 8.25 लाख मीटरी टन के खुला अनाज भरने के गोदाम बनाए जायँगे। इसके अतिरिक्त, चार प्रमुख बन्दरगाहों पर कुल 1.75 लाख मीटरी टन की क्षमता के साइलो गोदाम जिन पर तेज़ गति के अनाज विसंजक उपकरण लगे होंगे, बनाने के बारे में विचार हो रहा है।

(ग) खुला अनाज रखने के गोदामों के प्रस्तावों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल-टी**–6464/66] अन्तर्देशवर्ती स्थानों पर खुला अनाज और बोरी में बन्द अनाज की अतिरिक्त संचयन क्षमता से खाद्यान्न संचयन में पर्याप्त सुधार होगा और विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में बफर स्टाक रखा जा सकेगा। तेज गति के अनाज विसर्जक उपकरण सहित साइलो गोदामों की स्थापना से बन्दरगाहों पर हैण्डलिंग सुविधाओं में बहुत अधिक सुधार होगा और इससे पर्याप्त बचत होगी।

पंजाब में गेहूं के मूल्य में वृद्धि।

*38. **श्री मधु लिमये :** **श्री उटिया :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में एक ज्यादा बड़ा गेहूं क्षेत्र बनाये जाने के पश्चात् पंजाब में गेहूँ के मूल्य काफी बढ़ गए हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में मूल्य गिर गए हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में इस समय (साम्य) मूल्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन):

(क) जी हाँ। गेहूँ का बड़ा क्षेत्र बनाने के बाद पंजाब में गेहूँ के बाजार भावों में वृद्धि आयी है।

(ख) क्षेत्र निर्माण होने के तुरन्त बाद उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण मण्डियों में गेहूं के भावों में गिरावट आई लेकिन बाद में तेजी आई है।

(ग) पंजाब में चल रहे गेहूँ के बाजार भाव रु० 69.10 से रु० 75.50 के बीच में है जब कि उत्तर प्रदेश में रु० 72.36 से रु० 83.34 के बीच चल रहे हैं। सारे क्षेत्र के लिए कोई अकेली कीमत नहीं है जिसे सन्तुलित कीमत कहा जा सके।

खाद्य स्थिति

*39. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री राम सहाय पांडे : **श्री लीलाधर कटकी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश की खाद्य स्थिति के बारे में सरकार का अनुमान क्या है ; और

(ख) खाद्य स्थिति का सामना करने तथा देश के सभी लोगों को न्यूनतन अनाज उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपायों अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविद मैनन) :

(क) देश की मौजूदा खाद्य स्थिति कठिन है किन्तु नियन्त्रण में हैं।

(ख) इसके लिए किए गए उपायों अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा "खाद्य स्थिति की समीक्षा" में दिया गया है जो कि सभा के सदस्यों में परिचालित कर दी गयी है।

दिल्ली में राशन के गेहूं का भाव

*40. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री मौर्य :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रामसेवक यादव :**
श्री नवल प्रभाकर : **श्री कपूर सिह :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० राममनोहर लोहिया : **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री बागड़ी : **श्रीमती मैमूना सुल्तान:**
श्री मधु लिमये : **श्री रामपुरे :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में राशन के गेहूँ, गेहूँ से बनने वाले पदार्थ तथा चावल का भाव बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन भावों को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) दिल्ली में राशन की दुकानों से वितरित की जाने वाली पंजाब की देसी गेहूँ का निर्गम मूल्य बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में राशन व्यवस्था लागू होने से अब तक राशन के चावल, आयातित गेहूँ और गेंहूँ के पदार्थों के निर्गम मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ख) पंजाब में 1966-67 की फसल में अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऊंची इक्नामिक्स लागत होने से दिल्ली में पंजाब की देसी गेहूँ के निर्गम मूल्य में वृद्धि करना अनिवार्य हो गया था।

(ग) देश में खाद्यान्नों के भावों को बढ़ने से रोकने के लिए उठाये गये विभिन्न उपायों में उपाय भी शामिल हैं—और अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोलना, और अधिक क्षेत्रों में सांविधिका अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू करनी, विदेशों से अधिक मात्रा में आयात आदि। हाल ही में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है वह सरकार का यह निर्णय है कि यद्यपि अवमूल्यन के कारण आयातित खाद्यान्नों की लागत पर्याप्त रूप से बढ़ गई है फिर भी केन्द्रीय भण्डारों से दिये जाने वाले खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य में और कोई वृद्धि न की जाए। अतः निर्गम मूल्य को अवमूल्यन से पूर्व के स्तर पर बनाए रखा जा रहा है।

खरीफ और रबी की फसलों में अनाज का उत्पादन

*41. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सेझियान :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से पिछली खरीफ और रबी की फसलों में हुए अनाज के उत्पादन के बारे में प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों की समीक्षा की जा चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना खाद्य उत्पादन होने का अनुमान है तथा चालू वर्ष में खाद्यान्न की कितनी कमी होने की सम्भावना है; और

(ग) खाद्य उत्पादन की कमी कितनी और किस प्रकार पूरी की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) और (ख) :

जी हाँ। 1965-66 के विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमानों की समीक्षा कर ली गई है। देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन की मात्रा लगभग 723 लाख मीटरी टन है जो कि पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 167 लाख मीटरी टन कम है।

(ग) इस कमी की पूर्ति राशनिंग के माध्यम से खपत को घटाने तथा यथासम्भव मात्रा के

आयात द्वारा की जा रही है। अब तक 110 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के आयात का प्रबन्ध किया क्या है। अतिरिक्त आयात करने के विषय में बात-चीत जारी है।

पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति

*42. **श्री हेम बरुआ:** **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्रीमती रेणुका राय :**
श्री हरि विष्णु कामत : **डा० रानेन सेन :**
श्री नाथ पाई :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 18 मई, 1966 को पश्चिम बंगाल से निर्वाचित कांग्रेस दल के संसद सदस्यों को बताया था कि इस वर्ष जुलाई और अगस्त में राज्य की खाद्य नीति की कठिन परीक्षा होगी।

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ने की सम्भावना है, जैसा कि हाल में उड़ीसा में हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो आने वाले कठिन समय का सामना करने के हेतु राज्य की सहायता करने के लिए सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन): (क) जी नहीं। वक्तव्य केवल इस सम्बन्ध में था कि जुलाई-अगस्त खाद्य स्थिति के कठिन महीने होंगे।

(ख) और (ग) आने वाले महीनों में पश्चिमी बंगाल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार को यह आशा नहीं है कि उस राज्य में अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है।

प्रबन्ध अभिकरण (मैनेजिंग एजेन्सी) जांच समिति का प्रतिवेदन

*43. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय**
श्री मधु लिमये : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री किशन पटनायक : **श्री बागड़ी :**
डा० राममनोहर लोहिया : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री स० मा० बनर्जी : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रबन्ध अभिकरण जांच समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर किये गये निर्णय का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस में देरी होने के क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) और (ख) : प्रबन्ध अभिकरण (मैनेजिंग एजेन्सी) जांच समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा विचाराधीन हैं और इन पर बहुत शीघ्र ही निर्णय किए जाने की प्रत्याशा है।

विदेशी पर्यटक

*44. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री लीलाधर कटकी : **श्री बासप्पा :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री के०सी० पंत :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी कमी हुई है,

(ख) क्या भारत में खाद्यान्न की स्थिति के बारे में विदेशों में पाकिस्तानी प्रचार के कारण इस वर्ष भारत में पर्यटकों के आने पर काफी असर पड़ा है, और

(ग) यदि हां, तो भारत में पर्यटन के विकास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी हां, पहली तिमाही में, जिसकी संख्या उपलब्ध है, उसके लगभग 9.8 प्रतिशत होने का अनुमान है ।

(ख) सामान्य तथा भारत में पर्यटक यातायात की मात्रा को किसी सीमा तक प्रभावित करने में हमारी खाद्य स्थिति पर विदेशी प्रेस रिपोर्ट का प्रभाव पड़ा है ।

(ग) विदेशों में हमारे पर्यटक कार्यालय ने इस तथ्य का प्रकाशन करके कि सामान्यतया भोजन की कमी नहीं है कमी केवल नाज की है और इसका प्रभाव पर्यटकों पर नहीं पड़ेगा, इस तरह की रिपोर्टों का खंडन किया है ।

कृषि सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम

*45. **श्री वारियर :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री प्र० चं० बरूआ : **श्री रा० बरूआ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम में अमरीकी सरकार द्वारा सहायता किये जाने की आशा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका से किस रूप में और कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी नहीं । ऐसे किसी सुझाव पर विचार नहीं हो रहा है । अमरीका के फोर्ड फाऊंडेशन ने जो एक गैर-सरकारी संगठन है चौथी योजना के दौरान चुने हुए पांच जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) की क्रियान्विति में सहायता करने का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

केन्द्रीय सड़क निधि

*46. **श्री अ० शं० आल्वा :** **श्री दलजीत सिंह :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेष परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से किन कसौटियों पर अनुदान दिया जाता है ;

(ख) वर्ष 1965-66 और 1966-67 में अब तक अलग-अलग राज्यों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है, और

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषि करने के मामले में राज्य समनुरूप अनुदान दिये जाने के लिये जोर देते हैं और यदि हां, तो किस अनुपात में ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (ग) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी-**6465/66]

सूखा ग्रस्त राज्यों की स्थिति

*47. **श्री नारायण दास :** **श्री इम्बी चीबावा :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री कोल्ला वेंकैया : **श्री कपूर सिंह :**

श्रीमती विमला देवी : **श्री बूटासिंह :**

श्री नम्बियार : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री वासुदेवन नायर : **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

श्री यशपाल सिंह : **श्रीमती मैमना सुल्तान :**

श्री विभूति मिश्र : **श्री दे० जी० नायक :**

श्री क० ना० निवारी : **श्री द्वारका दास मंत्री :**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : **श्री लिंग रेड्डी :**

डा० रानेन सेन : **श्री किशन पटनायक :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री मधु लिमये :**

श्री अ० क० गोपालन : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों में गम्भीर सूखा पड़ा था, उनके सूखाग्रस्त क्षेत्रों की इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये अब तक कितनी राशि के ऋण अथवा अनुदान दिये गये हैं; और

(ग) क्या उन क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण वहां की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन):

(क) स्थिति में प्रर्याप्त रूप से सुधार हुआ है और सहायता कार्यों पर काम कर रहे व्यक्ति धीरे धीरे अपने सामान्य धन्धों पर जा रहे हैं। सहायता कार्यों पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या जून के पहले सप्ताह के 30.23 लाख से घट कर जुलाई के पहले सप्ताह में 23.08 लाख रह गयी।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने सूखा से प्रभावित विभिन्न राज्यों को अब तक निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :—

	(आंकड़े लाख रुपयों में)
1965–66	रु० 545.00
1966–67	रु० 1850.00

(ग) यद्यपि मानसून की शुरुआत सन्तोषजनक थी किन्तु जून के अन्त में विशेषतया पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में मन्द पड़ गयी जहां खरीफ की फसल पर कुप्रभाव पड़ने का खतरा हो गया था। सौभाग्यवश, मानसून पुनः शुरू हो गयी है और यदि यह पुनः अनियमित नहीं होती तो उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित स्थिति में हुए सुधार को बनाए रखा जायगा।

विदेशों से खाद्यान्न की सहायता

*48. **श्री रा० बरुआ :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामसहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामहरख यादव :
श्री उटिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 17 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्यान्न की वर्तमान कमी को दूर करने के लिये इस बीच कुछ और देशों ने खाद्यान्न की सहायता देने की पेशकश की है,

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों ने सहायता देने की पेशकश की है तथा प्रत्येक देश द्वारा दी जाने वाली सहायता कितनी होगी और उसका स्वरुप क्या होगा, और

(ग) 1965 में और 1966 में अब तक विदेशों से देशवार कितने खाद्यान्न का आयात किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) :
(क) जी हाँ ।
(ख) एक विवरण (विवरण 1) सभा के पटल पर रखा जाता है ।
[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एलटी – 6466/66]
(ग) एक अन्य विवरण (विवरण 2) सभा के पटल पर रखा जाता है ।
[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एलटी –6467/66]

Increase in Price of Coarse Rice

*49 **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwari :
Shri P. C. Borooah :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shrimati Savitri Nigam :
Dr. Ranen Sen:
Shri D. C. Sharma :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Umanath :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government have increased the price of coarse rice by three rupees per quintal and reduced the price of milo by seven rupees per quintal after May, 1966;

(b) if so, the reasons therefory; and
(c) whether it is also a fact that the Chief Ministers were in favour of it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon) :
(**a**) Yes, Sir.

(**b**) The increase in the issue price of coarse rice was made in view of the increased economic cost of indigenous rice and also to partially reduce the quantum of subsidy on the sale of this rice from the Central stocks. The issue price of milo was reduced in order to provide a cheap grain to the poorer sections of the population.

(**c**) The Chief Ministers had agreed to the increase in the issue prices of coarse rice by the abolition of subsidy in two stages. The issue price of milo was reduced by Govt. of India following suggestions received from some of the State Governments.

Crop Insurance Scheme

*50 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Raghunath Singh :
Shri Sideshwar Prasad :
Shrimati Renuka Ray :
Shri P. C. Borooah :
Dr. M.M. Das :
Shri Maheswar Naik :
Shri R.S. Pandey :
Shir Vasudevan Nair :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Yashpal Singh :
Shri Rishang Keishing :
Shrimati Renu Chakravartty :
Shri Maurya :
Shri Bagri :

Shri Naval Prabhakar :
Shri N. R. Laskar :
Shri Liladhar Kotoki :
Shri R. Barua :
Shri P. Venkatasubbaiah :
Shri Ravindra Varma :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Dr. Mahadeva Prasad :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether a crop insurance scheme is under consideration with a view to encon urage agricultural programmes;

(b) the time by which the final decision is likely to be taken in this regard; and

(c) whether an estimate regarding the initial expenditure to be borne by Government has also been prepared?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra) :

(a) Yes, Sir.

(b) Introduction of the scheme is pending enactment of a Crop Insurance Bill. The Bill is likely to be introduced in Parliament by the end of 1966.

Crop Insurance will be introduced by the desiring States themselves. A model scheme for the guidance of the States is being drawn up.

(c) Estimates of expenditure can be prepared only after the State Schemes are ready. A token provision of Rs. 5 lakhs has been made in the Fourth Five year Plan in the meantime.

परिवहन व्यय

*51. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता के पश्चात परिवहन व्यय में हुई वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो स्वतन्त्रता के पश्चात सड़क, रेलवे, नदी तथा समुद्र, परिवहन में क्रमशः किस दर पर वार्षिक वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या इनका क्षेत्र और राष्ट्रीयकरण करने का भी कोई प्रयत्न किया गया है अथवा किया जा रहा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र में राज्य सड़क परिवहन संस्थान जो अधिकतर यात्री परिवहन से संबन्धित है के चालन की लागत के आंकड़े स्टेटिसटिकल बुलेटिन आफ स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग में सालाना प्रकाशित किये जाते हैं । इसे परिवहन और विमान मन्त्रालय जारी करता है ।

रेल भी यात्री और माल गाड़ी के ढुलाई की औसत लागत के आंकड़े बड़ी और छोटी लाइनों के अपने प्रकाशन "सप्लीमेंट टु रेलवे बोर्ड आन इण्डियन रेलवे" (वार्षिक) में प्रकाशित करती है । इसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में रखी हैं । अखिल भारतीय आधार पर परिवहन के

विभिन्न प्रकारों के परिवहन की लागत में वृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन करना संभव नहीं हो सका है।

(ग) सड़क यात्री परिवहन में लगभग एक तिहाई का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। सड़क परिवहन में माल क्षेत्र मुख्यतः गैर सरकारी है। रेलें लगभग सम्पूर्णतः सरकारी क्षेत्र में है। समुद्री परिवहन में तटीय नौचालन उद्योग निश्चयात्मक रूप से गैर सरकारी क्षेत्र है जबकि भारत के कुल टन भार का सरकारी क्षेत्र का भाग लगभग 21 प्रतिशत है। नदी परिवहन में, नदी वाष्प नौचालन कंपनी द्वारा कलकत्ता - आसाम मार्ग पर सरकारी क्षेत्र कार्य करता है जिसमें सरकार की नियंत्रक रुचि है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्य

*52. **श्रीमती रेणुका राय :** **श्री जसवन्त मेहता :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारतीय खाद्य निगम" के कार्यों को बढ़ाने और उसे प्रभावशाली निकाय बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कार्यों में जैसे कि खाद्य निगम अधिनियम में विहित है, खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, संचयन, संचलन, परिवहन, वितरण और बिक्री सम्बन्धी कार्य शामिल हैं। ये कार्य पहले ही पर्याप्त रूप से व्यापक हैं। अब निगम आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब राज्य और संघ प्रदेश दिल्ली तथा पांडेचरी में किसी न किसी रूप में ये कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, निगम आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के चुने हुये क्षेत्रों में किसानों को बीजों की उन्नत किस्में, आदान (इनपुट) और नकद ऋण आदि देकर धान की अधिक उपज वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक पाइलट योजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायता दत्त (सबसीडाइज्ड) मूल्य पर उर्वरकों का सम्भरण

*53. **श्री प्र० चं० बरूआ :** **श्री वारियर :**
श्री नवल प्रभाकर **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को राज-सहायतादत्त मूल्य पर सस्ते उर्वरक देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ख) भारत के प्रत्येक राज्य में प्रति एकड़ भूमि के लिए कितनी मात्रा में उर्वरक दिये जाते हैं; और

(ग) यह मात्रा कृषि में उन्नत देशों की तुलना में कितनी है तथा उन्नत देशों की तुलना में भारत में उर्वरकों के मूल्य कितने हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) उर्वरकों के मौजूदा मूल्यों को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एलटी–6468/66]

मंगलौर बन्दरगाह

*54. **श्री हरि विष्णु कामत** : **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** :
श्री हेम बरुआ : **श्री नाथ पाई** :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर बन्दरगाह सम्बन्धी वृहद योजना की अब जांच पड़ताल पूरी हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) जी हां यह विदित हुआ है कि प्राप्ति करने के लिए जो क्षेत्र सूचित किये गये हैं वे परियोजना के लिए आवश्यक है और उनकी कम से कम आवश्यकता पड़ेगी।

कृषि के विकास के लिये रूस से सहायता

*55. **श्री कोल्ला वैंकैया** : **श्री रिशांग किशिंग**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री रा० बरुआ** :
श्री विश्वनाथ राय : **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री कृ०चं० शर्मा : **श्री नि० रं० लास्कर**
श्री यशपाल सिंह : **श्री लीलाधर कटकी** :
श्री राम सहाय पांडेय : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **खाद्य ,कृषि ,सामुदयिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के विकास के लिये सहायता प्राप्त करने के हेतु उनकी रूस यात्रा का प्रस्ताव किया गया था ;

(ख) यदि हां , तो प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था ;

(ग) यह यात्रा कब की गई ;

(घ) कृषि के विकास के लिये रूस से मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) जितनी सहायता देने का वायदा किया गया है उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी हां ।

(ख) रूस के प्रधान मन्त्री ने प्रस्ताव किया था ।

(ग) 5 जुलाई से 11 जुलाई, 1966 तक ।

(घ) स्टेट फार्मों और मशीन सर्विस सेन्टर्स के लिये मत्स्य विकास तथा मशीनरी के सम्बन्ध में कुछ प्रस्तावों पर विचार विमर्ष हुआ था । भेड़ों की उन्नत नस्ल की सप्लाई, हवाई छिड़काव , मुर्गीपालन विकास तथा कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में भी विचार विमर्ष हुआ ।

(ङ) सामान्यतया यह स्वीकार कर लिया गया है कि कृषि अनुसन्धान तथा मत्स्यपालन के कुछ क्षेत्रों में, स्टेट फार्मज के विकास में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और भारत में सहयोग होगा । ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है और जो सहायता सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से हमें मिलेगी उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना अभी सम्भव नहीं है ।

साधारण निर्वाचन

*56. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री राम मनोहर लोहिया :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री वागड़ी :
श्री बृजवासी लाल :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में होने वाले आम चुनावों की सही-सही तारीखें क्या है ;

(ख) क्या उनके बारे में तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या आगामी आम चुनावों में उम्मीदवारों के लिये कुछ अतिरिक्त शर्तों तथा विशेष अर्हतायें निर्धारित की जायेंगी ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) :

(क) 1967 में किये जाने वाले साधारण निर्वाचनों के लिये ठीक-ठीक तारीखें अभी तक अंतिम रूप से निश्चित नहीं की गई हैं। किन्तु निर्वाचन आयोग निर्वाचनों में मतदान 19 से 26 फरवरी, 1967 के बीच कराने की सोच रहा है ।

(ख) जी नहीं । तैयारियां की जा रही हैं ।

(ग) जी नहीं ।

चीनी के कारखानों का आधुनिकीकरण

*57. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के कारखानों के फिर से चालू करने तथा उनके आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए कोई कार्यवाही की जा रही है ;और

(ख) यदि हां , तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) और (ख) : सम्बन्धित हितबद्धों के परामर्श से सरकार समिति की सिफारिशों की अभी जांच कर रही है ।

राज्यों में बीज फार्म

*58. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री शिशांग किशिंग :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में किसी राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित बीज फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां , तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) **और (ख)** : किसी भी राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित बीज फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु चालू वर्ष में ऐसे 5 केन्द्रीय बीज फार्मों की स्थापना के प्रश्न पर विचार हो रहा है, जिनका प्रबन्ध सीधा केन्द्रीय सरकार के हाथ में होगा । विवरण तैयार किया जा रहा है ।

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक का कारखाना

*59. **श्री नम्बियार :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वाजी : **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री रा० बरूआ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजेंसी से प्रार्थना की है कि वह सहकारी क्षेत्र में एक उरवर्क का कारखाना स्थापित करने के लिये तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन करने के हेतु व्यवस्था करे ;

(ख) यदि हां , तो क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं , और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) सम्भाव्यता अध्ययन करने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका से एक टोली क सितम्बर, 1966 में आने की आशा है। प्रस्तावित कारखाने की शर्तों का पता अध्ययन हो जाने के बाद ही चलेगा।

संघ राज्य क्षेत्रों में कृषकों की ऋणग्रस्तता

*60. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्रों में कृषकों को ऋण भार से मुक्त कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : सहकारी ऋण व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि यह किसानों को उत्पादन प्रयोजनों के लिये उचित दरों पर पर्याप्त ऋण सुलभ कर सके। सरकार, जहां आवश्यकता है, उत्पादन प्रयोजनों के लिये तकावी ऋण भी दे रही है। योग्य मामलों मे विपत्ति तकावी देने की भी व्यवस्था है। कुछेक संघ राज्य क्षेत्रों में साहूकारी के नियंत्रण और ऋण सहायता सुलभ करने के लिये विधान भी लागू है।

खजूर की खेती

100. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में सरकारी क्षेत्र में खजूर की खेती आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां ; तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) जी हां। प्लान्टेशन कार्पोरेशन आफ केरल लिमिटिड ने व्यावसायिक स्तर पर खजूर की खेती के विकास की योजना तैयार की है और उस पर विचार हो रहा है।

(ख) परियोजना का ब्यौरा तैयार होना है। भूमि की मात्रा तथा उसके स्थान का निर्णय होने के पश्चात ही इन पर विचार होगा।

(ग) प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार केरल में 6000 एकड़ में एक व्यावसायिक एकक की स्थापना पर 135.30 लाख रुपये व्यय होंगे।

अमरीका के मछली उद्योग विशेषज्ञों के तीन सदस्यों की केरल की यात्रा

101. **श्री अ० क० गोपालन** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के मछली उद्योग विशेषज्ञों के तीन सदस्यों के एक दल ने हाल में केरल का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने मछली पालन विभाग के अधिकारियों और मछली उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी ;

(ग) क्या उन्होंने केरल में मछली पालन का विकास करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार को दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का स्वरूप क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) जी नहीं ।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं होता ।

काजुओं से बनाये गये खाद्य पदार्थ

102 **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्राद्योगिक अनुसंधान संस्था (सेन्ट्रल टेक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट) ने यह खोज की है कि काजुओं से कई खाद्य पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं ;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये इस संस्था ने कोई योजना प्रस्तुत की है और

(ग) यदि हाँ, तो उसे क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां केन्द्रीय खाद्य टैक्नोलाजीकल अनुसन्धान संस्थान मैसूर में किये गये अनुसन्धानों से पता चलता है कि काजू सेव से बहुत से पदार्थ उदाहरणार्थ रस, सांट्रण, जैम , चटनी, मिश्री ; अचार आदि तैयार किये जा सकते हैं ।

(ख) केन्द्रीय खाद्य टैक्नोलाजीकल अनुसन्धान संस्थान, मैसूर घरेलू पैमाने, कुटीर पैमाने और छोटे पैमाने पर उत्पादन करने के लिये योजनाएं तैयार करता है । क्योंकि काजू सेव सीमित मात्रा में उपलब्ध है और वह भी वर्ष में बहुत ही थोड़े समय के लिये होता है, इसीलिये बड़े पैमाने के एकक प्रस्तावित नहीं किये गये हैं ।

(ग) भारत सरकार केन्द्रीय खाद्य टैक्नोलाजीकल अनुसन्धान संस्थान, मैसूर और लघु उद्योग संस्थान के माध्यम से काजू से चीजें बनाने के लिये तकनीकी जानकारी तथा उपकरण सम्बन्धी सूचना देने में सहायता कर रही है ।

अपमिश्रित चावल की बिक्री

*103. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय की शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि मद्रास, केरल और आन्ध्र प्रदेश में बेचे गये या बांटे गये चावल में रेत और कंकड़ मिले होते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश किस्मों के चावल में खप सकने वाले कंकड़ बड़ी मात्रा में बेचे जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस काम को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) केन्द्रीय सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है ।

(ख) इसके बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

धान की फसल को हानि

104. **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौनसून ऋतु में देर से वर्षा होने के कारण इस वर्ष केरल में धान की फसल की काफी हानि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्याम धर मिश्र) :

(क) केरल के केवल क्विलन, अलेप्पी, पालघाट तथा कन्नानोर नामक चार जिलों में धान की फसल को कुछ हानि पहुँची है ।

(ख) अब तक क्विलन तथा अलेप्पी जिलों में 30 से 40 प्रतिशत हानि का अन्दाजा लगाया गया है ।

पश्चिमी घाट सड़क

105. **श्री अ० क० राघवन :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के काजी कोडे जिले में पश्चिमी घाट की सड़क को पूरा करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) कौन-कौन से निर्माण कार्य अभी आरम्भ किये जाने बाकी है;

(ग) इन निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस जिले में समूचे निर्माण कार्य का कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) कोजीकोडे जिले में पड़ने वाली पश्चिमी तट सड़क की सम्पूर्ण लम्बाई का लगभग 113 कि० मी० का सड़क कार्य जो अनुमोदित योजना में शामिल था उसका लगभग 90 कि० मी० का कार्य पूरा हो गया है और सड़क का शेष कार्य प्रगति पर है। सड़क के इस भाग पर बनने वाले / पुन: बनने वाले 10 पुलों में से आठ पुल पूरे हो गये हैं और शेष 2 पुलों का कार्य प्रगति पर है। निकटत: सब पुलियां भी बन गई हैं। बाकी पुलियों पर भी काम प्रगति पर है। सड़क पर बनाये जाने वाले तीन उप-मार्गों में से एक पूरा हो गया है और शेष दो उप-मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ) : काम पूरे जोर से चल रहा है और 1967 के अन्त तक समाप्त हो जायेगा।

केरल के कोजीकोड जिले में सड़क सम्बन्धी कार्य

106. **श्री अ० क० राघवन :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोजीकोड जिले में निम्नलिखित सड़क सम्बन्धी कार्यों में सुधार करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(एक) बड़ागरा-लोकानारका सड़क

(दो) इरिगल-कोटुक्कल सड़क

(तीन) थोट्टिल पालम मुल्लान कुन्नू सड़क

(चार) काबिल-थीकुनी सड़क, और

(ख) इस कार्य को शीघ्रता से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (ख) एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एलटी---6469 / 66]

कोचीन पत्तन पर तिरौंदा (फ्लोटिंग) क्रेन

107. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरौदा क्रेन "पेरियार" जो 120 मीट्रिक टन वजन उठा सकता है कुछ समय से कोचीन पत्तन में बेकार पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : लिखित प्रश्न संख्या 5729 के उत्तर में 17 मई, 1966 को जैसा सूचित किया गया था कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा क्रय आदेशित तिरता क्रेन कोचीन पत्तन में दिसम्बर 1965

में आ गया था। उसके जेनरेटर और विद्युतनिर्गत में कुछ दोष पाये गये और करार में निर्दिष्ट गति की अपेक्षा जल में उसकी गति कम थी। मार्च 1966 में जेनरेटर तथा विद्युत निर्गत के दोष ठीक कर दिये गये थे। जहाँ तक निर्धारित गति का प्रश्न है वह चालन पर असर नहीं डालती। हल के परीक्षण के लिए वर्षाकाल के बाद उसे बम्बई भेजा जायेगा। इस मामले में पोर्ट ट्रस्ट का निर्माण-कर्ताओं के साथ समझौता हो गया है। अत: क्रेन औपचारिक रूप से ले लिया गया है और 31 मई, 1966 से उसका उपयोग किया जा रहा है।

केरल में "चिकन ड्रेसिंग फार्म"

108. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में इडापल्ली में एक "चिकन ड्रेसिंग फार्म" खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस फार्म में कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) एर्नाकुलम जिले में एक पौल्टरी ड्रेसिंग प्लाँट शुरू करने की केरल सरकार की एक योजना है। इसके लिए स्थान सघन मुर्गीपालन विकास खण्ड के मुख्य स्थान मुवाट्टूपुजहा में निश्चित किया गया है।

(ख) पौल्टरी ड्रेसिंग प्लांट की कार्यक्षमता 8 घन्टे प्रति दिन 2000 चूजों की व्यवस्था करना होगा।

कोजीकोड में हवाई अड्डा

109. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजीकोड में प्रस्तावित हवाई अड्डे के प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या अब इस हवाई अड्डे को केवल डकोटा जहाजों के उड़ने और उतारने योग्य बनाया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसका निर्माणकार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) **और (ख) :** योजनायें और प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) **और (घ) :** जी नहीं, यह अवरो/ एफ 27 विमानों के उड़ने तथा उतारने योग्य बनाया जायेगा।

(ङ) इस स्थिति में यह बताना मुमकिन नहीं है

नयी दिल्ली – बहादुरगढ़ बस सेवा

110. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री बहादुरगढ़ तथा केन्द्रीय सचिवालय, नयी दिल्ली के बीच एक सीधी बस सेवा चालू करने के बारे में 3 मई, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में इस बीच कितनी प्रगति हुई है तथा उक्त सेवा कब चालू कर दी जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

दिल्ली नगरपालिका निगम ने अभी तक बहादुरगढ़-केन्द्रीय सचिवालय मार्ग की भाड़ा-संरचना का अनुमोदन नहीं किया है। भाड़ा-संरचना के अनुमोदित होते ही सेवा चालू कर दी जायेगी।

पत्तन न्यासों में युद्ध सेवा उम्मीदवार :

111. **श्री पोट्टेकाट :** **श्री अ० क० राघवन:**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन न्यासों द्वारा पत्तन न्यासों में नियुक्त युद्ध सेवा के कर्मचारियों को युद्ध सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पत्तन न्यासों में सभी योग्य (एलिजिबल) उम्मीदवारों के यह लाभ देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (ग) वर्ष 1947 में अनुमोदित युद्ध सेवा के लिये अग्रिम वेतन वृद्धि देने के बारे में जारी किये गये आदेश केवल उस समय सरकार द्वारा प्रशासित कोचिन, कांडला तथा विशाखा-पत्तनम पत्तनों पर लागू होते थे। यह आदेश अन्य चार मुख्य पत्तनों-बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा मरमागोवा पर लागू नहीं थे, क्योंकि ये पत्तनें स्वायत्त निकायों के आधीन हैं।

मुजफ्फरपुर और पटना जिलों के विधान मण्डलीय निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्रफल

112. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर और पटना जिलों के प्रत्येक विधानमण्डलीय निर्वाचन-क्षेत्र का औसतन क्षेत्रफल कितना है;

(ख) उन निर्वाचन-क्षेत्रों की औसतन लम्बाई और चौड़ाई कितनी है;

(ग) पटना जिले के ऐसे कौन-कौन से निर्वाचन-क्षेत्र हैं जिनकी सबसे अधिक लम्बाई है और चौड़ाई कम से कम है तथा ऐसी लम्बाई चौड़ाई का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों का अधिक लम्बाई से परिसीमन करके उनकी घनता कम कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) सभा निर्वाचन क्षेत्र का औसतन क्षेत्रफल मुजफ्फरपुर जिला में 168 वर्ग मील और पटना जिला में 108 वर्ग मील है ।

(ख) और (ग) जानकारी तुरन्त उपलभ्य नहीं है, न ही इसे सरलता से संग्रहीत किया जा सकता है ।

(घ) और (ङ) परिसीमन आयोग की यह कोशिश रही कि सभी निर्वाचन-क्षेत्रों को विधि में दी गई विभिन्न अन्य बातों को ध्यान में रखकर यावत्साध्य संहत बनाया जाये । यह स्पष्ट करना कि एक विशिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र क्यों लम्बा या छोटा है, संभव नहीं है । किन्तु यह कहा जा सकता है कि परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के अधीन, परिसीमन आयोग से इन मामलों को अन्तिम रूप देने से पूर्व एक विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करना और विभिन्न बातों का ध्यान रखना अपेक्षित है ।

बिहार के पूर्णिया जिले में ट्रैक्टरों का बेकार पड़े रहना

113. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पुर्णिया जिले में पावरिन अथवा उसके स्थान पर प्रयोग की जा सकने वाली वस्तु के न मिलने के कारण बहुत से ट्रैक्टर पिछले कुछ समय से बेकार पड़े हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़े क्षेत्र में न तो पटसन बोया गया है और न ही मक्का;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं ;

(ग) अनुमानतः कितना क्षेत्र परती पड़ा है तथा पटसन अथवा मक्का की फसल को कितनी हानि हो रही है; और

(घ) पटसन और मक्का की खेती सुनिश्चित करने के लिए कृषकों की मांग को पूरा करने के लिये बिहार राज्य द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) से (घ) पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रति एकड़ उपज

114. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र में प्रत्येक फसल उगाई गई;

(ख) 1964-65 में, राज्यवार, प्रति एकड़ प्रत्येक फसल की उपज कितनी हुई है; और

(ग) 1964-65 में प्रत्येक राज्य में किसी भी समय प्रत्येक फसल की नियत की गई अधिकतम बाजार दर क्या थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) तथा (ख) : मुख्य फसलों की प्रति हैक्टेयर उपज तथा क्षेत्र को राज्यवार प्रदर्शित करने वाला एक विवरण नत्थी है ।

(ग) 1964-65 में महत्वपूर्ण फसलों के थोक मूल्य के ऊँचे स्तर को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण नत्थी है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या क्रमशः एल टी—6470/66 और 6471/66]

कलकत्ता-आसाम जल मार्ग

115. **श्री रघुनाथ सिंह :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता आसाम नदी मार्ग योजना, जो केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजी गई थी, त्याग दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़कर आसाम के लिये एक वैकल्पिक नदी मार्ग बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

बम्बई-लन्दन विमान सेवा

116. **डा० राममनोहर लोहिया :** **श्री मौर्य :**
श्री बागड़ी : **श्री राम हरख यादव :**
श्री राम सेवक यादव : **श्रीरामचन्द्र उलाका :**
श्री किशन पटनायक : **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री मधु लिमये ।

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री बम्बई-लन्दन विमान सेवा के बारे में 26 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित बम्बई-लन्दन विमान सेवा की समय-सारिणी तथा अन्य ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो यह विमान सेवा कब से आरंभ हो जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) 23 अक्टूबर, 1966 से बम्बई और लन्दन के बीच तेहरान से होकर विमान सेवा शुरू करने का विचार है ।

दाने तथा चारे के बीजों की नई किस्में

117. **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में दाने तथा चारे के बीजों की नई किस्में निकाली गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) जी हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने दाने तथा चारे की अधिक उपज वाली किस्मों के विकास पर बल दिया है । पूसा जिएन्ट बरसीम, पूसा जिएन्ट नेपीयर ग्रास, पूसा जिएन्ट अन्जन ग्रास, जैसी अधिक उपज वाली किस्में, कैण्ट जैसी भूसा की किस्में और पैनीसैटम पैंडी सैलेटम जैसी घासें खेती के लिए दी गई हैं । वे किसानों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गई हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेन्ट्रल रिलीज कमेटी ने भी पूसा जिएन्ट वरसीम तथा पूसा जिएन्ट नेपियर को आम खेती के लिये अनुमोदित किया है । जिएन्ट बरसीम तथा जिएन्ट नेपियर का परिक्रमण आदर्श है क्योंकि पहले से सारी सर्दियों में हरा चारा मिलेगा और दूसरे से सारी गर्मियाँ चारा मिलेगा । पूसा जिएन्ट बरसीम के बीज जो मनुष्य द्वारा बनाई गई किस्म है और जो प्रकृति में नहीं पाई जाती, की यूरोप तथा अफ्रीका में बड़ी माँग है ।

Price of Rice

118. **Shrimati Savitri Nigam:**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state

(a) whether it is a fact that prices of rice have considerably gone up in Nagaland on account of the rice shortage there; and

(b) if so, the action taken to check the rise in price ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Sri P. Govinda Menon):

(a) & (b) No specific report of any shortage in rice or rise in prices of rice in Nagaland has been received and the demand for supply of rice from Centre made by Nagaland Administration is being met by regular monthly releases in consultation with that Administration.

मोटर गाड़ियाँ तथा मोटर तेल की खपत

119. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 के पश्चात पेट्रोल तथा डीजल तेल से चलने वाली मोटर गाड़ियों में चाहे वे सवारी हों अथवा माल ढोने वाली या अन्य प्रकार की हों कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) पेट्रोल, डीजल तेल तथा अन्य किस्मों के तेल की खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है और खपत के कुल आंकड़े क्या है।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) 31-3-1947 तक भारत में मोटर गाड़ियों की सम्पूर्ण संख्या 211949 थी। इसमें से 168368 का पंजीयन गर्वनरों और चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों में हुआ था और शेष 43581 का भूतपूर्व रजवाड़ों में। उस तारीख तक प्रान्तों में 333 डीजल इंजन की गाड़ियां थी। रजवाड़ों में डीजल इंजन की गाड़ियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

ऐसा प्राक्कलित किया जाता है कि 31-3-1965 को भारत में मोटर गाड़ियों की सम्पूर्ण संख्या 992000 थी। इसमें से 292500 डीजल द्वारा चलाई जाती थी। 6450 डीजल या पेट्रोल के अलावा अन्य ईधन से और शेष 693050 पेट्रोल द्वारा चलाई जाती थी।

(ख) 1947 में पेट्रोलियम उत्पादनों की खपत जिसमें पेट्रोल डीजल तेल इत्यादि शामिल है, लगभग 2 मिलियन टन था। 1965 में वह बढ़ कर 12 मिलियन टन हो गया था।

Strike by Dredger Drivers of Bombay Harbour

120. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Raghunath Singh:**
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 500 Dredger Drivers of the Bombay harbour have been on strike in April, 1966;

(b) whether it is also a fact that the strike was in protest against the retrenchment of some of them;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action taken to end the strike ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri N. Sanjiva Reddy):

(a) 26 dredger drivers at the Bombay Port Trust went on strike along with some other categories of employees on the 4th, 5th and 20th April, 1966.

(b) No.

(c) The Trustees of the Bombay Port sanctioned :

(i) the disposal of Hopper Barge 'Dabchik' which was 44 years old and beyond economic repairs. (ii) conversion of a Suction Dredger 'Moorhen' as a hopper barge to work in place of 'Dabchick' and (iii) working of the diesel Suction Dredger 'Vikram' on second shift. These arrangements did not involve retrenchment. Some promotions to certain higher posts were made so as to implement the decision at (iii) above. The crew of 'Dabchick' desired that the promotions on 'Vikram' should be given to them.

So for as transfers and promotions are concerned, the crew of (1) steam aud replacement vessels and (2) Diesel and Diesel Electric Vessels have separate cadres. As the crew of 'Dabchick' belong to Group (1), they could not be considered for promotion to post on 'Vikram' which belongs to Group (2).

(d) It was explained to the Union that no retrenchment was involved in the new arrangements and the strike was called off unconditionally on the 25th April, 1966.

Land under cultivation in Delhi

121. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Raghunath Singh : Shri Rameshwaranand:**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thirty thousand acres of land has not been brought under cultivation around Delhi during the last rabi season;

(b) if so the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that this land was not given to the farmers for most of the time; and

(d) whether proper arrangements for the irrigation of this land were also not made?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra):

(a) to (c) Out of 22,000 acres of land acquired, so far, under the scheme of 'large-scale aquisition, development and disposal of land in Delhi', about 5000 acres of land which was not required for immediate use, was offered for cultivation to the erstwhile cultivators for the last rabi cultivation. Actually, only 754 acres of land was cultivated.

(d) Since the land was acquired for the 'planned development of Delhi' to meet the urban needs, the question of providing irrigation facilities, in addition to what already exist, did not arise.

बकरी का दूध

122. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भोजन में अनुपूरक पोषक के रूप में बकरी के दूध के गुणों के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि हां तो इन गुणों का लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) जी हां।

(ख) कुछ वर्ष पहले भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली ने केरल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्यों में दुग्ध उत्पादन के लिये स्थानीय दुधारू किस्मों की क्षमता का अध्ययन करने के लिये बकरी-प्रजनन की योजनायें शुरू की थी। इन अनुसन्धान परियोजनाओं की समाप्ति पर राज्यों तथा महाराष्ट्र में देशी बकरियों के अभिजात रेवड़ मौजूद हैं जहां से गांवों में बकरियों की नस्ल सुधारने के लिए उन्नत नस्ल के मेढ़ें दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त चौथी योजना की अवधि में देश में डेरी टाइप के 9 बकरी–फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। बकरी सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे फार्म पर 3.75 लाख रुपये व्यय होंगे।

मुसलमानों में बहु-विवाह की प्रथा

123. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मौर्य :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुसलमानों में बहु-विवाह प्रथा पर रोक लगाने की संभाव्यता पर विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ग) क्या अन्य मुस्लिम देशों में इस मामले का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी पर्यटक

124. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री सिद्ध्या :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में आने वाले पर्यटकों में भिन्न-भिन्न और अधिक स्थानों के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ; और

(ग) उस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क), से (ग) : पर्यटन पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को राज्य सरकारों की सलाह लेकर अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रथम पर्यटक यातायात को विसरित करने के लिए और दूसरे भारत को गन्तव्य बिन्दू के रूप में समुन्नत करने के लिए कुछ चुने हुए पर्यटन केन्द्रों का समेकित रूप में विकास करने का प्रस्ताव है। चुनाव, धन की उपलब्धता, पर्यटक रुचि, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात का परिवहन से गन्तव्यता तक परिवर्तित प्रकार, सेवा किये जाने वाले पर्यटकों का टाइप (उच्च या मध्य आमदनी वर्ग, एक या वर्गों में चलने वाले पर्यटक) और राज्य के पर्यटक विकास के सम्पूर्ण प्रकार में ये स्थान कैसे फिट हो सकते हैं, क्षेत्र और देश के आधार पर किया जायेगा।

चौथी योजना में पर्यटन के लिये 25 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण उद्व्यय सूचित किया गया है।

हल्दिया पत्तन

126. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता के बिना हल्दिया में पत्तन निर्माण के लिये कोई वैकल्पिक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है; और

(ग) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नरों ने एक स्कीम बनाई है जिसके अन्तर्गत हल्दिया पत्तन भारतीय निर्माण क्षमता (पूंजी पदार्थ के लिए) और न्यूनतम विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं से बन सकेगा। यह स्कीम इसके पूर्व की स्कीम का विकल्प है जो विश्व बैंक को प्रस्तावित की गई थी। इस वैकल्पिक स्कीम की सूचना भी विश्व बैंक को दे दी गई है।

(ख) पूंजीगत उपस्करों के लिए विश्व टेंडर मगाने की अपेक्षा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में देसी निर्माण क्षमता का पूरा उपयोग किया जायेगा। विदेशी मुद्रा (क) निकर्षण क्षमता और, (ख) भारत में पूंजी पदार्थ के निर्माण के लिये संघनकों के आयात तक ही सीमित रखी जायेगी।

(ग) वैकल्पिक योजना के अन्तर्गत परियोजना की पूरी लागत लगभग 37 करोड़ रुपये प्राक्कलित की जाती है, विदेशी मुद्रा संघन 4.4 करोड़ रुपये के होंगे जो पूर्व अवमूल्यन संख्याओं पर आधारित है।

खाद्य के अभाव में मृत्यु

128. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरूआ :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री मौर्य :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० श्री निवासन :
श्री प्र० के० देव :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अभाव गस्त क्षेत्रों में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन क्षेत्रों खाद्यान्न के अभाव में इस वर्ष राज्यवार कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु होने के समाचार मिले हैं; और

(ग) लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) (1) विभिन्न राज्यों को जिनमें कमी से प्रभावित राज्य भी शामिल हैं, आयातित खाद्यान्नों का सामान्य नियतन (गेहूं और माइलो) जनवरी के 6.92 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर फरवरी में 8.58 लाख मीटरी टन और मार्च, 1966 में 10.32 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। अप्रैल, 1966 के लिये यह नियतन 8.8 लाख मीटरी टन था लेकिन इसे बढ़ाकर मई में 9.65 लाख मीटरी टन और जून, 1966 में 9.96 लाख मीटरी टन कर दिया गया। जुलाई, 1966 के लिये अब तक यह नियतन 8.68 लाख मीटरी टन किया गया है।

(2) विभिन्न कमी से प्रभावित राज्यों में बूढ़े और दुर्बल तथा काम न कर सकने वाले अन्य लोगों में मुफ्त सहायता के रूप में बांटने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहार रूप में प्राप्त गेहूँ में से 46 हजार से भी अधिक मात्रा नियत कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त, विदेशों से उपहार रूप में प्राप्त 4,000 मीटरी टन गेहूँ का आटा, 4,000 मीटरी टन माइलो, 2,912 मीटरी टन सूखे मटर और 850 मीटरी टन सेम भी कमी वाले राज्यों में मुफ्त बांटने के लिए दिए गए हैं।

(3) मित्र सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से अब तक उपहार रूप में प्राप्त 26,000 मीटरी टन दुग्धचूर्ण की मात्रा कमी से प्रभावित राज्यों को कमी वाले क्षेत्रों में दूध

बनाकर 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों, दूध पिलाने वाली तथा गर्भवती महिलाओं में मुफ्त बांटने के लिए नियत की गयी है।

(4) 1000 मीटरी टन बिस्कुटों में से जो कि विदेशों से उपहार रूप में प्राप्त होने की आशा है, 500 मीटरी टन प्राप्त हो चुके हैं और मुफ्त वितरण के लिए प्रभावित राज्यों को नियत किए गए हैं।

(5) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय ने कमी की स्थिति से पैदा होने वाली बीमारियों की रोक थाम या मुकाबला करने के लिये पर्याप्त मात्रा में विटामिन की गोलियां और अन्य दवाइयां, बेबी खाद्य आदि विभिन्न राज्यों को नियत किए हैं।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्यक्रम की जांच

129. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री धूलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1590 के उत्तर के संम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस समिति की स्थापना हो जाने की संभावना है और उसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उसके विचारार्थ विषय क्या-क्या होंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। संबद्ध अधिकारियों की सलाह से मामले पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम घाट सड़क

130. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौबहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम घाट सड़क पूरी बन गई है,

(ख) यदि नहीं, तो इस सड़क को पूरा करने में कितना समय लगेगा, और

(ग) इस सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (ग) : पश्चिम तट सड़क एक राज्य सड़क है। इसका विकास मुख्यतः सबंद्ध राज्य सरकार का दायित्व है। वित्तीय कमी के कारण इसे राष्ट्रीय राज पथ व्यवस्था में शामिल करना संभव न हो सका। फिर भी सबंद्ध राज्य सरकार की सहायता करने के लिये भारत

सरकार उसे सब रितुओं में काम आने योग्य इकहरी गली और काली सतही सड़क के रूप में विकसित करने के लिए सहायता दे रही है। सड़क का निर्माण प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है और उसके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

खेती के औजारों सम्बन्धी समिति

131. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 17 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1730 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेती के औजारों सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर केन्द्रीय तथा सात राज्य सरकारों ने और क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) शेष राज्यों के सम्बन्ध में यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) प्लान परियोजनाओं सम्बन्धी समिति द्वारा स्थापित किये गये कृषि दल ने अध्ययन पूरा कर लिया है और पंजाब, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम तथा हिमाचल प्रदेश जैसे सात राज्यों के लिए उन्नत कृषि औजारों पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। ट्रैक्टरों तथा पावर टिलरों सम्बन्धी अखिल भारतीय रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। दल की सिफारिशें लागू करने के लिये ये रिपोर्टें सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों के पास भेज दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में काफी हद तक खेती सम्बन्धी अध्ययन भी हो चुका है और इस राज्य के लिए भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। काम को पूरा करने के लिए दल की अवधि 30 सितम्बर, 1966 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) आठ राज्यों में किए गए अध्ययन के आधार पर उन्नत कृषि औजारों सम्बन्धी एक अखिल भारतीय रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है और कृषि दल ने उसे प्लान परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी है। शेष राज्यों में ये अध्ययन करने का प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में दुर्भिक्ष और सूखा की स्थिति।

132. **श्री हेम बरूआ :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री हरि विष्णु कामत : **श्री मधु लिमये :**
श्री नाथ पाई : **श्री कपूर सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री बूटा सिंह : **डा० रानेन सेना :**
श्री नारायण रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दुर्भिक्ष का सामना करने के लिये संसद् में बताये गये प्रस्तावित उपाय अपना लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समय उन क्षेत्रों की कैसी स्थिति है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) जी हाँ ।

(ख) उड़ीसा में अब सहायता कार्य अच्छी तरह संगठित और पर्याप्त पैमाने पर हैं। स्थिति अब अच्छी तरह नियन्त्रण में है और चिन्ता की कोई बात नहीं ।

वन विशेषज्ञों सम्बन्धी विश्व बैंक मिशन की केरल यात्रा

133. **श्री बारियर :** **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्रीमती विमला देवी : **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन विशेषज्ञों सम्बन्धी दो-सदस्यीय विश्व बैंक मिशन ने हाल में इसलिए केरल का दौरा किया था ताकि वह वन सामग्री पर आधारित उद्योगों का विकास करने के लिए राज्य के संसाधनों का अध्ययन कर सके ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर उनके क्या विचार हैं ;

(ग) क्या वन सामग्री पर आधारित उद्योगों का राज्य में विकास करने के लिये कोई विस्तृत योजना तैयार कर ली गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) मिशन का नाम एफ० ए० ओ०/आई० बी० आर० डी० मिशन था। इसके 4 सदस्य थे जिनमें से 3 सदस्य एफ० ए० ओ० से तथा एक विश्व बैंक से था। केरल के दौरे के समय दो सदस्य मौजूद थे और वे दोनों एफ० ए० ओ० से थे ।

(ख) मिशन के सदस्यों ने जिन शीघ्र उगने वाले वनों की किस्मों का दौरा किया था उनकी टिप्पणी उन किस्मों की सफलता के अनुकूल थीं। उनकी टिप्पणी के अनुसार ये किस्में वनों पर आश्रित उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री प्रदान कर सकती हैं। अभी तक मिशन के दौरे की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः उक्त विषय में मिशन के विचारों के विषय में कोई ज्ञान नहीं है ।

(ग) अभी विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई है ।

(घ) **और (ङ)** : प्रश्न ही नहीं होता ।

एकाधिकार (मोनोपलीज) जांच आयोग

134. **श्री बारियर :** **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **डा० रानेन सेन :**
श्री मधु लिमये : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री किशन पटनायक : **श्री धुलेश्वर मीना :**

डा० राममनोहर लोहिया : **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह : **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **विधि** मंत्री 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1576 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार जांच आयोग की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) और (ख): आयोग की सिफारिशें अभी तक सरकार द्वारा विचाराधीन हैं और इन पर अन्तिम निर्णय किये जाने की शीघ्र ही प्रत्याशा है।

भारतीय खाद्य निगम।

135. **श्री० अ० शं० आल्वा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं कि वह राज्य सरकार की सहमति के बिना वसूली द्वारा अन्यथा अनाज का समाहार कर सकता है, और

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम का राज्य सरकारों के साथ कोई ऐसा समझौता हो गया है कि अच्छी तरह से अधिक से अधिक वसूली कैसे की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमाखोरी बिल्कुल न हो ?

खाद्य, कृषि, सामूदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार ने उत्पादकों/मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी लागू कर अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने का कोशिश की है और सभी सम्भव कदम उठाये हैं। जिन राज्यों में खाद्य निगम काम कर रहा है, वहां भारतीय खाद्य निगम अधिक से अधिक अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने में कैसे सहायता कर सकता है यह भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के बीच विचार विमर्श में तय हो गया है और भारतीय खाद्य निगम इस विचार विमर्श के बाद लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्य कर रहा है।

Cochin Airport

137. **Shri Vishwa Nath Pandey :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri Maurya : **Shri Ramachandra Ulaka :**

Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Dhuleswar Meena :
Shri A. K. Gopalan :
Shri Imbichibava :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3882 on the 19th April, 1966 and state :

(a) whether Government have since finalised the details of the civil airport at Cochin ;

(b) if so, the total amount of expenditure involved, and

(c) if the reply to part (a) above be in negative, the time by which the details are likely to be finalised ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri N. Sanjiva Reddy) :

(a) to (c) Two sites, some 10 to 12 miles from Ernakulam for the location of the proposed aerodrome have been inspected and their suitability is being assessed.

उत्तर प्रदेश में भू-बन्धक (लैण्ड मारगेज) बैंकों को सहायता

137. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या खाद्य, **कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में भू-बन्धक बैंकों को ऋण देने के लिये कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश में इन बैंकों को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) केन्द्रीय सरकार ने भूमि बन्धक बैंकों को ऋण देने के लिए कोई सीधी सहायता नहीं दी है । भूमि बन्धक बैंकों को उनके ऋण-पत्र जारी करने के लिए सरकारी क्षेत्र की तीन संस्थाओं अर्थात जीवन बीमा निगम, भारत के रिजर्व बैंक और भारत के स्टेट बैंक द्वारा सहारे (सपोर्ट) के रूप में सहायता दी जाती है ।

(ख) इन तीन सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० को तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उसके ऋण-पत्रों के लिए जो सहारा (सपोर्ट) दिया वह इस प्रकार है :—

लाख रुपये में

वित्तीय वर्ष	जाती किए गए साधारण ऋण पत्रों की राशि	जिन्होंने अभिदान दिया		
		भारत का रिजर्व बैंक	भारत का स्टेट बैंक	जीवन बीमा निगम
1961-62	—	—	—	—
1962-63	35.00	—	3.50	—
1963-64	45.00	—	—	—
1964-65	100.00	19.12	10·00	30.00
1965-66	305.00	35.90	30.50	91.50
योग	485.00	55.02	44.00	121.50

(ग) वर्ष 1966-67 के लिए बैंक को 305 लाख रुपए का ऋण-पत्र कार्यक्रम एलाट किया गया है, जिसके लिए जीवन बीमा निगम, भारत के स्टेट बैंक और भारत के रिजर्व बैंक से क्रमशः 90 लाख रुपए, 36 लाख रुपए और 42 लाख रुपए तक का सहारा (सपोर्ट) मिलेगा। इस कार्य-क्रम में से बैंक मई, 1966 में 125 लाख रुपये तक के साधारण ऋण-पत्र जारी कर चुका है, जिसके लिए जीवन बीमा निगम, भारत के स्टेट बैंक तथा भारत के रिजर्व बैंक से क्रमशः 37 लाख रुपए, 15 लाख रुपए और 17 लाख रुपए का सहारा (सपोर्ट) मिला है। बैंक ने ग्रामीण ऋण-पत्रों की अपनी पहली माला भी जारी की, जिसके लिए भारत के रिजर्व बैंक का अभिदान 3.88 लाख रुपए है जो कि इस माला के लिए प्राप्त अभिदान की कुल राशि का आधा है।

अतिरिक्त साधन ढूंढ़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और यदि ये उपलब्ध हो जाते हैं, तो साधारण ऋण-पत्रों के 100 लाख रुपए के एक अतिरिक्त कार्यक्रम को सहारा देना सम्भव होगा।

उत्तर प्रदेश में कृषि में कृषि-योग्य भूमि

138. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक उत्तर प्रदेश में रेलवे से कोई कृषि-योग्य भूमि ली गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस भूमि को कृषि के लिए बाँटने के हेतु सरकार ने कौन-सा तरीका अपनाया है;

(ग) क्या खेतिहर मजदूरों तथा छोटे काश्तकारों में इस भूमि का वितरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि हेतु बाँटने के लिए 30 सितम्बर, 1965 तक रेलवे से 6262 एकड़ भूमि ली है।

(ख) से (घ) : राज्य सरकार ने रेलवे से ली हुई भूमि को बाँटने के लिए 1963 में एक योजना तैयार की थी जिसका बाँटने का तरीका निम्न प्रकार है :—

रेलवे से प्राप्त भूमि के बारे में पहले जिलाधीशों को सूचना दे दी जाती है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात जिलाधीश भूमिहीन या 6½ एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों से आवेदन पत्र माँगते हैं। यदि किसी ग्रामीण के पास पहले से ही कुछ भूमि मौजूद हो तो उसे रेलवे की फालतू भूमि इस शर्त पर दी जाती है कि उसकी अपनी तथा दी जाने वाली रेलवे की भूमि मिलकर 6½ एकड़ से अधिक न होने पाये।

इस बंटाई में भूमिहीन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। इन भूमिहीन लोगों में भी उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी भूमि सरकारी कार्य हेतु 1 जुलाई, 1952 को या इससे पूर्व अधिग्रहण की गई हो।

दूसरी प्राथमिकता लड़ाई में मृतक सैनिकों के परिवारों को दी जाती है। तीसरी प्राथमिकता राजनैतिक पीड़ितों को तथा चतुर्थ प्राथमिकता हरिजनों को दी जाती है। पाँचवीं तथा छटी प्राथमिकता भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिकों को दी जाती है।

यदि उपरोक्त प्राथमिकताओं में आने वाला कोई भी व्यक्ति भूमि लेने को तैयार न हो तो भूमि उन कृषकों को दी जाती है जिनकी अपनी भूमि 6½ एकड़ से कम हो। यदि इस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति भी भूमि न लें तो जिलाधीश किसी भी व्यक्ति को भूमि दे सकता है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर

139. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मवेशियों तथा मुर्गियों की बीमारियों की रोकथाम के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) ने चालीस भिन्न-भिन्न वैक्सीनों, पशुओं के रक्तोदकों (सीरम) तथा अन्य जीवाणु उत्पादों का काफी मात्रा में आविष्कार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) इन वैक्सीनों के परिणामस्वरूप पशुओं की बीमारियाँ बहुत कम हो गई हैं और पशु धन विकास कार्य संतोषजनक रूप से चलाया जा रहा है।

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित सहकारी कृषि सम्बन्धी गोष्ठी (सेमिनार)

140. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 17 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1750 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई क्षेत्रीय गोष्ठी का प्रतिवेदन अब सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो गोष्ठी में भारत में सहकारी खेती के विकास के बारे में क्या मुख्य सुझाव दिये गये ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र):

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान नहर में नौवहन की सुविधायें

141. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :
श्री मौर्य :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री किशन पटनायक :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री 19 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3879 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर मे नौवहन को सुविधायें देने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)

(क) और (ख) : राजस्थान नहर में नौचालन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है। स्कीम के आर्थिक मामलों की स्थापना के लिये क्षेत्र का यातायात सर्वेक्षण जो राजस्थान नहर को लाभकारी होगा किया जा रहा है। इस प्रतीक्षण के परिणामों के उपलब्ध होने पर ही निर्णय लिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

142. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के संसदीय तथा विधान-मंडलीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और सरकारी राजपत्रों में प्रकाशित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक अन्तिम रूप देकर प्रकाशित कर दिया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) जी, हां ।

(ख) 23 मई, 1966 को ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गन्ने की फसल

143. **श्री श्रीनारायण दास :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गन्ने की कैसी फसल होने की सम्भावना है; और

(ख) इस वर्ष अनुमानत: कितने एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) इस समय गन्ने की मुख्य फसल वृद्धि की प्रारम्भिक अवस्था में है; अत: इस फसल के बारे में अभी कोई पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ख) इस समय 1966-67 की गन्ने की खेती के अंतर्गत आये क्षेत्र का अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

Tourist Centres

144. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri K. N. Tiwary :**

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to provide more facilities to foreign tourists in the various parts of the country, Government propose to set up tourist centres in Banaras, Agra and other places ,

(b) if so, the main features of the scheme ; and

(c) the time by which the scheme is likely to be impeemented ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri N. Sanjiva Reddy) :

(a) to (c) : During the Second and Third Five Year Plans the Central Government established tourist information centres at four ports of entry, viz., Delhi, Bombay, Calcutta and Madras as well as at important places of tourist interest like Agra, Varanasi, Jaipur, Aurangabad and Cochin. The State Government also opened tourist information centres at about 50 places of tourist interest. During the Second Plan period the opening of the tourist information centres by the State Governments was subsidised by the Central Government to the extent of 50 percent of the cost of running such centres.

Tourist Reception Centres have also been established by the Central Government at Jalagaon (near Ajanta) and by the Government of Jammu and Kashmir at Jammu and Srinagar. It has also been proposed to construct a Tourist Reception Centre at Varanasi for which the land has already been acquired and plans and estimates are under preparation. A Tourist Reception Centre is also proposed to be built at Pathankot.

Acquisition of land for this purpose is under negotiation with the Northern Railway. The Construction of Tourist Reception Centres at Varanasi and Pathankot has been included in the fourth five year plan.

उत्तर प्रदेश में सहकारी आधार पर चीनी की मिलें ।

145 **श्री किन्दर लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या खाद्य, **कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मीलें सहकारी आधार पर चल रही हैं;

(ख) 1965-66 में लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किन-किन स्थानों की सिफारिश की थी; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) चार ।

(ख) 1965-और 1966 में राज्य सरकार ने निम्नलिखित दो स्थानों पर नये शर्करा कारखाने लगाने के लिये लाइसेंस देने की सिफारिश की थी:—

(1) गाजीपुर जिला गाजीपुर ।

(2) पलियाकलां जिला खेरी ।

(ग) गाजीपुर का मामला विचाराधीन है जब कि पालियाकलां का मामला अनुमोदित हो चुका है ।

चीनी का उत्पादन

146. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री उटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य, कृषि, **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में चीनी का कितना उत्पादन हुआ और पिछले वर्ष की कितनी चीनी स्टाक में है;

(ख) हर वर्ष देश में उत्पादित कितने प्रतिशत चीनी का निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या चीनी से नियंत्रण हटाने का सरकार का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) 1965-66 में 15 जुलाई, 1966 तक शर्करा का उत्पादन 34.52 लाख मीटरी टन हुआ था । पिछले वर्ष का बचा हुआ शेष स्टाक 6.85 लाख मीटरी टन था ।

(ख) शर्करा के निर्यात की कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं की गयी है। 18 जुलाई, 1966 तक निर्यात के लिये बेची गयी शर्करा की मात्रा, 4.30 लाख मीटरी टन है। यह मात्रा 1965-66 में 35 लाख मीटरी टन के अनुमानित उत्पादन का 12.31 प्रतिशत होती है।

(ग) और (घ) : जी नहीं। स्थिति की समीक्षा आगामी पेरने के सीज़न के शुरु में की जाएगी।

राजस्थान में भूमिगत जल की खोज

147. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन के माध्यम से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जोधपुर और सीकर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूमिगत जल की खोज के लिए राजस्थान राज्य सरकार की सहायता कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस सीमा तक सफल रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) समन्वेषी नलकूप संस्था राजस्थान सरकार को जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जोधपुर, नागपुर तथा जेलौरी ज़िलों में नलकूपों के निर्माण में सहायता दे रही है।

(ख) जून, 1966 के अन्त तक संस्था ने 223 छिद्रण किये जिनमें से 155 सफल सिद्ध हुए।

Assistance by Private Associations in Drought and Famine Areas.

148. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri K. N. Tiwary:**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) the drought and famine affected areas of the country such as Orissa, Mysore, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh where Private Associations had rendered service and the nature thereof ;

(b) whether private associations and the public in general have sent donations and other articles to Government for this purpose ; and

(c) whether Government and individuals have also received assistance from abroad for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon) : (a) and (b) : The information is being collected from the States concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is collected.

(c) The Government of India have no information about the assistance received from abroad by individuals in India. Some foreign governments and international organisations have, however, rendered substantial assistance to the Government of India in the form of cash, foodgrains, milk powder, vitamins, medicines, vehicles, etc., for relief of scarcity in India.

बनिहाल दर्रे के निकट फोक्कर फ्रेंडशिप विमान दुर्घटना की जांच

149 **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा चार्टर किये हुये हालैंड में पंजीकृत फोक्कर फ्रेंडशिप विमान की, जो कि 7 फरवरी, 1966 को बनिहाल दर्रे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, दुर्घटना की औपचारिक जाँच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

गैमन इंडिया लिमिटेड

150. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्री राममनोहर लोहिया :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गैमन इंडिया लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन में कम्पनी की विदेशों में जमा राशि के बारे में लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस कम्पनी के द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा विनियमों सम्बन्धी उल्लंघनों अथवा अन्य उल्लंघनों के बारे में जाँच की गई है; और

(ग) यदि हां। तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) जी हाँ, महोदय।

(ख) और (ग) : समवाय विभाग सम्बद्ध प्राधिकारिवर्ग के परामर्श से मामले की जाँच कर रहा है।

चुनाव सम्बन्धी खर्च

151. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :

श्री किशन पटनायक : **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चुनाव सम्बन्धी खर्चों को कम करने के उद्देश्य से सरकार का कौन से वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार चुनाव वाले दिन प्रति व्यक्ति एक गाड़ी के हिसाब से चुनाव एजेंटों, उम्मीदवारों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की प्राधिकृत गाड़ियों को छोड़ कर अन्य गाड़ियों के चलाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) क्या उम्मीदवारों द्वारा नम्बर कार्डों के जारी किये जाने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक उम्मीदवार के लिये निश्चित लम्बाई वाली दो चुनाव पत्रिकाओं (पैम्फलेटस) के लिये नि:शुल्क डाक टिकट देने का है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) भारत में तृतीय साधारण निर्वाचनों पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में निर्वाचन सम्बन्धी व्ययों पर दी गई प्रस्थापनाओं पर सरकार द्वारा सावधानी से विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि इस बारे में इस समय कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है ।

(ख) निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है और सरकार ने वह सिफारिश मान ली है कि उम्मीदवार या उस के अभिकर्ता द्वारा मतदाताओं का निशुल्क प्रवहण भ्रष्ट आचरण समझा जाना चाहिये और इसे 1000/-रू० से दण्डनीय तथा पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध बनाया जाना चाहिये ।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य

152. **श्री मधु लिमये :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री किशन पटनायक : **श्री भागवत झा आजाद :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्यों में समानता तथा उत्पादन लागत के आधार पर कृषि जन्य वस्तुओं के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों का पुनरावलोकन करने की सम्भाव्यता पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) तथा (ख) कृषि मूल्य आयोग ने औद्योगिक तथा कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्यों में समानता तथा उत्पादन लागत के आधार पर कृषि जन्य वस्तुओं के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों का पुनरावलोकन करने की सम्भाव्यता पर विचार किया है। आयोग का विचार है कि विशेषतया कुशल तथा नई रीति चलाने वाले किसानों की लागत न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है। चूंकि फार्म लागत दित्ता की उपलब्धि में कई क्रमभंग हैं, आयोग ने सिफारिश की है विश्वासनीय तथा वृहत लागत दित्ता इक्ट्ठा करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जायें ताकि न्यूनतम मूल्य निश्चित करने के लिए यथाशीघ्र वैज्ञानिक मार्गदर्शन उपलब्ध हो सके। इस सिफारिश के सिलसिले में आवश्यक अध्ययन के लिये कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मूल्य आयोग कृषि मूल्यों पर सिफारिश करते समय औद्योगिक मूल्यों की गति को भी दृष्टि में रखता है।

राज्यों द्वारा गेहूं का समाहार

153. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूँ उपजाने वाले राज्यों ने 1966 में गेहूँ की फसल के समाहार के कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है;

(ग) विभिन्न राज्यों में क्या-क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं, और

(घ) इन राज्यों द्वारा गेहूं के समाहार में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विभिन्न राज्यों में चल रहे गेहूं के खरीद भाव बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध-1) संलग्न है।

(घ) 1965-66 और 1966-67 में केन्द्रीय और राज्य सरकार के खाते में अब तक गेहूं की अधिप्राप्ति के मामले में हुई प्रगति बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध-2) संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6472 / 66]

बहुलता वाले राज्यों से चावल का समाहार।

*154 **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कपूर सिंह :

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : **श्री नारायण रेड्डी :**

क्या खाद्य, **कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में तथा कथित बहुलता वाले राज्यों से, राज्यवार, कितने चावल का समाहार किया गया;

(ख) कमी वाले राज्यों में, राज्य-वार कुल कितने चावल का समाहार किया गया; **और**

(ग) उक्त अवधि में बहुलता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को सरकारी और गैर-सरकारी साधनों के माध्यम से समाहार किया गया कितना चावल भेजा गया ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-6473/66]

Crop Insurance Scheme

155. **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri M. L. Jadhav :**

Shri P. C. Borooah :

Will the Mlnister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the States in which the Crop Insurance Scheme have been implemented so far,

(b) the main features thereof, and

(c) the steps being taken to extend this scheme to off parts of the country ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra) :

(a) Crop Insurance Scheme has not so far been implemented in any State.

(b) Model scheme is being worked out.

(c) Question does not arise in view of (a) and (b) above.

Credit available for Productive and Non-productive Purposes.

156. **Shri Sidheshwar Prasad :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) the percentage of the total credit, which was made available during 1960-65, both for productive and non-productive purposes, to the cultivators,

(b) the reasons for giving minimum amount of loan to the cultivators, and

(c) the action being taken for granting maximum amount of loan with more convenience to the cultivators?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra) :

(a) A statement is attached, giving the information for the years 1960-61 to 1963-64 (ending June, 1964) in respect of credit provided by cooperative institutions. (Placed in the Library. See No. LT-6474/66).

(b) and (c) : The average loans per borrowing member in Gujarat and Maharashtra are as high as Rs. 544 and Rs. 404, though in Assam and Bihar they are as low as Rs. 135 and Rs. 122 respectively. To strengthen the cooperative credit structure, and increase its capacity to serve the cultivators, an action programme is being implemented. The main features of this programme are :

(a) increasing the internal resources i.e., share capital and deposits of cooperatives,

(b) reorganisation of weak societies so as to create potentially viable units and assist them to become fully viable,

(c) introduction of a system of crop finance based on production requirements and repaying capacity of the cultivators,

(d) simplification of loan procedures and disbursement of required inputs in kind as far as possible.

Indo-Pak Air Services.

157. **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri P. C. Borooah :**
Shri H. N. Mukerjee : **Shri R. S. Pandey :**
Shri Yashpal Singh : **Shri D. C. Sharma :**
Shri Bagri : **Shri Kolla Venkaiah :**
Dr. Ram Manohar Lohia : **Shri Rnm Harkh Yadav :**
Shri Kishen Pattnayak : **Shri Braj Bihari Mehrotra :**
Shri Ram Sewak Yadav ; **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Kajrolkar :**
Shri Maurya ; **Shri M. Rampure :**
Shrimati Renu Chakravartty :

Will the Minister of **Transport, Aviation. Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Pakistan have requested for resumption of Indo-Pak air service, and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism : (Shri Sanjiva Reddy) :

(a) and (b) : The matter is still in the stage of discussion along with other issues relating to normalisation of relations between the two countries.

Estimated Food Requirements for 1966.

158. **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri Lahtan Chaudhry : **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri M. L. Dwivedi: **Shri Maurya :**
Shri Subodh Hansda : **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri S. C. Samanta : **Shri M. N. Swamy :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri D. C. Sharma :**

Shri Bagri : **Shrimati Ramdulari Sinha**

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) the estimated requirement of foodgrains for the year 1966 ,

(b) the percentage of the requirement likely to be met by internal production and through imports separately , and

(c) the steps taken during the last two months to improve the system of distribution ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation : (Shri P. Govinda Menon) :

(a) The requirement of foodgrains depend on a number of factors like distribution of national income, pace of urbanization, change in the food habits of the people, etc. In a developing economy like India's, most of these factors are constantly changing and it is not possible to estimate the foodgrains requirement of the country for any specific period.

(b) During the current year, 15-20 percent of the quantity of foodgrains available for consumption out of internal production will have to be imported to meet the need of Government distribution.

(c) The number of fair price shops have been increased in many parts of the country during the last two months, principal among which are as follows :

Madhya Pradesh	161
Uttar Pradesh	317
West Bengal	845
Rajasthan	381
Jammu and Kashmir	237

महाराष्ट्र में बीज फार्म

159. **श्री बागड़ी :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री मधु लिमये :**
डा० राममनोहर लोहिया : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री मौर्य : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 26 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में प्रस्तावित बीज फार्म के बारे में इस बीच निर्णय लिया जा चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) **तथा** (ख) : यदि महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक उपयुक्त भूमि उपलब्ध कर दी जाये तो सुरतगढ़ फार्म के नमूने पर महाराष्ट्र में एक केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म स्थापित करने का इरादा है। मामले पर अभी पत्र-व्यवहार हो रहा है।

केरल भूमि उपयोगकरण आदेश

160. **श्री बागड़ी :**
डा० राममनोहर लोहिया :
श्री मौर्य :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री 26 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल भूमि उपयोगकरण (यूटीलाइजेशन) आदेश में संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) तथा (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रारूप में संशोधन तथा संकलन की आवश्यकता थी और उन पर विस्तृत रूप से केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों ने विचार करना था।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से अनाज की सप्लाई।

161. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मौर्य :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री उटिया :
श्रीमती रेणुका बड्कटकी :
श्री बृजवासी लाल :
श्री रामपुरे :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को अमरीकी अनाज की सप्लाई के बारे में हाल ही में एक करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कितना अनाज आयात किया जायेगा; और

(ग) पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका ने इस वर्ष भारत को कितना गेहूँ सप्लाई करने का अब तक वचन दिया है और उस में से कितना अनाज प्राप्त हो चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क), से (ग) : इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्यानों का आयात समय समय पर

संशोधित सितम्बर, 1964 के करार के अधीन पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। अब तक निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं :—

(1) 5.2.1966 को पत्र विनिमय। सुलभ की गई अतिरिक्त निधि 1669 लाख डालर	इस राशि से लगभग 20 लाख मीटरी टन गेहूँ और 10 लाख मीटरी टन माइलो मिलने की आशा थी।
(2) 27.5. 1966 को पत्र विनिमय। सुलभ की गयी अतिरिक्त निधि 2021.1 लाख डालर।	इस राशि से लगभग 27.5 लाख मीटरी टन गेहूँ और 7.5 लाख मीटरी टन ग्रेन सोयाम (माइलों) या मक्का मिलने की आशा थी।

उपर्युक्त निधि से साथ ही पूर्व आवंटनों के प्रति 1966 के शुरू में उपलब्ध निधि से कुल लगभग 69.3 लाख मीटरी टन गेहूँ और 19.5 लाख मीटरी टन माइलों/मक्का उपलब्ध होगी इसमें से लगभग 41 लाख टन गेहूँ और लगभग 8 लाख मीटरी टन माइलों 15 जुलाई, 1966 तक भारत में आ चुका था।

कालीकट हवाई अड्डा

162, **श्री मुहम्मद काया**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे के लिये भूमि अर्जन करने की कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : भूमि अर्जन की कार्यवाहियां अभी आरम्भ नहीं की गई है। फिर भी, जमीन प्राप्ति के प्राक्कलन तैयार कर लिये गए हैं और उन पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

(ग) निर्माण कार्य जमीन प्राप्त होने के तुरन्त बाद शुरू हो जाएगा। इसी बीच, हवाई अड्डे के निर्माण के लिये प्राक्कलन तैयार करने का काम हाथ में ले लिया गया है।

Sugar Production in Bihar

163, **Shri Lahtan Chaudhry** :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5077 on the 10th May, 1966 and state :

(a) the percentage of sugar production in Bihar in comparison to the whole country;

(b) the total acreage under sugarcane production in Bihar in comparison to the whole country ;

(c) the resons for not proposing to set up even one new factory in Bihar during the Fourth Plan period when the Government of Bihar sent applications for eleven new factories in the public sector, and

(d) whether those applications have been disposed of or they are still pending and if pending, the reasons for delay in their disposal ?

The Dy. Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde)

(a) The percentage of sugar production in Bihar in comparison to the whole country in 1965-66 (upto 7th July, 1966) works out to 10.8.

(b) The total acreage under sugarcane in Bihar during 1965-66 is estimated to be 417000 acres in comparison to 6401000 acres for the whole country.

(c) Applications for setting up of eleven new cooperative sugar factories in Bihar were received after the first batch of licensing had been completed.

(d) The applications are still pending and will be considered shortly alongwith pending applications from other States.

Central Agricultural Farms with Russian Collaboration

164. **Shri Naval Prabhakar :** **Shri M. L. Dwivedi :**
Dr. L. M. Singhvi : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Linga Reddy : **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. R. Chakraverti : **Dr. P. Srinivasan :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri Karni Singhji :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether more Central agricultural farms on the pattern of Suratgarh farm are proposed to be set up in the country ;

(b) the number of such farms ;

(c) the locations of these farms ,

(d) the expenditure involved therein , and ,

(e) whether any foreign collaboration is to be sought for the purpose ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri. S. D. Misra) :

(a) to (d) It is proposed to set up fifteen Central Mechanised Farms during the Fourth Five Year Plan in States where suitable land can be made available. The expenditure on these farms will depend on several factors, such as the size of the farm, the cost of reclamation, etc. and may differ from from to farm. The details of expenditure will be worked out as and when the land becomes available. The cost of machinery is expected to be about Rs. 31 lakhs per farm on an average.

(e) The collaboration of the U. S. S. R.has been sought mainly in respect of the supply of machinery for setting up the farms.

उड़ीसा में चीनी की मिलें :

165. **श्री मौर्य :** **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री रामसेवक यादव :**
श्री बागड़ी : **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री किशन पटनायक : **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 26 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की चीनी की मिलों के विस्तार सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) **और (ख) :** अभी नहीं जी, राज्य सरकार से गन्ने की उपलब्धि के बारे में जो अन्तिम स्थिति मांगी गयी थी, वह अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

अमरीकी खाद्य परिष्करण उद्योग ।

166. **श्री मौर्य :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक : **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बागड़ी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 26 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित हमारे मिशन ने अमरीकी खाद्य परिष्करण उद्योग के प्रतिनिधि मण्डल के, जो कुछ समय पहले भारत आया था, प्रतिवेदन का पाठ (टैक्स्ट) अब भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मैनन):

(क) जी हां ।

(ख) वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास से मिली रिपोर्ट की एक प्रति जिस में अमरीकी खाद्य दल (गैर-सरकारी क्षेत्र) के प्रतिनिधिमण्डल की सिफारिशें दी गयी हैं, संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एलटी० 6475/66] ।

(ग) दल ने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार को उन के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इस सामले में भारत सरकार को कोई भी विशिष्ट कार्यवाही नहीं करनी है, और न ही संयुक्त राज्य सरकार से इस बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ।

राष्ट्रीय सड़क बोर्ड

167. **श्री मौर्य :** **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 26 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4397 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मोटर गाड़ी संख्या संघ (फिड्रेशन) द्वारा अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में राष्ट्रीय सड़क बोर्ड बनाने के बारे में की गई मांग पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी० 6476/66]

केरल में भारत अमरीकी मत्स्य-पालन निगम

168. **श्री नम्बियार :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रस्तावित भारत अमरीकी मत्स्य-पालन निगम के स्थापित किये जाने की शर्तें क्या हैं; और

(ख) क्या मछली पकड़ने तथा उन्हें बेचने के मामले में अमरीका को प्रबन्धाधिकार देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन):

(क) और (ख) : केरल में एक पब्लिक लिमिटिड कम्पनी की स्थापना करने के बारे में अभी तक अमरीकन फर्म के साथ सहयोग की शर्तों के बारे में बात-चीत चल रही है।

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

169. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री मधु लिमये :**

श्री नारायण दास : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 10 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5039 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर अब विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) और (ख) : इस मामले की जाँच की जा रही है और इस प्रस्ताव के बारे में अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक संघ के विचार अभी प्राप्त होने हैं।

विमान का किराया

170. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री बूटा सिंह

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों के यात्री किराये तथा अधिक सामान ले जाने के किराये और एयर इंडिया की उड़ानों के किराये बढ़ा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विमान किराये कितने बढ़ा दिये गये हैं तथा नये किराये पुराने किरायों की तुलना में कैसे हैं; और

(ग) इस बारे में विमान यात्रा करने वाले लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) : जी, हाँ ।

(ख) : एयर इंडिया के भारतीय रुपयों में संशोधित किराये अवमूल्यन से पहले के किरायों से 57.5 प्रतिशत अधिक हैं । जहाँ तक इंडियन एयरलाइंस का सम्बन्ध है, भारतीय मुद्रा में बढ़ोतरी, डालर में और/या स्टर्लिंग पाउण्डों में अवमूल्यन से पहले के विमान-किरायों को विनिमय की नयी दर पर रखने के ठीक अनुपात में है ।

(ग) यात्रा करने वाली जनता की प्रतिक्रिया के बारे में इतनी जल्दी जानना मुमकिन नहीं है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय किराये दो मूल मुद्राओं में अर्थात् पाउण्ड स्टर्लिंग और यू० एस० डालर में बताये जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के सभी सदस्यों को इस संस्था द्वारा इन मुद्राओं में अनुमोदित किरायों को रखना पड़ता है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के सदस्य हैं ।

समय का मूल्य

171. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मौर्य :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य,, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार ने 'सिंगल सुपर फास्फेट' के कारखाने से निकलते समय के अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की प्रथा को बन्द करने का निश्चय किया है और उर्वरक कारखानों को खुद अपने मूल्य निर्धारित करने के अधिकार दे दिये हैं; और

(ख) उत्पादकों द्वारा उर्वरकों के मूल्यों में अनुचित वृद्धि के विरुद्ध किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी हां। भविष्य में कारखाने नहीं अपितु फर्टिलाइज़र एसोसिएशन आफ इण्डिया (जोकि अधिकाँश सुपरफास्फेट विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है) ही कारखाने से निकलते समय का मूल्य निर्धारित करेगा।

(ख) कानूनी तौर पर सुपरफास्फेट के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं था। फिर भी, विनिर्माताओं ने उर्वरकों के मूल्यों की अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए निम्न उपाय किये हुए हैं:-

(1) फर्टिलाइज़र एसोसिएशन आफ इण्डिया समय-समय पर फैक्ट्री से निकलते समय के मूल्यों को निर्धारित व संशोधित करेगा। ऐसा करते समय वह उस फार्मुले पर अमल करेगा जो भारत सरकार द्वारा अपनाया जा रहा था।

(2) फर्टिलाइज़र एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा प्रत्येक फैक्ट्री के लिए निर्धारित किए हुए मूल्यों के विषय में समय समय पर राज्य सरकारों, उत्पादक तथा जनता को जानकारी दी जायेगी।

(3) एसोसिएशन ने आश्वासन दिया है कि वह आन्तरिक अनुशासन को ठीक-ठाक रखने के लिए कदम उठायेगा और यह भी देखेगा कि निर्धारित मूल्यों के विषय में व्यापक प्रचार किया जाए और समस्त संस्थायें उन पर अमल करें।

(4) सल्फर की कमी के कारण सुपरफास्फेट के उत्पादन में हुई कमी की पूर्ति के लिए सरकार ने काफी मात्रा में संश्लिष्ट उर्वरकों की मात्रा का आयात करने की व्यवस्था की है।

बन्दरगाहों की अनाज लादने और उतारने की क्षमता

172. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री भागवत का आजाद :
श्री म०ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० श्रीनिवासन :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बड़े बीच के (इंटरमीडियेट) बन्दरगाहों पर पहुँचने वाले अनाज को उतारने की व्यवस्था पूरी हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा व्यौरा क्या है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : गत वर्ष सूखा पड़ने के फलस्वरूप खाद्य स्थिति बहुत बिगड़ गयी थी, इसलिए यह आशा थी कि अनाज का आयात काफी अधिक बढ़ाना पड़ेगा। यह निर्णय किया गया था कि ऐसी योजनाएं बनायी जांय जिससे पत्तन वर्षा के महीनों के अलावा अन्य महीनों में 12 लाख टन प्रति मास और मानसून के महीनों में 9 लाख टन प्रति मास खाद्यान की निकासी कर सकें। तदनुसार 12 लाख टन प्रति मास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनाज धरने-उठाने

की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई आमानी उपाय किये गये। उन उपायों में ये शामिल हैं :— माल उतारने की अतिरिक्त मशीनों का आयात, धरने-उठाने के पत्तन उपस्कर का आयात, पत्तन से देश के अंदरूनी भागों तक अनाज भेजने के लिए रेल के वैगनों में वृद्धि करना, विभिन्न पत्तनों पर खाद्यान्न मजदूरों की संख्या में काफी वृद्धि करना, डाक से रेल-लदान केन्द्रों तक सड़क परिवहन में और पत्तन से दूर स्थित स्थानों तक के सड़क परिवहन में भी वृद्धि करना, पत्तन ट्रांजिट शेडों में अनाज उतारने की सुविधाओं में सुधार, अमेरिका के पत्तनों से अनाज लाने के लिए सुपर टैंकरो को प्रयोग में लाना, धारा के बीच में स्थित जहाज से दूसरे जहाज में माल उतारने और प्रतीक्षा करते हुए जहाजों के बगल से माल उतारने के लिए तटीय जहाजों और बजरों को प्रयोग में लाना और प्रत्येक पत्तन पर प्रति दिन माल धरने-उठाने की प्रगति पर नजर रखने के लिए बड़े पत्तनों पर अंतर विभागीय समितियों की स्थापना।

राज्यों में बीज निगम

173. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मौर्य :
श्री मधु लिमये :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 26 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में बीज निगम स्थापित करने के बारे में निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) तथा (ख) : मामला अभी राज्य सरकारों के विचाराधीन है। किसी राज्य सरकार से अभी तक कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पशुओं की गणना

174. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस वर्ष में पशुओं की गणना की गई थी; और

(ख) उस गणना के अनुसार देश के दूध न देने वाले और अलाभप्रद पशुओं की संख्या कितनी कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) पशुओं की पिछली गणना चालू वर्ष के दौरान 15 अप्रैल, 1966 को हुई।

(ख) 1966 में हुई पशुओं की गणना के नतीजे अभी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी 1961

में हुए पशुओं की गणना के अनुसार दूध न देने वाले और अलाभप्रद पशुओं तथा भैंसों की संख्या निम्नलिखित थी:--

		पशु	भैंसें
1.	**अलाभप्रद:—जो तीन वर्षों से अधिक से प्रजनन तथा कार्य के अयोग्य हैं।**	(हजारों में)	
	(क) पुलिंग	1496	254
	(ख) स्त्रीलिंग	1052	298
2.	**तीन वर्षों से अधिक से दूध न देने वाली गायें तथा भैंसें**	पशु (हजारों में)	भैंसें
	(क) दूध न देने वाले	25016	9495
	(ख) जिनके एक बार भी बच्चा नहीं हुआ।	5319	2280

दिल्ली में आलू के लिये शीतागार (कोल्ड स्टोरेज)

175. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू उत्पादकों को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में शीतागारों की कमी के कारण शीतागारों में आलू जमा करके रखने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) दिल्ली में आलू की फसल वाली कुल भूमि को ध्यान में रखते हुए शीतागार सुविधायें पर्याप्त हैं। किन्तु दिल्ली में अधिक जन-संख्या होने के कारण आलू केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के बाहर से मंगाये जाते हैं। शीत संग्रहण पड़ौसी कस्बों में भी किया जाता है। मोटे तौर से कहा जा सकता है कि सुविधायें काफी थीं और दिल्ली प्रशासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। चौथी योजना में शीतागारों के लिए व्यवस्था की गई है। यदि दिल्ली प्रशासन बहुत अधिक आवश्यकता समझे तो उसके प्रस्तावों पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

पंजाब में सहकारी आन्दोलन

176. **श्री दलजीत सिंह :** **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को राज्य में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये 1965-66 और 1966-67 में कितना ऋण अथवा सहायता दी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार को सहकारी विकास योजनाएं कार्यान्वित करने के

लिए वर्ष 1965-66 में 58.74 लाख रुपये का ऋण तथा 25.96 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था। वर्ष 1966-67 में अभी तक 2.19 लाख रुपये का ऋण तथा 0.44 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है। योजना परिव्यय के आधार पर मिलने वाली और सहायता, जब कभी भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे, दी जाएगी।

पंजाब में सूखे की स्थिति

177. **श्री दलजीत सिंह :** **श्री गुलशन :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में हिसार, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, ऊना, हमीरपुर, पठानकोट तथा गढ़शंकर, होशियारपुर और दसूया तहसीलों के कुल भागों में सूखा पड़ा है,

(ख) क्या यह भी सच है कि लोग भूख से मर रहे हैं और चारे की कमी के कारण ढोर मर रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो पंजाब के इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में **राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन):**

(क) 1965 में मानसून के असफल रहने के कारण पहले पहल हिसार, रोहतक और महेन्द्रगढ़ के जिलों में सूखा की स्थिति पैदा हुई। बाद में सर्दी की आरम्भिक वर्षा के असफल रहने से राज्य के अन्य कुछ भागों में भी सूखा की स्थिति पैदा होने लगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय दल ने स्थिति का मूल्यांकन करने और वहाँ पर किये जाने वाले सहायता कार्यक्रमों के बारे में सिफारशें करने के लिये मार्च, 1966 के पहले सप्ताह में हिसार, महेन्द्रगढ़ और रोहतक जिलों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दल के अनुसार प्रभावित गाँवों में खाद्यान्नों की अच्छी पर्याप्त सप्लाई है और वहां पर चारे या पीने के पानी की असाधारण भारी कमी नहीं है। दल ने यह भी देखा कि राज्य ने उचित मूल्य की दुकानें तथा चारा डिपो खोलकर और पीने का पानी सुलभ कर जो कदम उठाये हैं वे पर्याप्त रूप से उचित थे।

पंजाब सरकार ने अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुधारने और लोगों को लाभकारी रोजगार देने के लिये सहायता कार्य जैसे कि सड़कें, जोहड़, लिफ्ट सिंचाई योंजनाएं और भूमि संरक्षण कार्य शुरु किये हैं। 1965-66 और 1966-67 में सहायता कार्यों, पानी की सप्लाई, चारे पर उपदान तकावी ऋणों आदि के लिये निम्नलिखित राशि स्वीकार की गयी हैं:—

जिले का नाम	स्वीकृत राशि
हिसार	1,35,33,000
रोहतक	7,50,000
महेन्द्रगढ़	26,25,000

जिले का नाम	स्वीकृत राशि
होशियारपुर	14,00,000
गुडगांवां	6,00,000
कांगड़ा	7,00,000

प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित पैमाने पर भूमि राजस्व में छूट देनी मंजूर की गयी है:—

(1) जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुँची — पूरी छूट

(2) जहाँ क्षति 50 प्रतिशत से कम और 25 प्रतिशत से अधिक थी — 75 प्रतिशत छूट

ऐसे क्षेत्रों में 1966 की खरीफ फसल तक तकावी ऋणों की वसूली स्थगित करने के आदेश भी दिये गये हैं। जिला अधिकारियों को ये अनुदेश भी दिये गये है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में बीज और चारे के लिये उदारतापूर्वक ऋण देवें।

मिजो पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न का अभाव।

179. **श्री प्र० चं०बरुआ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो जिलों के उपद्रवग्रस्त पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न का बड़ा अभाव होने की संभावना है, और

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या आपात्कालीन कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में दोनों सड़क तथा हवाई मार्ग से खाद्य पदार्थ भेजे जा रहे हैं।

चाटा में सहकारी चीनी कारखाना

180. **श्री कृष्णपाल सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चाटा, जिला मथुरा में एक सहकारी चीनी का कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी प्राप्त करने के लिए आगरा, अलीगढ़ और एटा जिलों के साथ मथुरा का रेलवे और सड़क संचार-व्यवस्था का सम्पर्क उत्तम है, क्या सरकार ने चाटा की बजाये मथुरा में सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने की संभावना पर विचार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी हां, सहकारी समिति के प्रवर्तकों से उत्तर प्रदेश में चाटा, जिला मथुरा में एक सहकारी चीनी का कारखाना स्थापित करने हेतु लाईसेंस देने के लिए एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) लाइसेंस के आवेदन-पत्र पर निर्णय करते समय सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

नलकूपों का उपयोग में लाया जाना

181. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य ,कृषि ,सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में बिजली के अभाव में एक हजार से अधिक गहरे नलकूपों का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हाँ, तो उनके लिए बिजली देने के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सिंचाई के लिए इन सभी नलकूपों का अधिक से अधिक उपयोग किये जाने की कोई संभावना है और इन सभी नलकूपों से अब तक कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) **और** (ख) :

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1430 खोदे हुए तथा पम्प सैटों सहित 572 पूर्ण हुए नलकूपों में से 480 सरकारी नलकूपों को बिजली दी गई । राज्य सरकार से नलकूपों को बिजली मुहैय्या करने के काम को गतिमान करने के लिए अनुरोध किया गया है । योजना आयोग ने 1966-67 में गावों में बिजली मुहैय्या करने तथा 810 नलकूपों को बिजली देने के लिए 100 लाख रुपए का व्यय मंजूर किया है ।

(ग) राज्य सरकार पर जोर दिया गया है कि वह बने हुए सरकारी नलकूपों से भरपूर लाभ उठाने के लिए कदम उठाये । मार्च, 1966 में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1964-65 में नलकूपों से वास्तव में 19,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की गई जबकि 31 मार्च 1965 तक काम कर रहे 293 राज्यकीय नलकूपों की 42850 एकड़ भूमि को सिंचित करने की क्षमता थी ।

Translation of Acts

183. **Shri K. N. Tiwary :** **Shri Bibhuti Mishra :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of Acts translated into different regional languages by the Centre ; and

(b) the extent to which the utility of these translated versions has increased among the lawyers, judges and the common public ?

Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhai Raman) :

(a) The number of Acts translated into various regional languages is as shown hereunder:

Placed in the Library. See No. L. T. 6477/66

(b) It is too early, at this stage, to assess the utility of these translations for lawyers, judges and the common public.

खाद्यान्न लाने वाले जहाज "सुरेटें" से माल न उतारने के कारण विलम्ब शुल्क ।

184. **श्री राजदेव सिंह :** **श्री बालकृष्ण सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में अनाज लाने वाले अमरीकी जहाज सुरेटें को निश्चित समय में पूरी तरह अनाज नहीं उतारे जाने के कारण 1,000 पौंड पावना का विलम्ब शुल्क दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हानि के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की हानि न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन):

(क) : जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Imported Foodgrains From U. S. A.

185. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether the foodgrains imported from U. S. A. are unloaded on the coastal ships ;

(b) if so, the means of transporting foodgrains to other parts of country ,

(c) whether all those means are Government owned , and

(d) if not, the amount of expenditure involved on this work ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govind Menon) :

(a) Imported foodgrains from the U. S. are usually unloaded directly from the vessels on to the wharf, or into lighters in the case of minor ports. In view of the unprecedented heavy arrivals during the months of April-June, 1966, mid-stream vessel-to-vessel discharge was also resorted to at Bombay and one coastal vessel and a large number of barges were hired at this port for this purpose. Similarly, overside discharge into barges and flats of the River Steam Navigation Company has been taken up at Calcutta. Some super-tanker vessels were also chartered for bringing grain from the U. S. and these vessels discharged in mid-stream into small tankers or coastal vessels. This operation was, however, performed by the vessel owners of the super tankers under the terms of the Charter Party.

(b) to (d) After discharge and clearance at ports, grain is transported mostly by rail to different consumption centres in the country. Some quantities have also been carried by road over considerable distances, particularly from Kandla and in coastal vessels from Kandla to the minor ports in Gujarat and from Bombay to Marmagoa. Only a portion of the road movement from Kandla to Ahmedabad and the entire movement by coastal vessels from Kandla to the minor ports in Gujarat and from Bombay to Marmagoa has been by means not owned by Government. The expenditure on this account has been approximately Rs. 14 lakhs so far.

Enquiry into fire in vessels carrying Chemicals

186. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :**

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3552 on the 12th April, 1966 and state :

(a) whether the enquiry into the causes of the break-out of fire in ships laden with chemicals has since been completed :

(b) if not, the time likely to be taken to complete the enquiry ; and

(c) the total value of the chemicals with the description thereof ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism : (Shri N. Sanjiva Reddy) :

(a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The total value of the chemicals could not be ascertained. However, particulars of the chemicals carried by the three vessels are as follows :

Padow 'Lakshumi' :	Diacetone alcohol
	Hydrosulphite of soda
	Red Oxide
	Synthetic Iron oxide brown
	Isoamyl alcochol
Padow 'Rampersad' :	Iso propyl alcohol
	Allyl Chloride
	Triethylamine
	Aceton chemrein
	Celluloid
	Red Phosphorous
	Trichloro benzene
	Nitro cellulose chips
	Copyrex solution
	Touleune
	Pyridine base
	Methyl Ethyl Ketone Peroxide
Machwa 'Mohmudi' :	Iso propyl alcohol
	Celluloiding compound
	Cyclohexan and chemicals

सुपारी का व्यापार

187. **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपारी की खेती तथा व्यापार के विकास के लिये एक विकास समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब बनाई गई थी; और

(ग) 1 जून, 1966 तक इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) जी हाँ। सुपारी की खेती तथा व्यापार के विकास के लिये एक भारतीय सुपारी विकास परिषद बनाई गई है।

(ख) फरवरी 1966 में।

(ग) परिषद की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

भूमिहीन श्रमिकों का पुनर्वास

188. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में भूमिहीन श्रमिकों को ग्रामदान तथा भूदान क्षेत्रों में बसाने के लिये नियत की गई धनराशि का पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है ;

(ख) लोगों को जिन क्षेत्रों में बसाया गया है क्या वहाँ उनकी आर्थिक प्रगति का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) तीसरी योजना अवधि में भूमिहीन श्रमिकों को ग्रामदान तथा भूदान क्षेत्रों में बसाने के लिए नियत की गई एक करोड़ रुपए की धनराशि में से राज्य सरकारों की 50.123 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में सूखे की स्थिति

189. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में सूखे के कारण पश्चिमी बंगाल में पटसन और धान की खेती पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या पटसन की खेती कम हो गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो चालू वर्ष में कितने प्रतिशत भूमि में खेती हो रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) पश्चिम बंगाल में मौसमी हालात अनुकूल नहीं है, इसलिए पटसन तथा धान की अगेती फसलों को किसी हद तक काफी हानि हुई है।

(ख) पता चला है कि इस वर्ष पटसन की बुवाई के क्षेत्र में कमी हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Vice-Chancellors of Agricultural Universities

190. **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the number of the Agricultural Universities in India having arrangements for post-graduate studies ,

(b) whether it is a fact that Vice-Chancellors of some of the Agricultural Universities having post-graduate course are not even Graduates in any faculty, and

(c) if not, the academic qualifications of the present and the last two Vice-Chancellors of Rudarpur University in Uttar Pradesh ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra) :

(a) Eight.

(b) No.

(c) The present Vice-Chancellor of U. P. Agricultural University, Pantnagar (referred to as Rudarpur University) is Shri D. P. Singh, who is M. A. LL. B. The two earlier Vice-Chancellors were Shri K. A. P. Stevenson, M. A. (Oxon) and Raja Bajrang Bahadur Singh of Bhadri whose academic qualifications are not available with the University.

Dakota Service

191. **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state the profit accrued to the I. A. C. by operating Dakota service during 1965-66 ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri N. Sanjiva Reddi) :

The Dakota operations of the Indian Airlines Corporation are uneconomic. The deficit during the year 1965-66 on Dakota operations was of the order of Rs. 213.58 lakhs.

सहकारी क्षेत्र में चीनी की मिलें

192. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादक निरन्तर यह मांग करते रहे हैं कि सहकारी क्षेत्र में चीनी की मिलों की स्थापना सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, और :

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रिटेन में नाविकों (सीमैन) की हड़ताल

193. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में हुई नाविकों की हड़ताल से भारत और अन्य देशों के बीच नौपरिवहन सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इससे सामान के देश में आने और देश से बाहर जाने में कहां तक बाधा पड़ी है; और

(ग) इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इस सम्बन्ध में सुचारू रूप से काम चल सके ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां

194 **श्री उमानाथ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मई, 1966 में त्रिचूर में हुए केरल के पंचायतों के प्रधानों के दो-दिवसीय सम्मेलन में पास किये गये इस आशय के संकल्प की ओर दिलाया गया है कि यदि पंचायती राज अधिनियम में उपबंधित व्यापक शक्तियां दिसम्बर, 1966 की समाप्ति से पहले नहीं दी जाती तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) और (ख) : प्रश्नास्पद संकल्प अभी तक केन्द्रीय सरकार के नोटिस में नहीं आया है । इसकी एक प्रति राज्य सरकार से मांगी गई है । साथ ही उनके द्वारा उस पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट भी माँगी गई है ।

अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक भूमि की सिंचाई

195. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम से कम 50 लाख टन अधिक चावल उत्पादन करने के उद्देश्य से 1 करोड़ 10 लाख एकड़ नई भूमि पर सिंचाई करने का सरकार विचार कर रही है ,

(ख) यदि हां, तो यह योजना कितने जिलों में और कितने राज्यों में लागू होगी ; और

(ग) इन सिंचाई कार्यों पर प्रारम्भ में कितना खर्च होगा तथा योजना की इन परियोजनाओं को जारी रखने पर कितना खर्च आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) से (ग) : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय ने कम से कम 50 लाख मीटरी टन अधिक चावल उत्पादन करने के उद्देश्य से 1 करोड़ 10 लाख एकड़ नई भूमि पर सिंचाई करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है। फिर भी, सिंचाई तथा बिजली के केन्द्रीय राज्य मन्त्री द्वारा "प्लानिंग फार राईस इन अबन्डन्स" नामक पुस्तिका में यह विश्लेषन किया गया है कि चावल उत्पादन करने वाले 6 राज्यों के 53 चुनिन्दा जिलों में कुछ नई तथा चालू परियोजनाओं पर 400 करोड़ रुपये के व्यय से 1 करोड़ 10 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है और इससे चावल उत्पादन में 50 लाख टन तक वृद्धि हो सकती है।

मिट्टी हटाने की भारी मशीनों को चलाने का प्रशिक्षण

196. **श्री तुलाराम :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री वसुमतारी ·**

क्या **परिवहन, उड्डयन नौहवन, तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी हटाने की भारी मशीनों को चलाने तथा उनके रख-रखाव के लिये भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के बारे में भारत तथा रूस के बीच एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी शर्तें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : रूस की दो कंपनियां मेसर्स मचीनोंइक्सपोर्ट, मास्कों और मेसर्स ट्रैक्टो-रोइक्सपोर्ट, जो कुछ सड़क निर्माण-उपस्कर दे रहे हैं, 5 भारतीय इंजीनियरों को 4 महीने की प्रशिक्षण देने के लिये मान गये हैं। यू० एस० एस० आर० में ये रूसी कम्पनियां प्रशिक्षण व्यय, खाने व रहने का व्यय, डाक्टरी सहायता और अन्तर्परिवहन का खर्च पूरा करेगी। इन इंजीनियरों का हवाई जहाज का भाड़ा, वेतन, जेब खर्च और प्रशिक्षण की अवधि का बीमा भारत सरकार देगी।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायता

197. **श्री वाड़ीवा :** **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री चांडक : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 26 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि (नेशनल एग्रीकल्चरल स्टेबलाइजेशन फंड) में से मध्य प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंक को 328.50 लाख रुपये की राशि मंजूर करने सम्बन्धी राज्य सरकार की सिफारिश पर अब कोई निर्णय कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

जी हां । भारत के रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि (नेशनल एग्रीकल्चरल स्टेबलाइजेशन फंड) में से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक की स्थिरीकरण निधि में उपलब्ध धनराशि में वृद्धि करने के लिए 197.13 लाख रुपये की राशि मंजूर की है । यह 27 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणो में परिवर्तित करने के लिए है ।

केरल में चावल का दाम

198. **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह क्या सरकार को मालूम है कि केरल के खुले बाजार में चावल के दाम बढ़ रहे हैं;

(ख) केरल के खुले बाजार में आज कल प्रति किलोग्राम चावल का दाम क्या है;

(ग) क्या सरकार दामों को बढ़ने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने के हेतु विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(क) केरल में चावल का अधिकतम मूल्य केरल चावल (अधिकतम मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1965 के अधीन निर्धारित किया गया है । अत: खुले बाजार में इन मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) सारे केरल राज्य में अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू कर दी गयी है जहां गत वर्ष अनाजों की बाजार उपलब्धि का 83 प्रतिशत नियन्त्रित मूल्यों पर उचित मूल्य की दुकानों और राशन व्यवस्था से सप्लाई किया गया था । केरल में चावल की विभिन्न किस्मों का अधिकतम नियन्त्रित मूल्य परचून में निम्न प्रकार है :—

कोर्स	रु०	0.79 प्रति किलोग्राम
मध्यम	रु०	0.81 ,, ,,
बढ़िया	रु०	0.88 से
	रु०	0.90 ,, ,,

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Lateral Road to Assam

199. **Shri Mohan Swarup :** **Shri Lahtan Chaudhary :**

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :-

(a) the time by which construction work of the Lateral Road upto Assam via-Pilibhit is likely to be completed :

(b) the progress made so far in this work in different sectors State-wise, and

(c) the expenditure likely to be incurred on construction of the road ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri N. Sanjiva Reddy (a) to (c) : A statement containing the requisite informaion is attached.

Placed in the Library See No. (L T-6478/66)

Taichung Paddy Crop

200. **Shri Mohan Swarup :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received a complaint that Taichung-Native 1 paddy crop is infested with Bacterial elite disease which can prove infectious for other paddy crops ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation : (Shri S. D. Misra) :

(a) and (b) No formal complaint has been received. However, Taichung Native I variety of paddy is susceptible to Bacterial blight. Suitable precautions have been prescribed to overcome Bacterial blight including antibiotic spraying which, if done, according to routine should ensure the crop against Bacterial blight. Bacterial blight is present in the country and has been noticed prior to introduction of Taichung Native I to the country. Resistence of varieties to Bacterial blight varies.

Taichung Native I is highly responsive to fertilizer application and is the main stay of the increased agricultural production in Taiwan from where it hails. Subject to precautions being taken Government are confident that this variety is capable of increasing the production of paddy substantially.

खाद्यान्न का आयात

201. **डा० श्रीनिवासन :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1964-65 और 1965-66 में खाद्यान्न के आयात के लिए विभिन्न बन्दरगाहों पर विलम्ब शुल्क (डैमरेज) के रूप में कितनी राशि दी; और

(ख) बन्दरगाहों से शीघ्र खाद्यान्न उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन):

(क) भारत सरकार ने भारत की विभिन्न बन्दरगाहों पर 1964-65 और 1965-66 के प्रत्येक वर्ष में कुल निम्न विलम्ब शुल्क दिया:—

वर्ष	दिया गया विलम्ब शुल्क
1964-65	रु० 32.07 लाख
1965-66	रु० 11.44 लाख

उसी अवधि में माल शीघ्र उतारने के कारण अर्जित शीघ्रता पुरस्कार की राशि अनुमानतः निम्न प्रकार है:—

वर्ष	अर्जित शीघ्रता पुरस्कार
1964-65	रु० 32.53 लाख
1965-66	रु० 51.86 लाख

(ख) अनाज के आयात में वृद्धि होने से बन्दरगाहों पर तत्परता से अनाज हैण्डलिंग क्षमता बढ़ानी पड़ी विशेषतया 1964 के मध्य में जब बहुत सी बड़ी बन्दरगाहों पर भारी जमाव हो गया था। तब से विभिन्न बन्दरगाहों पर माल उतारने और उसकी निकासी बढ़ाने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं और इन परिणामों के फलस्वरूप अनाज हैण्डलिंग क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। किये गये उपायों में ये उपाय शामिल हैं—अनाज उतारने वाली मशीनों की संख्या में वृद्धि, बोरियां भरने, सिलाई करने, ट्रकों और वैगनों में अनाज लादने के लिये मजदूरों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि, सभी बन्दरगाहों पर रेल के वैगनों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि, सड़क परिवहन में वृद्धि, छोटी बन्दरगाहों का प्रयोग, गोदियों के बाहर जल-धारा में सुपर टैंकर विर्सजकों का उपयोग, तटीय जहाजों में जल-धारा लाइटर नौकाएं और इन सम्बन्धित सभी एजेंसियों के बीच निकट तालमेल रखना।

मद्रास बन्दरगाह में बैलों से चलने वाले ट्रक

202. **डा० प० श्रीनिवासन :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन न्यास ने अप्रैल, 1966 से बैलों से चलने वाले ट्रक चलाने बन्द कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनकी ओर से कोई अभ्यावेदन दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) 1 अप्रैल 1966 से बन्दरगाह क्षेत्र में बैलगाड़ियों का चलाया जाना बन्द कर दिया गया है।

(ख) यातायात की वृद्धि के साथ, बन्दरगाह से माल की शीघ्र निकासी के लिये और गंभीर यातायात अवरोध दूर करने के लिये बन्दरगाह में तेज चलने वाली गाड़ियों का व्यवहार करना आवश्यक हो गया है।

(ग) और (घ) : जी हां, प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि बन्दरगाह में बैलगाड़ियों के चलाये जाने को रोकने के निर्णय में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

तूतीकोरिन बन्दरगाह

203. **डा प० श्रीनिवासन :**

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन बन्दरगाह का नाम वी० ओ० चिदाम्बरम पिल्ले बन्दरगाह रखने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : इस बारे में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए है । सामान्यतया सरकार स्थानों के नामों में परिवर्तन करने की प्रवृति को अनुत्साहित करना चाहती है, जब तक कि जिन नामों को प्रयुक्त करने के लोग आदी हो गये हैं उनमें परिवर्तन करने के कोई विशेष कारण न हों ।

प्रबन्ध अभिकरणों (मैनेजिंग एजेन्सीज) की अवधि बढ़ाना

204. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री द्वारका दास मन्त्री : **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री काजरौलकर :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1966 के अन्त में अथवा 1967 के आरम्भ में समाप्त होने वाले प्रबन्ध अभिकरणों की अवधि बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो किन किन अभिकरणों की अवधि बढ़ाई गई है तथा कितने समय के लिये; और

(ग) देश में प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को समाप्त करने के प्रश्न का क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) से (ग) : सरकार द्वारा प्रबन्ध अभिकरण पद्धति के भविष्य के बारे में अपनाई जाने वाली नीति का निर्णय किये जाने पर 1966 के अन्त में अथवा 1967 के आरम्भ में समाप्त होने वाले प्रबन्ध अभिकरणों की अगली अवधि बढ़ाये जाने के प्रश्न को यथा शीघ्र उठाया जायगा ।

Fertilizer Factory in U. P.

205. **Shri Sarjoo Pandey :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 613 on the 22nd February, 1966 and state :

(a) the progress so far made in regard to the proposal for the establishment of a fertilizer factory in Uttar Pradesh in the co-operative sector with the collaboration of American Cooperative league , and

(b) when a final decision is likely to be taken in the matter ?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra):

(a) and (b) The proposal made by the Government to the U. S. AID for arranging a feasilbiity study for setting up a fertilizer factory, in the cooperative sector in India in collaboration with American Cooperative has been accepted by the U. S. AID, Washington and a study team is expected to arrive in India sometime between September 1 to 15, 1966.

As far as the location of the fertilizer factory is concerned, it will be settled after the requisite feasibility study is carried out.

Bridge over Ganga

206. **Shri Sarjoo Pandey :** **Shri Linga Reddy :**
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5058 on the 10th May, 1966 and state :

(a) whether the Directorate of Transport Research has submitted its report in regard to the scheme for constructing a bridge over Ganga ;

(b) if so, its recommendations , and

(c) the reaction of Government thereon ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism : (Shri N. Sanjiva Reddy) :

(a) No, Sir. The Directorate of Transport Research has recently received the required information from the Government of Uttar Pradesh and the report is now being finalised in its light.

(b) and (c) Do not arise.

Licencing System for Vanaspati

208. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that system of licencing would be introduced in respect of Vanaspati Ghee also ;

(b) if so, since when ; and

(c) the names of States in which the system would be introduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) :

(a) to (c) Licencing of wholesale and retail dealers of vanaspati was introduced by the Delhi Administration with effect from 6. 6. 66 The U. P. Government is also contemplating a similar measure.

Paradeep Port.

209. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) when the Paradeep Port Project would be completed and opened for traffic ; and

(b) the amount spent thereon so far ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism : (Shri N. Sanjiva Reddy) :

(a) The first stage of the development of Paradeep Port to enable it to handle two million tonnes of iron ore has already been completed. The Port will be opened to traffic as soon as the tugs on order are ready.

(b) An amount of about Rs. 20.62 crores has been spent on the Port Project upto the end of May, 1966.

पोर्ट ब्लेयर के साथ विमान द्वारा सम्पर्क

210. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मानसून ऋतु में पोर्ट ब्लेयर और मुख्य भूभाग के बीच विमान द्वारा सम्पर्क नहीं रहता है; और

(ख) यदि हां, तो संचार व्यवस्था बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी, हां। पोर्ट ब्लेयर का हवाई अड्डा सभी मौसमों में विमान सेवाएं चलाने के योग्य नहीं है, इसलिए विमान सेवाएं मई-अक्टूबर के दौरान बन्द कर दी जाती हैं।

(ख) सभी मौसमों में विमान चालन के योग्य बनाये जाने के लिए पोर्ट ब्लेयर पर दिकचालन की तथा अन्य सुविधाओं में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि दो जहाज (वेसल्स) अर्थात् एम. वी. 'अण्डमान्स' और एम. वी. 'निकोबार' मानसून ऋतु के दौरान कलकत्ता, मद्रास और पोर्ट ब्लेयर के बीच नियमित रूप से चलते हैं।

केरल में कानूनी सहायता निधि (लीगल बैनीफिट फंड)

211. **श्री अ० व० राघवन :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिये कानूनी सहायता निधि (लीगल बैनीफिट फंड) बनाई गई है जैसा कि केरल न्यायालय शुल्क तथा मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम, 1959 की धारा 76 के अन्तर्गत दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो नियम न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) योजना की शीघ्र कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) क्योंकि इससे वादकारी पब्लिक पर अतिरिक्ति वित्तीय भार पड़ेगा अत: केरल की सरकार के पास ऐसी निधि बनाने की कोई प्रस्थापना इस समय नहीं हैं ।

धान की खेती

212. **श्री अ० व० राघवन :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

चावल का मूल्य

213. **श्री अ० व० राघवन :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हाल में राशन में दिए जाने वाले चावल का मूल्य बढ़ा दिया है ;

(ख) अक्टूबर, 1965 से अब तक यह मूल्य कितनी बार बढ़ाया गया है; और

(ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 15 जून, 1966 को चावल का मूल्य कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) जी हां । केरल सरकार ने हाल ही में मध्यम, बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों के सभी प्रकार के राशन में दिये जाने वाला चावल और स्थानीय अधिप्राप्त कोर्स चावल का मूल्य बढ़ाया है ।

(ख) केरल में राशन में दिये जाने वाले चावल के मूल्य में वृद्धि विभिन्न अवसरों पर जैसा कि नीचे दिया गया है की गयी है:—

(1) केन्द्रीय भण्डारों से किये जाने वाले कोर्स चावल के निर्गम मूल्य में 14 नवम्बर, 1965 से वृद्धि की गयी थी और कोर्स, मध्यम, बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों के चावल के बारे में पुन: 10 जून, 1966 को वृद्धि की गयी थी । तदनुसार केरल सरकार ने 14 नवम्बर, 1965 से कोर्स चावल के निर्गम मूल्य में वृद्धि की थी । उन्होंने 10 जुलाई, 1966 से मध्यम किस्म के चावल और 12 जून, 1966 से बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों के चावल के भावों में वृद्धि की । केन्द्रीय स्टाक से दिये जाने वाले चावल में दूसरी बार वृद्धि होने पर कोर्स चावल के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी ।

(2) भावों में इन वृद्धियों के अलावा जो कि केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्यों में सामान्य वृद्धि के कारण की गयी थी, 27 मार्च, 1966 को जब राज्य सरकार ने चावल पर बिक्री कर लगाने और स्थानीय अधिप्राप्त चावल की बिक्री पर उपदान देने से जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान का काफी भाग पूरा करने का निर्णय किया था, तब वृद्धि की गयी थी।

(ग) विभिन्न राज्यों और संघ प्रदेशों में कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर 15 जून, 1966 को चावल के जो थोक बाजार भाव चल रहे थे, बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल-टी०-6479/66]

Thefts at Ports

214. **Shri Bade:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that goods worth rupees seventeen lakhs have been stolen from the Indian Ports during the last two years,

(b) if so, the number of persons arrested Port-wise, and

(c) the action taken against them ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism : (Shri N. Sanjiva Reddy) :

(a) to (c) The iuformation is as under :

Name of Port.	Value of goods stolen. Rs.	Number of persons arrested.	Action taken against those arrested
1	2	3	4
Bombay	16,37,874 (out of this goods worth rupees 13,54,775 have been recovered).	1,040	651 persons were convicted.
Calcutta	Exact figures are not available. On a rough estimate this will be Rs. 10 lakhs per year.	385	36 persons were convicted.
Madras	67,439	Information is not available with the Port Trust. Out of 643 cases of theft 354 ended in conviction.	
Kandla	Nil	Nil	Does not arise.

1	2	3	4
Vishakhapatnam	1,200 (Approximately)	Most of the property has been recovered and the loss is nominal.	
Cochin	Negligible	Nil	Does not arise.
Mormugao	Nil	Nil	Does not arise.

मणिपुर में अभाव की स्थिति

215. **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के विभिन्न पर्वतीय तथा घाटी क्षेत्रों में अनाज नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ समय से घाटी-क्षेत्रों में भी चावल की कीमत 50 रुपये प्रतिमन से अधिक रही है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर "हां" में है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) **से (ग)** : जी हां। हाल ही में मनीपुर में आयी भारी बाढ़ के कारण वहां के कुछ भागों में खाद्यान्नों की कुछ कमी हो गयी है। इस बाढ़ के कारण संचार व्यवस्था भंग हो गयी और खाद्यान्नों के कुछ स्टाक को क्षति पहुँची। चावल के भावों में भी वृद्धि का रुख आया।

(घ) भारत सरकार ने खाद्यान्नों का सरकारी वितरण बढ़ाने के लिये मनीपुर प्रशासन को अतिरिक्त 500 मीटरी टन चावल और 1000 मीटरी टन गेहूँ आवंटित किया है।

इम्फाल-कचार सड़क

216. **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल-कचार सड़क के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह निर्माण-कार्य योजना तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस सड़क को जल्दी पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) संभवत: माननीय सदस्य मणीपुर राज्य में निर्माणाधीन सिलचर-इम्फाल सड़क के

भाग का उल्लेख कर रहे हैं। इस सड़क के इस भाग की कुल लम्बाई 151 मील है जिसमें से 10 मील तक सड़क घाटी से होकर जाती है और शेष भाग पर्वतीय क्षेत्र से होकर। इस परियोजना के अन्तर्गत 16 फुट चौड़ी जौर 12 फुट यानमार्ग वाली सड़क बनाने का विचार है। इसमें कई बड़े नदी घाट पड़ेंगे। अब तक मिट्टी भरने का काम 131 मील तक इम्फाल से 21 मील तक कंकड़ पत्थर बिछाने का काम और अस्थायी पुलियाओं का काम पूरा हुआ है। शेष काम जारी है। इस निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत 564 लाख रुपया है। इसमें से 57 लाख रुपये का काम दूसरी पंच वर्षीय योजना में हुआ था और 202 लाख रुपये (लगभग) का तीसरी पंच वर्षीय योजना में, शेष 305 लाख रुपये की राशि संभवतः चौथी पंचवर्षीय योजना काल में खर्च की जायेगी।

(ख) और (ग) : स्थानीय मजदूरों की अप्राप्यता विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सड़क निर्माण की आवश्यक भारी मशीनों को लेने में कठिनाई, सुरक्षा रहित वर्तमान अवस्था और कठिन भूप्रदेश के कारण इस परियोजना की प्रगति धीमी रही।

किसानों को सहायता

217. **श्री मौर्य :** **श्री बागड़ी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा के किसानों को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) और (ख) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। वैसे भी केन्द्रीय सरकार किसी क्षेत्र के कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता नहीं देती। यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार / संघ क्षेत्र प्रशासन की है।

त्रिपुरा को खाद्यान्न का सम्भरण

218. **श्री वीरेन दत्त :** **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए 40 हजार मीट्रिक टन चावल मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने चावल की यह मात्रा मंजूर कर दी है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो, उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) वर्ष, 1966 के लिये त्रिपुरा सरकार ने अपनी चावल की आवश्यकताओं का अनुमान 30,000 मीटरी टन लगाया है।

(ख) नहीं ।

(ग) तथापि, केन्द्र के पास चावल की अत्यधिक कमी को देखते हुये, कमी वाले राज्यों की सारी आवश्यकताएँ पूरी करना सम्भव नहीं हुआ है ।

Milk Dairy at Dehra Dun.

219. **Shri Bade :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4393 on the 26th April, 1966 and state :

(a) whether the work relating to the construction of milk to the dairy set up at Dehra Dun with the assistance of the Newzealand Government has since been completed ;

(b) if not, when it is likely to be completed . and

(c) the items that will be manufactured in the dairy ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) :

(a) No.

(b) October 1967.

(c) Gream, Butter and Ghee.

अत्यावश्यक वस्तुओं के लिये सुपर बाजार

220. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री प्रभात कार :**
श्री विश्वनाथ पान्डेय : **श्री राम हरख यादव :**
श्री प्र०•चं० बरुआ : **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री रा० बरुआ :**
श्री वारियर : **श्री लखमू भवानी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित भाव पर अत्यावश्यक वस्तुएँ बेचने के लिए एक सुपर बाजार स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गई है;

(ग) क्या इसमें कार्य आरम्भ हो गया है; और

(घ) क्या अन्य नगरों में भी ऐसे बाजार खोले जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) जी हां; दिल्ली के थोक भण्डारों में से एक भण्डार अर्थात् सहकारी भण्डार लि०, दिल्ली ने कनाट सर्कस, नई दिल्ली में एक बहु विभागी भण्डार इस उद्देश्य से स्थापित किया है कि लोगों को उचित भावों पर अत्यावश्यक वस्तुएँ उपलब्ध की जाएँ ।

(ख) सहकारी भण्डार लि०, दिल्ली बहु विभागी भण्डार स्थापित कर सके, इसके लिए भारत

सरकार ने इसे 10 लाख रुपए का अंशपूंजी अंशदान और भण्डार के लिए अपेक्षित फर्नीचर, फिक्सचर्स तथा फिटिंग्स की तात्कालिक खरीदारी करने के लिए 5.25 लाख रुपए का ऋण दिया है।

(ग) जी हां इसने 15 जुलाई, 1966 को कार्य करना शुरू किया।

(घ) जी हां 1961 की जनगणना के अनुसार 2 लाख अथवा उससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक नगर में कम से कम एक भण्डार स्थापित करने का प्रस्ताव है। फिलहाल बम्बई तथा कलकत्ता में दो-दो-और दिल्ली में तीन भण्डार होंगे।

पश्चिमी घाट का पर्यटन की दृष्टि से विकास

221. **श्री काजरोलकार :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों तथा छुट्टी बिताने वाले देशवासियों की सुविधा के लिये रमणीक पश्चिमी घाट के साथ-साथ उचित खर्च पर बम्बई से गोआ, मंगलौर तथा कोचीन को एक नियमित तटीय पर्यटन सेवा (क्रयज) चालू करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पश्चिमी घाट के साथ-साथ सुन्दर स्थानों पर उपयुक्त तथा आकर्षक होटल / विश्राम घर बनाने का भी है, जहां लोग अपनी छुट्टियां बिता सकें और जहां तटीय नौका सेवा द्वारा पहुँचा जा सके ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी नहीं। बम्बई और कोचीन के लिये गोवा और मंगलौर होती हुई एक साप्ताहिक सेवा चलती है और पर्यटकों के लिये उपलब्ध है।

(ख) गोवा में पर्यटक सुविधाओं की समेकित विकास की एक योजना विचाराधीन है। इसमें गोवा में चुने हुये स्थानों में पर्यटक बंगलों का निर्माण भी शामिल है। मैसूर सरकार ने कारवार में एक पर्यटक बंगले के निर्माण में रुचि सूचित की है और मंगलौर में एक पर्यटक बंगला बन भी रहा है। कोचीन में पर्यटकों की आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त निवास स्थान है।

गुलवर्ग तथा खिल्लनमर्ग के बीच रज्जुमार्ग (रोपवे) द्वारा सम्पर्क स्थापित करना

222. **श्री जसवन्त :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुलवर्ग स्थित हाई आल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी को खिल्लनमर्ग से जोड़ने के लिये रज्जु मार्ग बनाने की सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (ग) : गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों का विकास करने के लिये चौथी योजना पर्यटन स्कीम के अंश के रूप में गुलमर्ग से खिलनमर्ग तक एक रज्जु मार्ग बनवाने का प्रस्ताव है। इस रज्जु-

मार्ग में लगभग 25 लाख रुपये की लागत लगेगी । इसके चौथी योजना काल के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

नर्मदा पर पुल

223. **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी पर सड़क पुल का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से काफी पीछे चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पुल के कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : यह सच है कि पुल का निर्माण कार्य पिछड़ गया है । यह राज्य परियोजना है जिसमें केन्द्रीय सरकार ने 13.34 लाख रुपये की सीमित सहायता देने की स्वीकृति दी है । निर्माण कार्य फरवरी 1960 में हाथ में लिया गया था और उसे दो वर्षों में पूरा हो जाना था । किन्तु कार्य के प्रारंभ होने के तुरन्त बाद ही हाई टेन्सिल तार की सप्लाई के बारे में कुछ कठिनाई आ गई । फर्म ने पुल की जो मूल डिजाइन पेश की थी वह 66 टन के आयात किये हाई टेनसिल तार (3 मि० मी० व्यास) पर आधारित थी, जिसे उन्होंने प्राप्त कर लिया था, किन्तु जब फर्म की डिजाइन चेक की गई तो यह विदित हुआ कि उसमें 92 टन के 3 मि० मी० के हाई टेनसिल स्टील तार की आवश्यकता है । अतः डिजाइन में संशोधन किया गया जिससे उसमें 7 मि० मी० व्यास के हाई टेनसिल तार का उपयोग हो सके और इस आकार के तार उस समय तक देश में बनने लगे थे । इस परिवर्तन से निर्माण कार्य की प्रगति में देरी हो गई ।

(ग) पुल का निर्माण कार्य अभी हाल ही में प्रारंभ कर दिया गया है और उसके दिसम्बर 1967 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

मंगलौर बन्दरगाह परियोजना

224. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री बासप्पा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलोर बन्दरगाह परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है :

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है :

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी व्यवस्था में सलाहकार अथवा परामर्शदात्री समिति, जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा अन्य योग्य गैर-सरकारी व्यक्ति हों, शामिल करने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : सामान्य वित्तीय तंगी के कारण बजट आवंटन अपर्याप्त रहा और इसने प्रगति को प्रभावित किया ।

(ग) और (घ) : परियोजना अवस्था में जबकि समस्यायें निश्चयात्मक रूप से तकनीकी या वित्तीय प्रकृति की होती है, तब जैसा सुझाव दिया गया है, औपचारिक सलाहकार समिति की आवश्यकता जरूरी नहीं समझी जाती ।

खाद्यान्न का अभाव

225. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री धुलेश्वर मीना

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में खाद्यान्न के अभाव के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन महीनों में भिन्न-भिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्यान्नों की सप्लाई के लिये केन्द्र से कितनी मांग की; और

(ग) उक्त अवधि में केन्द्र ने कितना आवंटन किया और वास्तव में कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) देश में खाद्यान्नों की वर्तमान सप्लाई स्थिति कठिन है किन्तु नियन्त्रण के बाहर नहीं ।

(ख) और (ग) : विशिष्ट अवधियों के लिये कुछ राज्यों की मांगे प्राप्त हुई हैं । अन्य राज्यों से सामान्य मांगे प्राप्त हुई हैं जबकि शेष अन्य राज्यों की कोई भी मांग नहीं मिली हैं । शायद वे यह सोचते हैं कि उनकी मांगे केन्द्र द्वारा पूरी की जाएंगी। सभी राज्यों की आवश्यकताओं पर राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर विचार किया जाता है और उनकी सापेक्षा आवश्यकताओं और केन्द्र सरकार के पास खाद्यान्नों की कुल उपलब्धि को ध्यान में रख कर सप्लाई की जाती है ।

अप्रैल से जून, 1966 के तीन महीनों में विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का नियतन और केन्द्रीय भण्डारों से वास्तव में सप्लाई की गयी मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एलटी** 6480/66]

कृषि के तरीकों को नया रूप देना (रिओरियेंटेशन)

226. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री 19 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के तरीकों को नया रूप देने (रिओरियेंटेशन) के बारे में तीन सदस्यों के एक विशेषज्ञ दल द्वारा दिये गये अन्तरिम प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बीच विस्तृत प्रतिवेदन मिल चुका है ;

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ङ) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : दल द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तरिम रिपोर्ट पर पंजाब सरकार अभी विचार कर रही है।

(ग) तथा (घ) : अभी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा के लिये चीनी का नियतन

227. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून, 1966 में उड़ीसा राज्य को चीनी का कितना अभ्यांश नियत किया गया ;

(ख) उन महीनों में उड़ीसा ने कितनी चीनी मांगी थी;

(ग) क्या उस राज्य की सारी मांग पूरी कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) अप्रैल, मई और जून, 1966 के महीनों में प्रत्येक मास 5,207 मीटरी टन।

(ख) इन महीनों के लिये ऐसी कोई मांग नहीं मिली थी।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

चावल और धान के मूल्य

228. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में उड़ीसा में चावल और धान के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) पिछले दो महीनों में उड़ीसा में चावल और धान के भावों में कुछ वृद्धि हुई है, किन्तु

इन तथ्यों पर विचार करते हुये कि यह चावल की कम आमद का समय है और इस वर्ष चावल की उपज सामान्य उपज से बहुत कम हुई है, इस वृद्धि को अत्यधिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है।

(ख) फिलहाल सरकार ने चावल और धान के सारे निर्यात बन्द कर दिये हैं और उचित मूल्य की दुकानों से सप्लाई में आवश्यक मात्रा तक वृद्धि कर दी है।

नलकूपों का छिद्रण

229. **श्री घुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में प्रयोगात्मक नलकूप संगठन द्वारा उड़ीसा राज्य में जो निर्माण-कार्य किये जाने का विचार है उसका ब्योरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में इस राज्य में इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) 1966-67 में समन्वेषी नलकूप संस्था द्वारा उड़ीसा में कार्य शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

चीनी के कारखानों के लिये लाइसेंस

231. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 में चीनी के कारखानों के लिये कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) लाइसेंस मिलने के बाद कितने कारखानों में काम आरम्भ हो चुका है, और उनके नाम क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में कितने तथा कौन कौन से कारखानों के लिये लाइसेंस दिये जायेगें; और

(घ) वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 में चीनी के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) 1965– और 1966 में 19 नये शर्करा कारखाने स्थापित करने के लिये आशय पत्र लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित 19 नये शर्करा कारखानों में से किसी कारखाने ने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है। एक नया शर्करा कारखाना स्थापित करने में सामान्यतः लगभग 2 से 3 वर्ष लगते हैं।

(ग) चौथी योजना लक्ष्य के प्रति लगभग 13 और शर्करा कारखानों के लिये लाइसेंस दिये जा सकते हैं। व्योरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) वर्ष 1966-67 ओर 1967-68 के लिये शर्करा उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

जम्मू–श्रीनगर सर्व ऋतु (आल वेदर) सड़क

232. **श्री श्रीनारायण दास :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन योजना संबंधी संयुक्त तकनीकी दल द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में जम्मू तथा काश्मीर के बीच एक ऐसी सड़क की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो हर मौसम में खुली रहे; और

(ख) यदि हां, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री एन० संजीव रेड्डी) .

(क) और (ख) संयुक्त तकनीकी दल ने यह अनुभव किया कि इस क्षेत्र के लिये परिवहन योजनायें बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बातें जिसका ध्यान रखा जाना चाहिये, यह है कि जम्मू और श्रीनगर के बीच अवाध संचार व्यवस्था होना अति आवश्यक है जो बारह मास यात्री और माल यातायात की आवश्यकता पूर्याप्त तौर पर पूरी करे। अब जम्मू और श्रीनगर पठानकोट–जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय मुख्यमार्ग द्वारा जुड़े हुये है जो पहले ही एक बारह मासी सड़क है परन्तु इस सड़क में कमी यह है कि वर्षा ऋतु में इस पर फिसलन के कारण रुकावट हो जाती है। इसमें और सुधार करने के लिये उपाय किये जा रहे है जिससे रुकावट जहां तक संभव हो कम से कम हो।

दक्षिण भारत में चीनी उद्योग।

233. **श्री काजरोलकर :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की क्षेत्रीय समस्याओं की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त छः सदस्यों की समिति के निदेशपद क्या हैं ;

(ख) इसका प्रतिवेदन सरकार को किस तिथि तक प्रस्तुत किया जायेगा; और

(ग) समिति ने अब तक किन किन राज्यों का दौरा किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) भारत सरकार ने श्री पी० आर० रामकृष्णन, सदस्य लोक सभा की अध्यक्षता में छः सदस्यों की समिति स्थापित की है। यह समिति दक्कन और दक्षिण में शर्करा उद्योग की क्षेत्रीय समस्याओं की छान-बीन और जांच-पड़ताल करेगी और यदि उस क्षेत्र में शर्करा अथवा गन्ना अनुसन्धान के लिये क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता हुई तो उसके बारे में सिफारिश करेगी।

(ख) सितम्बर, 1966 के अन्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की सम्भावना है।

(ग) समिति ने अब तक आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्यों का दौरा किया है जबकि केरल के प्रतिनिधि मद्रास में विचार-विमर्श करने के लिये बुलाये गये थे।

त्रिपुरा को चावल का संभरण।

234. **श्री वीरेन दत्त :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के लिये मंजूर किया गया कोटा अभी तक वहां नहीं पहुँचा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्काल चावल भेजने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) और (ख) : आसाम में हाल ही की बाढ़ के कारण, आसाम से त्रिपुरा को निर्यात हेतु निर्धारित चावल उस राज्य में ही प्रयोग करना पड़ा और आरम्भ से त्रिपुरा को चावल का और भेजना बन्द कर दिया गया है। त्रिपुरा की तत्काल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उसके बदले में कलकत्ता से आवंटन किया गया है।

त्रिपुरा में भारी मोटर गाड़ियाँ चलाने के लिये लाइसेंस

235. **श्री वीरेन दत्त :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा भारी मोटर गाड़ियां (बसें तथा ट्रक) चलाने के लिये कितने लाइसेंसे जारी किये गये;

(ख) क्या इन लाईसेंसों की संख्या भारी मोटर गाड़ियों की संख्या से कम है; और

(ग) यदि हां, तो मोटर गाड़ियां चलाने के लाइसेंस पर्याप्त संख्या में जारी न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) 656।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संकर फसल की खेती

236. **श्री पें० वेंकटा सुब्बया : श्री रवीन्द्र वर्मा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संकर फसलों की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर संकर फसल की खेती करने के लिये छोटे किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) क्या संकर अनाज की फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिये बड़े पैमाने पर बीज, उर्वरक आदि तथा विस्तार सेवा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई व्यापक योजना बनाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) प्रत्येक फसल के मौसम में कृषकों के खेतों पर अनेक प्रदर्शन किए जा रहे हैं जिनमें अधिक पैदा करने वाली किस्मों के लिये सिफारिश किए गए तरीकों का एक पैकेज सम्मिलित है। नेशन वाइड डिमोन्सट्रेशन स्कीम के अन्तर्गत संकर फसलों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेतों पर किए गए अनेक प्रदर्शन इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा एक गहन शिक्षा अभियान चलाया गया है। विभिन्न किस्मों की सूचना सामग्री जैसे-पत्रक, प्रादेशिक भाषाओं में फार्म रूपक, फार्म रेडियो प्रलेख, पुस्तकें, शिक्षा सम्बन्धी चार्ट आदि समय समय पर जारी की जाती है। किसानों को दिखाने के लिए संकर फसलों पर फिल्म भी तैयार की गई है। राज्य सरकारों ने भी बड़े पैमाने पर संकर फसलों की खेती करने में पद्धतिबद्ध प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया है।

(ख) संकर फसलों की खेती के लिए सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को पर्याप्त उत्पादन ऋण देने के प्रबन्ध किए गये हैं। बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सहकारी समितियों के लिए विशेष ऋण सीमायें स्वीकृत की हैं। जहाँ तक गैर सदस्यों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों ने उर्वरक, बीज आदि आदानों को खरीदने हेतु तकावी ऋण देने के लिए प्रबन्ध किए हैं।

(ग) अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के लिए चुने हुई क्षेत्रों में खण्ड स्तर की विस्तार एजैंसी को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों ने कदम उठाए हैं और संकर फसलों की खेती में किसानों को आवश्यक तकनीकी सलाह तथा मार्गदर्शन के लिये अतिरिक्त ग्राम स्तर कार्यकर्त्ता तथा कृषि विस्तार अधिकारी नियुक्त किए हैं। उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशक औषधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

मिनया बे बन्दरगाह

237. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रत्नगिरि के निकट मिनया बे का बारहमासी बन्दरगाह के रुप में विकास करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : भारत सरकार की सलाह से महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 2 करोड़

रुपये की लागत से मिरया बे पर एक आश्रयित लंगरगाह की व्यवस्था करने का निश्चय किया है। इसमें 1–8 एकड़ भूमि का सुधार 2-1500 फीट की पनकटदीवार का निर्माण 3–एक जेटी का निर्माण, और 4–सड़कों का निर्माण होगा। इस योजना के पूर्ण हो जाने पर पूरे वर्ष भर मिरया बे में 20 फीट डुबाव के स्टीमर लंगर डाल सकेंगे।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सुधार से पनकट दीवार के बिन्दु तक के पहुँच मार्ग तथा भूमि सुधार पर की 18.85 लाख रुपये की लागत का निर्माण कार्य मार्च 1966 में पूरा हो गया था। वर्षा काल के बाद पनकट दीवार के निर्माण कार्य के शुरू किये जाने की आशा है।

नये कार खानों के लिये लाइसेंस।

238. **श्री बालकृष्ण वासनिक** :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात के बावजूद कि चीनी के वर्तमान कारखानों को भी पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल रहा है, चीनी के नये कारखानों को लगाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये चालू वर्ष में ऐसी अनुमति दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

धान का न्यूनतम मूल्य

239. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धान का आधार (सपोर्ट) मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया है, और

(ख) उन मदों के आंकड़े क्या हैं जिन्हें मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन):

(क) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक राज्य में 1966-67 की फसल के लिये कोर्स धान की मानक किस्म का न्यूनतम साहाय्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

जहां तक अन्य किस्मों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे सामान्य किस्म सम्बन्धी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर धान की मानक किस्म के न्यूनतम साहाय्य मूल्य के आधार पर ये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करें।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने 1966-67 की फसल के लिये धान के न्यूनतम साहाय्य मूल्य के उत्पादक को एक लम्बे अर्से के लिये उसकी उपज का एक आश्वासित न्यूनतम मूल्य दिलाने की गारन्टी देने जैसे मोटे मोटे तथ्यों को ध्यान में रखकर, सिफारिश की है। आयोग ने किसी

भी अल्पकालीन कारणों जैसे कि सूखा आदि के वर्ष में चल रहे बाजार भावों पर विचार नहीं किया है। 1966-67 की फसल के लिये न्यूनतम साहाय्य मूल्य 1965-66 की फसल के लिये निर्धारित मूल्यो के उसी स्तर पर निर्धारित किये गये हैं। आयोग द्वारा अपनाये गये सामान्य सिद्धान्त उनकी 1965-66 की फसल के खरीफ अनाजों सम्बन्धी रिपोर्ट में दिये गये हैं।

Supply of Agricultural inputs.

240. **Shri Mohan Swarup :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) the quantity of seeds and fertilizers distributed by Government among States for kharif crop under the "Grow More Food" Campaign ,

(b) whether these commodities have been made available to each State according to the scheme , and

(c) the details of acreage of land proposed to be brought under kharif crops ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation : (Shri S. D. Misra) :

(a) to (c) : A Statement is attached.

केरल को चावल की सप्लाई।

241. **श्री में क० कुमारन :**
श्री इम्बी चीवावा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने राशन बढ़ाने के लिये आने वाले कमी के महीनों में चावल की विशेष मात्रा नियत करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों को गेहूं का संभरण

242. **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने बरसात के मौसम में, जब बाढ़ से परिवहन व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है, लोगों में वितरण के हेतु गेहूँ के विशेष नियतन की मांग की है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन):

(क) आसाम, बिहार, त्रिपुरा और मनीपुर।

(ख) केन्द्र के पास उपलब्ध साधनों से संभव सीमा तक मांग पूरी की गई है।

चीनी का उत्पादन

243. **श्री द्वारका दास मन्त्री :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो मई, जून और जुलाई, 1966 में कितनी चीनी का निर्यात किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) चालू शर्करा वर्ष में 15 जुलाई, 1966 तक शर्करा का उत्पादन 34.52 लाख मीटरी टन हुआ है जब कि गत वर्ष उसी तारीख तक यह 31.40 लाख मीटरी टन था।

(ख) मई, 1966	0.66 लाख मीटरी टन।
जून, 1966	0.58 लाख मीटरी टन।
जुलाई, 1966 (15 तारीख तक)	0.22 लाख मीटरी टन।

राजधानी को मछलियों की सप्लाई

244. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार को पता है कि वजीराबाद बांध और ओखला वाटर वर्क्स के बीच यमुना नदी की कथित "काली पट्टी" (ब्लैक स्ट्रैच) में अनेक स्थानों पर गन्दे नालों का पानी गिरने के कारण प्रति वर्ष कई लाख रुपए के मूल्य की मछली नष्ट हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी को मछलियों की सप्लाई के अत्यन्त उपयोगी साधन को होने वाली हानि को रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) जी हां। यमुना नदी में गन्दे पानी की मिलावट के कारण काफी मछलियाँ मरती हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम से प्रार्थना की है कि वह ऐसा प्रबन्ध करें कि कारखाने आदि यमुना नदी में छोड़ने से पहले अपने कारखानों का गन्दा जल हानिकारक तत्वों से शुद्ध कर दें और नगर निगम गन्दे पानी की भूमिगत नालियों का रुख इस प्रकार मोड़ें कि वह हानिकारक जल यमुना में कम से कम मिलने पाये। दिल्ली राज्य मछली उद्योग सलाहकार समिति के अनुरोध पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा यमुना के जल में गन्दे पानी की मिलावट की समस्या पर परीक्षण किये जा रहे हैं।

अनाज की उपलब्धता।

245. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** **श्री ह० च० खाये :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी भाग में ग्रामीण क्षेत्र में अनाज (चावल तथा गेहूँ) का मिलना और अधिक कठिन हो गया है,

(ख) क्या उन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के भाव और अधिक बढ़ गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) चावल का यह अत्यधिक कम आमद का मौसम होने के कारण, इस अनाज की मण्डियों में उपलब्धि कम हो गयी है और सारे देश में जिसमें पूर्वी क्षेत्र भी है इसके भावों में कुछ बढ़ोत्तरी हुई हैं। इस क्षेत्र में अधिक गेहूँ पैदा नहीं होता है और न तो गेहूँ के सरकारी वितरण में कटौती की गयी है और न ही इसके भाव बढ़ाये गये हैं। वस्तुत: कुछ राज्यों में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ा दी गयी है और इन दुकानों के द्वारा अधिकतर मात्रा में सरकार खाद्यान्न वितरित किये जा रहे हैं।

बर्धा, सेवाग्राम का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

247. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्धा सेवाग्राम का विश्व पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : श्रीनगर (1964) और हैदराबाद (1965) में पर्यटक विकास परिषद ने अपनी बैठकों में सिफारिश की थी कि महात्मा गाँधी के कार्य और जीवन से संबन्धित स्थानों पर पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना में सेवाग्राम में कैफीटेरिया तथा शयन कक्षों के निर्माण की एक योजना शामिल की गई थी। इस योजना को केन्द्रीय सरकार की 50 प्रतिशत सहायता से महाराष्ट्र सरकार को कार्यान्वित करना था। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने वर्धा में कैफीटेरिया तथा शयन कक्ष बनाने का निर्णय किया, जो सेवाग्राम का रेल स्टेशन है और इस कारण पर्यटकों के दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त है। सेवाग्राम में एक अतिथि गृह है जहां पर्यटक ठहर सकते हैं किन्तु वर्धा में ठहरने का कोई स्थान नहीं है। जैसे ही योजना और प्राक्कलन तैयार हो जायेंगे स्कीम को हाथ में ले लिया जायेगा।

मैसूर में पर्यटक केन्द्रों का विकास

248. **श्री बासप्पा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के लिये पर्यटन विकास की किसी समेकित योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या स्वरूप है; और

(ग) पर्यटकों को क्या प्रोत्साहन देने के लिये हसन और बीजापुर के लिये विमान-पट्टियों (एयर स्ट्रिप) की व्यवस्था करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी):

(क) और (ख) : मैसूर राज्य में पर्यटक ग्रन्थियों के समेकित विकास के लिये कुछ प्रस्तावों पर राज्य सरकार की सलाह से विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

मैसूर मे अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य ।

249. **श्री बासप्पा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सूचना के अनुसार मैसूर राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों में कितने सहायता कार्य चल रहे हैं;

(ख) इन कामों पर कितने व्यक्ति लगाये गये हैं और कितने व्यक्ति नकदी और अनाज के रूप में सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) इस मामले में अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन):

(क) और (ख) : मैसूर सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जुलाई, 1966 के दूसरे सप्ताह में राज्य के कमी से प्रभावित क्षेत्रों में 1,659 सहायता कार्य जिन पर 90,698 व्यक्ति काम कर रहे थे) चल रहे थे । मुफ्त सहायता प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या 7,430 थी ।

(ग) अब तक राज्य सरकार को कमी सम्बन्धी सहायता हेतु निम्नलिखित सहायता प्रदान की गयी है ।

(1) वित्त मंत्रालय ने सहायता कार्यो के लिये 3 करोड़ रुपये का एक ऋण स्वीकार किया है ।

(२) जून, 1966 को समाप्त होने वाली छः महीनों की अवधि में मैसूर को 241.8 हजार मीटरी टन गेहूँ और 150.7 हजार मीटरी माईलों नियत की गयी है । इसके अलावा सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में बूढ़े और दुर्बल व्यक्तियों में मुफ्त सहायता के रुप में बांटने के लिये 5000 मीटरी टन गेहूँ, 350 मीटरी टन सूखे मटर और 100 मीटरी टन सेम नियत किये गये हैं ।

(3) सूखे से प्रभावित क्षेत्रो में जनसंख्या के जरूरतमंद वर्गो में मुफ्त गांटने के लिये 3,940 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण और 150 मीटरी टन बिस्कुट नियत किये गये हैं । इसी उद्देश्य के लिये स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय ने राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में विटामिन की गोलियां और अन्य दवाइयां भी दी हैं ।

Rotting of Wheat in Jammu Godowns.

250. **Shri Bade :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of maunds of American wheat is rotting in the godowns of Jammu as reported in the Hindustan of the 2nd July, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that this wheat is not being sent to scarcity affected areas , and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon) :

(a) and (c) According to the information supplied by Jammu and Kashmir Government, about 10,000 bags of imported wheat were received at their godown in Jammu in open railway wagons from Bombay in a damaged condition on account of rain during transit. The extent of damage is being assessed and salvaging is in progress. However, a preliminary estimate shows that about 600 bags may be found unfit for human consumption. Regarding the damage during transit, the matter has been taken up with the Railway authorities. Steps have been taken by the State Government to prevent further damage to the wheat.

(b) After salvaging the wheat which is fit for human consumption is proposed to be issued in the usual manner.

पश्चिमी बंगाल को चावल की सप्लाई

251. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल को 50 हजार टन चावल का अतिरिक्त कोटा देने के लिये सहमत हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो यह कोटा कब तक दे दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) :

(क) जी हां ।

(ख) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में ।

कोर्टल्लम में 'केरल हाउस' को पर्यटक केन्द्र बनाया जाना

152. **डा० श्रीनिवासन :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोर्टल्लम में "केरल हाउस" को एक पर्यटक केन्द्र बनाने के लिये इसे केरल सरकार से खरीदा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन, तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : पांच लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर कोर्टल्लम् में पर्यटक बंगले के निर्माण की एक स्कीम पर्यटन के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई थी। यह स्कीम मद्रास सरकार को केन्द्रीय सरकार की 50 प्रतिशत सहायता से कार्यान्वित करनी थी। मद्रास सरकार अब कोर्टल्लम में एक मौजूदा इमारत "केरल हाउस" को खरीद कर उसे पर्यटक बंगला बनाने का विचार कर रही है। केरल सरकार द्वारा इस जायदाद की लागत 20.12 लाख रुपये अनुमानित की जाती है। मद्रास सरकार ने उसका मूल्य अभिधारण 9.08 लाख रुपये का किया है। केरल और मद्रास की सरकारों में इस मामले पर बातचीत चल रही है।

गैर सरकारी क्षेत्र में होटल

253 : **श्री काजरोलकर** :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये गैर सरकारी क्षत्र को बढ़िया होटल बनाने के लिये प्रोत्साहन देने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ऐसे होटल बनाने के लिये ऋण देती है; और

(ग) क्या ऐसे होटलों में पर्यटकों के लिये शराब के पर्मिट निर्वाध रूप से दिये जाते हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी हां, पर्यटक-आकर्षण के स्थानों पर होटल स्थापित करने के लिये होटल उद्योग को ऋण देने के लिये एक पर्यटक विकास ऋण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं, इस समय गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को होटल स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता औद्योगिक वित्त निगम और या राज्य वित्त निगमों द्वारा उपलब्ध होती है।

(ग) होटल को "बार" के लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं। यदि ऐसे लाइसेंस पर्यटकों के लिये आवश्यक समझे जाते हैं तो पर्यटक विभाग अपनी अधिकृत सूची के होटलों को "बार" के लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता देता है। जहां कहीं परमिट पद्धति चालू होती है वहां विदेशी पर्यटकों के लिये शराब के परमिट निर्वाधरूप से जारी किये जाते हैं।

पंजाब में पर्यटक केन्द्र

254. **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में पंजाब में कुछ पर्यटक केन्द्रों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : कुलू–कांगड़ा-मनाली–मनिकरन क्षेत्र के समेकित विकास के लिये पंजाब सरकार को सहायता देने के लिये केन्द्रीय बजट में 1966–67 में 50,000 रु० की व्यवस्था शामिल कर ली गई है। फिलहाल राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अधीन पालमपुर में एक पर्यटक बंगला के निर्माण का प्रस्ताव हाथ में लेना चाहती है।

Suratgarh Farm

255. **Shri Ram Sewak Yadav** :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether the Suratgarh farm in Rajasthan is at present running on profit or on loss ,

(b) the extent of profit or loss in 1964-65 and 1965-66 and in case of loss, the reasons therefor and the steps taken to avoid it ,

(c) the period for which the present General Manager of the farm has been working in this capacity , and

(d) whether he has worked in any responsible capacity in the field of agriculture in the past ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra) :

(a) The Farm has been running at a loss for some years.

(b) During 1964-65, the farm suffered a net loss of Rs. 11.08 lakhs due to Nali floods (which inundated the major part of the crop area), in-adequate irrigation supplies and drought conditions. The extent of profit/loss for 1965-66 (1-7-65 to 30.6.66) will be known after the accounts for the year have been compiled.

The irrigation problem has been discussed at Minister's level with Rajasthan/Punjab Government. A committee of Experts has been appointed to find ways and means to improve irrigation supplies. The Rajasthan Government have taken steps to moderate the floods during this year and to try and control them from next year. The cropping programme of the farm is also being revised to assure the best possible yields.

(c) The present Director has been in position from 13.6.1966.

(d) The post of Director is of an administrative nature and is presently held by an officer who has held responsible positions in the past. He is assisted in the technical field by qualified specialists.

अधिक उत्पादन करने वाल बीज

256. **श्री हेम राज** : **श्री दलजीत सिंह** :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये किन किस्मों के नये गेहूँ के बीज अधिक उत्पादन करने योग्य पाये गये हैं , और

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस को स्थानीय किसानों से किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुछ गेहूँ की किस्में जो कीटों से अप्रभावित रहती हैं और जिनमें अच्छी उपज की क्षमता है भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था तथा शिमला और भोवाली वाले उसके व्हीट ब्रीडिंग सैन्टर पर विकसित की गई हैं। दो किस्में एन पी 818 तथा एन पी 846 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1964 में सैन्ट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी द्वारा जारी की गई थीं। गत तीन वर्षों में कुछ ड्वार्फ किस्मों का भी परीक्षण किया गया और उनमें से कुछ एस 305, एस 227, नाडोडोरज तथा लरमा रोज पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पाई गई हैं।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक बीजों का उत्पादन मैदानों में किया जा सकता है। इसलिए किसानों से बीज प्राप्त करना जरुरी नहीं है।

चौथी योजना में होटलों का निर्माण

257. **श्री हेमराज :** **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना में होटल-निर्माण का कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि हाँ, तो किन स्थानों पर ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय का होटल-निर्माण का एक पृथक कार्यक्रम है ; और

(ग) क्या इन दोनों मंत्रालयों द्वारा भारत में होटल उद्योग को उचित रूप से चलाने के लिये कोई समन्वय स्थापित किया गया है ?

परिवहन, उड्डन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी हाँ। होटल कारपोरेशन आफ इन्डिया, एक सरकारी क्षेत्र संस्थान ने 36 होटल बनाने का कार्यक्रम तैयार किया है जो चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ये पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वाराणसी, औरंगाबाद, बंगलौर, मैसूर, हैदराबाद, कोचीन, मदुराई, भुवनेश्वर, श्रीनगर, गुलमर्ग, मनाली, जिम कारबेट पार्क थकाडो, पहलगांम सरीखे में बनाये जायेंगे। पहली अवस्था में, धन की उपलब्धता होने पर नौ होटल बनाये जायेंगे।

(ख) जी हां, होटल बनाने का निर्माण आवास और ग्राम विकास मंत्रालय का अपना कार्यक्रम है।

(ग) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

उर्वरकों का प्रयोग

258. **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक उर्वरकों और कार्बनिक खादों के मिश्रण की प्रभावोत्पादकता के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस मिश्रण को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई उपयुक्त कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) विभिन्न मिश्रणों में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों तथा कार्बनिक खादों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बहुत से क्षेत्र-प्रयोग किये गये हैं। इन परीक्षणों से पता चलता है कि प्रायः लगातार रूप से नाईट्रोजन, जैसे केवल एक पौषक तत्व का प्रयोग उचित नहीं होता और यदि लम्बी अवधि तक नाइट्रोजन, फासफोरस तथा उर्वरक पोषकों के सन्तुलित मिश्रणों का प्रयोग किया जाए (चाहे वह कार्बनिक खादों के साथ प्रयोग हो या नहीं) तो सन्तोषजनक परिणाम निकलते हैं। इन अध्ययनों का संबंध मुख्यतः चावल तथा गन्ना जैसी प्रमुख फसलों से हैं। उर्वरकों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले फ़सल अवशेषों से ही खेत को काफी मात्रा में कार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं। इससे निरन्तर रूप से केवल रासायनिक उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग से प्राप्त होने वाले सन्तोषजनक परिणामों की व्याख्या हो सकती है।

(ख) जी हाँ। अखिल भारतीय उर्वरक प्रदर्शन योजना के अन्तर्गत समस्त राज्यों में प्रमुख फसलों के लिए उर्वरक मिश्रणों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। प्रत्येक राज्य ने अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त उर्वरक मिश्रणों के विभिन्न ग्रेड तैयार किये हैं।

सेतुसमुद्रम परियोजना

259. **श्री मुथिया :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बनाई गई तकनीकी समिति ने मद्रास सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये सेतुसमुद्रम परियोजना प्रतिवेदन का अध्ययन और जाँच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें और सिफारिशें क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को प्रभावी ढंग से और शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (घ) : मद्रास की राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सेतुसमुद्रम परियोजना की परियोजना रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिये परिवहन और विमानन मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति का यह विचार था कि परियोजना के वास्तविक प्राक्कलन तक पहुँचने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण जरूरी है। इस प्रयोजन के लिये मुख्य इंजीनियर के अधीन एक अलहदा संगठन स्थापित किया गया है और एक परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया है :

यह संगठन भूमि और सागर दोनों में विस्तृत सर्वेक्षण, परीक्षण बोरिंग और अनुरेखक अध्य-

यन कर रहा है। परियोजना पर और आगे कार्यवाही तकनीकी रिपोर्ट की प्राप्ति और परियोजना का प्राक्कलन मिलने पर की जायेगी।

दिल्ली दुग्ध योजना

260. **श्री जेधे :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई 1966 को कुल कितने व्यक्ति दिल्ली दुग्ध योजना से दूध ले रहे हैं और प्रतिदिन (किस्मवार) कुल कितने लिटर दूध का वितरण किया जाता है;

(ख) उपरोक्त भाग (क) की संख्या में से कितने व्यक्ति टोंड दूध को छोड़कर एक लिटर प्रति दिन से अधिक दूध ले रहे हैं ;

(ग) 1 जुलाई, 1966 को, टोंड दूध को छोड़ कर अन्य किस्म के दूध के लिए दुग्ध-कार्ड बनाने के कितने आवेदन-पत्र प्रतीक्षा सूची में थे; और

(घ) प्रतीक्षा सूची वाले सभी व्यक्तियों को दुग्ध-कार्ड देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) ऐसा संक्षिप्त ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि दिल्ली दुग्ध योजना से कितने व्यक्ति दूध ले रहे हैं; क्योंकि एक से अधिक कार्ड भी हो सकते हैं। कार्ड होल्डरों की कुल संख्या लगभग 2,50,000 है।

प्रतिदिन दूध की निम्नलिखित मात्रायें वितरित की जा रही हैं :

स्टेन्डर्ड मिल्क	97,747 लिटर
टोंड मिल्क	61,599 लिटर
गाय का दूध	3,318 लिटर
डबल टोंड मिल्क	16,765 लिटर
कुल :	1, 79, 429 लिटर

(ख) उपरोक्त (क) के कारण संक्षिप्त ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1 जुलाई, 1966 को दूध की विभिन्न किस्मों के लिए लगभग 15,000 आवेदन-पत्र प्रतीक्षा-सूची में थे। दूध की अलग-अलग किस्मों के लिए आवेदन पत्रों को अलग से रजिस्टर नहीं किया जाता।

(घ) अधिक दूध प्राप्त करने के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं व अधिक दूध प्राप्त होने पर प्रतीक्षा-सूची के व्यक्तियों को कार्ड दे दिये जायेंगे।

अनाज उत्पादन कार्यक्रम

261. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के लिए देश में अनाज के उत्पादन के लिए बनाये गये कार्यक्रम का क्या स्वरूप है;

(ख) यह कार्यक्रम किस सीमा तक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि कृषि कार्यों के लिए अपेक्षित बीज और लाइट डीजल भी नहीं दिया जा रहा, जिससे उत्पादन में कमी हो रही है; और

(घ) क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें हर राज्य में अधिक उत्पादन करने वाले बीज और लाइट डीजल के वितरण और उनकी मांग, देने के वचन तथा सम्भरण का ब्यौरा दिया गया हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) बजट अधिवेशन के समय अप्रैल, 1966, 1966-67 का कृषि विकास कार्यक्रम संसद सदस्यों में परिचारित किया गया था ।

(ख) पिछले 3 महीनों की अवधि में कार्यक्रम की क्रियान्विति के विषय में प्रारंभिक कदम उठाये गये हैं और प्रगति पर ध्यान दिया जा रहा है ।

(ग) यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय चालू वर्ष के खरीफ मौसम से है तो बीजों व हल्के डीजल की सप्लाई के बारे में जानकारी के लिए भाग (घ) देखें ।

(घ) एक विवरण जिसमें मौजूदा खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत आने वाले संभावित क्षेत्र के विषय में जानकारी दी गई है तथा दूसरा विवरण जिसमें हल्के डीजल तेल की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी गई है, संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी–6481/66]

Supply of Inferior Quality Wheat in Kashmir.

263. **Shri Brij Raj Singh :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wheat being supplied in Kashmir is of very inferior quality , and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon) :

(a) No, Sir. The wheat being supplied in Kashmir is either indigenous wheat procured in Punjab or imported which wheat is also being supplied to other areas in the country. In respect of both, quality inspection is carried out to ensure that the wheat made available is of the standard quality.

(b) Does not arise.

भारी ट्रैक्टरों का आयात

264. **श्री वाडीवा :** **डा० चन्द्रभान सिंह :**

श्री चांडक : **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री 8 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1701 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात के सम्बन्ध में की गई उदारता को ध्यान में रखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार को भारी ट्रैक्टरों के आयात के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब तक उपलब्ध की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) तथा (ख) : विदेशी मुद्रा निर्धारण प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश सरकार को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। मन्त्रालय इस मामले पर पत्र-व्यवहार कर रहा है ।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

Shri Maurya (Aligarh) : I had tabled an adjournment motion.

Mr. Speaker : I have disallowed it.

Shri Maurya : I have got a list of the persons belonging to scheduled castes, who died as a result of firing in Banda. . . . .

Mr. Speaker : I ask Shri Maurya to sit down (**Interruptions**).

Shri Maurya : The persons belonging to scheduled castes are being beaten and are being killed.

Mr. Speaker : Shri Maurya is deliberately interrupting the proceedings. I name him and ask him to leave the House.

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि इस सदन के सदस्य, श्री मौर्य को, जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है, सभा की सेवाओं से 15 दिन के लिए निलम्बित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि इस सदन के सदस्य, श्री मौर्य को, जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है, सभा की सेवाओं से 15 दिन के लिए निलम्बित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 233; विपक्ष में 8

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adoptod

(इसके बाद, श्री मौर्य सभा से चले गये)

Shri Maurya then left the House

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

परिवहन , उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) मद्रास पत्तन न्यास के 1964–65 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 6445/66]

(2) कांडला पत्तन न्यास के 1964–65 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 6446/66]

(3) कोचीन पत्तन न्यास के 1964–65 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 6447/66]

(4) बम्बई पत्तन न्यास के 1964–65 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 6448/66]

केरल वन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि , सामुदायिक विकास, तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल वन अधिनियम, 1961 की धारा 77 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 16/66 जो दिनांक 1 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 6360/66]

(दो) केरल वन (बहती तथा तटागत लकड़ी का संग्रहण) नियम, 1965, जो दिनांक 15 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 43/66 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) केरल वन (जल मार्गों द्वारा लकड़ी भेजने का विनियमन) नियम, 1965, जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 50/66 में प्रकाशित हुये थे ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 6362/66]

भारत तथा चीन के बीच पत्र व्यवहार

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा, 8 फरवरी, 1966 को भारत स्थित चीन के दूतावास को दिया गया नोट ।

(2) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, पीकिंग, द्वारा 6 जनवरी, 1966 को चीन स्थित भारत के दूतावास को दिया गया नोट ।

(3) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, पीकिंग, द्वारा 27 जनवरी, 1966 को चीन स्थित भारत के दूतावास को दिया गया नोट ।

(4) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा 30 मई, 1966 को भारत स्थित चीन के दूतावास को दिया गया नोट ।

(5) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, पीकिंग, द्वारा 2 जनवरी, 1966 को चीन स्थित भारत के दूतावास को दिया गया नोट ।

(6) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा 5 जुलाई, 1966 को भारत स्थित चीन के दूतावास को दिया गया नोट ।

(7) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, पीकिंग, द्वारा 12 जनवरी, 1966 को चीन स्थित भारत के दूतावास को दिया गया नोट ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी** 6449/66]

श्री हरि विष्णु कामत: यह पत्र समय क्रम से पटल पर नहीं रखे गये हैं। जनवरी तथा फरवरी में चीन सरकार द्वारा भेजे गये पत्र इतने विलम्ब से क्यों रखे गये हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यह समय क्रम के अनुसार नहीं बल्कि पत्रों के उत्तरों के अनुसार रखे गये हैं। हमने उन पत्रों का उत्तर देने के बाद उन्हें पटल पर रखा है।

लोक ऋण (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 के परिणाम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 1966-67 के दौरान लिये गये ऋणों के परिणाम

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ ;—

(1) लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत लोक ऋण (दूसरा सशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 4 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 839 में प्रकाशित हुये थे।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी** 6450/66]

(2) सरकार द्वारा अक्तूबर, 1965 में जारी किये गये राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 के परिणाम बताने वाला एक विवरण ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी** 6451/66]

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1966–67 के दौरान लिये गये ऋणों के परिणाम बताने वाला एक विवरण ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी** 6452/66]

पंजाब सीमा आयोग का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० श० नास्कर) : मैं, श्री हाथी की ओर से पंजाब सीमा आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 6453/66]

खाद्य निगम (छठा संशोधन) नियम, 1966

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उप धारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (छठा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। जो दिनांक 22 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1004 में प्रकाशित हुये थे।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी** 6454/66]

कम्पनियां (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1966

विधि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कम्पनियां (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 21 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 743 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी** 6455/66]

सरकारी संकल्प जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाली मंहगाई भत्ते की दरों में के परीक्षण के लिए एक आयोग स्थापित किया गया है, तथा सरकारी संकल्प जिसके द्वारा उपरोक्त आयोग के निर्देश-पद अधिसूचित किये गये हैं।

वित्त मंत्रालय-में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री ल० ना० मिश्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) सरकारी संकल्प संख्या एफ० 1 (8)–ई–II (बी) /66 (I) दिनांक 26 जुलाई, 1966 की एक प्रति जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते की दरों में के परीक्षण के लिए एक आयोग स्थापित किया गया।

(2) सरकारी संकल्प संख्या एफ० 1 (8)–ई II (बी)/66(II) दिनांक 26 जुलाई, 1966 की एक प्रति जिसके द्वारा उपरोक्त आयोग के निर्देश पद अधिसूचित किये गये।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी** 6456/66]

केरल भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 **के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 की धारा, 7 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूँ।

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 39/66 जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा इलायची की खेती करने के लिए सरकारी भूमि को पट्टे पर देने सम्बन्धी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये थे।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 40/66 जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 41/66 जो दिनॉक, 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 132 / 66 जो दिनांक 29 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया था ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी 6383 / 66]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) भारतीय लाख उपकर समिति का 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी-6457/66]

(दो) भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति का 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन । (हिन्दी संस्करण) ।

[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये संख्या एल० टी 6458/66]

(तीन) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सरकार भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 की धारा 7 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 215/66 जो दिनांक 31 मई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी 6459/66]

केरल पंचायत (औषधालय चलाना) नियम, 1966 तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल पंचायत (औषधालय चलाना) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 3 मई, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 180/66 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी 6460/66]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 जो दिनांक 10 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 912 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) दिल्ली चीनी (बेचने तथा रखने पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1966 जो दिनांक 10 जून 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 913 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) जी० एस० आर० 914 जो दिनाँक 10 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) जी० एस० आर० 915 जो दिनांक 10 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी 6461/66]

श्री कामत द्वारा 13 मई, 1966 को प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE RAISED BY SHRI KAMATH ON 13.5. 1966 AGAINST *P. T. I.*

अध्यक्ष महोदय : 11 तथा 12 मई, 1966 को श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा अन्य सदस्यों ने योजना मन्त्री के विश्व बैंक के प्रेसीडेंट के साथ हुई बातचीत के बारे में प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया द्वारा परिचालित कथित समाचार के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहा था । योजना मन्त्री ने 12 मई, 1966 को इस वक्तव्य का खण्डन सभा में किया था । 13 मई, 1966 से श्री कामत ने योजना मन्त्री के बारे में तथाकथित गलत समाचार परिचालित करने के कारण प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाया था । प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के संवाददाता द्वारा वाशिंगटन से भेजे गये समाचार के अनुसार योजना मंत्री की स्वदेश के लिए चलने से पूर्व विश्व बैंक के अध्यक्ष से अन्तिम भेंट हुई जिसमें दोनों ने उस वक्तव्य पर सहमति प्रकट की जो योजना मंत्री भारत को दी जाने वाली सहायता में बैंक के हिस्से के सम्बन्ध म संसद में देने वाले थे ।

इस सम्बन्ध में पी० टी० आइ से पूछ ताछ की गई है । उसके महाप्रबन्धक ने अपने उत्तर में बताया कि संवाददाता की ओर से कोई गलत समाचार अथवा गलत वक्तव्य नहीं दिया गया है । महाप्रबन्धक ने बताया कि योजना मंत्री ने स्वयं सदन में 12 मई को कहा था कि यह सुनिश्चित करन के लिए, कि सदन के सामने अपने वक्तव्य में उन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष और अमरीकी अधिकारियों द्वारा उन्हें बताये गये संकेतों को बिलकुल ठीक ठीक बताया है, उनके लिये यह अनिवार्य था कि वह चर्चा के उस भाग से सहमत होते जिससे उनके दृष्टिकोण का पता चलता ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी न हो । यौजना मंत्री के कथन में तथा संवाददाताओं के समाचार में बहुत कम अन्तर है । आगे उन्होंने यह भी कहा है कि वे समाचार गोष्ठी के फलस्वरूप थे और विदेशी संवाददाताओं को कुछ छूट देनी आवश्यक थी ताकि वे चर्चा के सम्बन्ध में यथासम्भव ठीक-ठीक समाचार अपने देश में भेज सकें । इन समाचारों को इकट्ठा पढ़ना होगा न कि किसी एक कंडिका को अलग पढ़ा जाये जो कि गलत बनाया गया हो सकता है ।

यदि सदन में किसी सदस्य के भाषण अथवा संसद की कार्यवाही का गलत समाचार दिया गया हो अथवा गलत बयान दिया गया हो तो विशेषाधिकार भंग या सभा का अवमान हो सकता है। इस मामले में प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने अथवा सदन का अपमान करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस मामले को समाप्त समझा जाना चाहिये।

हाल में हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में

RE : RECENT RAILWAY ACCIDENTS

अध्यक्ष महोदय : हाल ही के रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में रेलवे मंत्री ने एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा है। उसे कल लिया जायेगा।

सदन में शिष्टता आदि के बारे में

RE : DECORUM IN THE HOUSE ETC.

Shrimati Subhadra Joshi : The indecent happenings in the House yesterday and today, have shocked me. The marshal of the House fell in the House. You should hold an enquiry into this matter. (**Interruptions**).

Mr. Speaker : I have to believe the members. When a member says that he has seen that Marshal has slipped and nobody has used force, I have to believe him and I should believe him.

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : प्रश्न यह नहीं है कि मार्शल गिरा है अथवा उसे धक्का दिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में रोका गया है··· (**अन्तर्बाधायें**)

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मुझे खेद है कि वातावरण ठीक नहीं है और कह नहीं सकता कि मेरी अपील का कुछ प्रभाव होगा कि नहीं। फिर भी मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि जो कुछ कल हुआ वह हम सब के लिए ठीक नहीं। हम सब को प्रयास करना चाहिए कि सभा की कार्यवाही ठीक प्रकार से चले। हमें स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्माण करना है। और इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि जब अविश्वास का प्रस्ताव सभा के विचाराधीन हो तो कोई नीति प्रस्ताव सभा में नहीं लाया जाना चाहिए। मेरे विचार में नियमों में अवश्य कुछ दोष है। उसे ठीक किया जाना चाहिए।

बात बड़ी स्पष्ट है कि अविश्वास का प्रस्ताव सभा के समक्ष हो तो सभा के सदस्य यह अनुमति नहीं दे सकते कि आर्थिक नीति पर चर्चा हो। इस लिए मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरे सुझावों की ओर ध्यान दे, क्योंकि, अध्यक्ष महोदय आप सीधे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले में यह आश्वासन दे कि यह परम्परा निर्माण, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो अन्य कोई नीति प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुआ करेगी।

दूसरा प्रश्न सदन में गड़बड़ करने का है। कांग्रेस वाले जिन्होंने अपने बहुमत से अपने सहयोगियों को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित किया, वे भी इससे खुश नहीं हैं। मतभेद होना और बात है और कार्यवाही में विघ्न डालना बिलकुल दूसरी बात है। अतः मेरा निवेदन है कि

यदि इस बारे में सरकार आश्वासन देने को तैयार हो जिन लोगों को निकालने का आदेश दिया गया है वह वापिस ले लिया जायेगा। सारा झगड़ा सिद्धान्त का है, यदि सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता है तो बाकी कुछ नहीं रहता। मेरा फिर यह निवेदन है कांग्रेस तथा विपक्षी दलों को मेरा सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्धवान) : कल जो कुछ सभा में हुआ, उससे किसी को हर्ष नहीं हुआ। परन्तु मेरा निवदेन यह है कि यदि इस प्रकार से ही हालात चलते रहे तो संसदीय लोकतंत्र का भविष्य खतरे में हो जायेगा। प्रधान मंत्री और सदन के नेता भी इस स्थिति से काफी क्षुब्ध होंगे। सदन के नेता ने हममें से कुछ लोगों को बुला कर इस समस्या पर चर्चा भी की परन्तु खेद की बात है कि हम किसी निश्चित निर्णय पर न पहुंच सके। मेरा कहना है कि विरोधी पक्ष के इस तर्क में काफी वजन है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है तो नीति प्रस्ताव पहले नहीं लिया जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जब मैं यह कहता हूँ तो विरोधी पक्ष का बहुमत इस मामले में मेरे साथ है। मेरे विचार में इस बारे में जो बीच का रास्ता श्री सिंघवी ने बताया है। वह यह है कि वित मंत्री अपना भाषण आज समाप्त कर ले और इसके बाद उस पर चर्चा अविश्वास प्रस्ताब के बाद, अगले सप्ताह कर ली जाय। इसमें कोई अपमान की भी बात नहीं है और स्थिति भी सदन में सामान्य हो जायेगी। संसदीय कार्य भी ठीक प्रकार से चलने लगेगा। संसार में हमारी संसद तथा हमारे देश का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में भी ऐसा ही होता है। अविश्वास प्रस्ताव को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। मेरा यही अनुरोध है कि डा० सिंघवी का सुझाव स्वीकार कर लिया जाय।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मैं अपने दल की ओर से बोलता हूं। हमारा विचार है कि हमारी मांग संवैधानिक तथा संसदीय दृष्टि से बिलकुल उचित है अत: हमारा निवेदन है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पहले की जाय। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती तो यह ठीक बात नहीं है। हमें अपने संसदीय अधिकार मांगने का अधिकार है, हम यहाँ किसी के रहम पर नहीं आये हैं, जनता द्वारा चुन कर आये हैं। सिद्धान्त की बात है और संसदीय परम्पराओं को स्वीकार करने की बात है। अत: हमें सरकार से कहना है कि हम वित्त मंत्री का भाषण सुनने को तैयार नहीं है।

Shri Ram Sahai Pandey (Guna) : I fully support the suggestion put forward by Shri Dwivedi. Everybody in the House is shocked to see all what has happened here in this House. It is all the more sad that this has taken place in the name of dignity, democracy and decorum. You must realize that devaluation is an important matter and everybody would like to hear the Finance Minister on this subject. The country wants to know its effect, good or bad, that are going to be on the economy of the country.

The reference has been made of the British House of Commons. I may state that I had the opportunity to see the sessions of the British House of Commons for three times. I can safely say that one body there rare disobey the orders of the Speaker. Once he says, "order order" and there is a pin drop silence in the House. But we have seen the behavior of the people towards the Speaker in this House only yesterday. I want to appeal that proc edings should go on according to the rules and peace should be maintained in the House.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं इस बारे में अधिक कुछ न कहता हुआ श्री द्विवेदी का समर्थन करता हूँ। श्री द्विवेदी बहुत ही धीर पुरुष हैं और उनके सुझाव काफी वजन है।

हमें बदले की भावना में नहीं रहना चाहिए। भूल जाना और क्षमा कर देना, इस सिद्धान्त पर चलना चाहिये। मेरा निवेदन है कि श्री द्विवेदी के सुझाव को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

श्री आ० क० गोपालन (कासरगौड) इंग्लैंड की बात की गई है। इंग्लैंड में यह परम्परा है कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाये तो और किसी बात पर चर्चा नहीं की जाती। हमारा ख्याल यही है कि श्री सिंघवी का सुझाव स्वीकार कर लिया जाय। यदि ऐसा न हुआ तो हमारे लिए एक ही रास्ता रह जायेगा कि हम चर्चा में भाग नहीं लेंगे।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): यह विचार किया जा रहा है कि सारी शरारत विरोधी पक्ष की ओर से हो रही है। यह बात गलत है। विरोधी पक्ष वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो सदन और अध्यक्ष महोदय आपकी शान के विरुद्ध हो। मेरे विचार में इस सब की जिम्मेदारी कांग्रेस वालों पर है।

Shri Ram Manohar Lohia : One thing should be understood that we cannot think of the dignity of the country and of the House seperately. Both have to go hand in hand. You must see that there is no rule of law in the country. Endeavour ought to be made that lawlessness should come to an end in this country. Only then it will be possible to get smooth way for the working of democracy. Only the members of the opposition should be asked to go out of this House, Ministers should also be asked to quit who openly violate the rule and go against the law.

It is possible that the inconvenience of the few members may lay the foundation of healthy democratic and parliamentry conventions for the country, for all time to come.

श्री सत्य नारायण सिंह : जो कुछ हुआ है उस पर हमें भी उतना ही दुःख है जितना कि विरोधी पक्ष के लोगों ने व्यक्त किया है। हमने प्रत्येक समय इस बात का ध्यान रखा है कि विरोधी पक्ष के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाय। परन्तु जहाँ तक नीति का मामला है, उसे लेकर ही हमने यह प्रश्न रखा है। पता नहीं लगता कि ऐसी बातें क्यों होती है। ऐसी बातें तो विदेशी राज्य के विरुद्ध भी हम लोग नहीं करते थे। यह बात बड़े दुःख की है। फिर भी मैं इतना आश्वासन सरकार की तरफ से देता हूँ कि हम श्री द्विवेदी के सुझाव पर विचार करेंगे और हमारा यही प्रयास होगा कि इस तरह की बातें भविष्य में नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रस्ताव है कि आर्थिक स्थिति पर चर्चा स्थगित कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश की आर्थिक स्थिति वाले प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित कर दी जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम यहाँ बैठ कर चर्चा नहीं सुन सकते।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और कुछ अन्य सदस्य उठकर चले गये।

Shrimati Renu Chakarvarty and some other Hon. Memebers left the House.

श्री नम्बियार : हम भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। हम भी सदन त्याग कर रहे हैं।

श्री नम्बियार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये ।

Shri Nambiar and some other Hon. Members left the House.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : अस्वीकृति के रूप में हम सभा त्याग करते हैं परन्तु हम चर्चा में भाग लेंगे ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बहिर्गमन कर गये ।

Shri U. M. Trivedi and some other Hon. Members left the House.

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति संबन्धी प्रस्ताव

MOTONI RE : PRESENT ECONOMIC SITUATIONS IN THE COUNTRY

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थति पर विचार किया जाय ।

इस वर्ष के आरम्भ में बजट पेश करते समय मैंने बताया था कि पिछले वर्ष में जो उस समय समाप्त हो रहा था, बहुत अधिक कठिनाइयां रहीं । नवीनतम गणना के अनुसार 1965–66 में कृषि उत्पादन लगभग 15 प्रतिशत कम हुआ, औद्योगिक उत्पादन केवल 3.8 प्रतिशत बढ़ा और वास्तविक अर्थ में कुल राष्ट्रीय आय 4 प्रतिशत घट गई ।

वास्तविक संसाधनों में शीघ्रता से ऐसी कमी होने के कारण कीमतें एक वर्ष में 15 प्रतिशत बढ़ गईं और निर्यात में अधिक से अधिक बढ़ावा देने के बावजूद भी थोड़ी कमी हुई । हमें आवश्यक कच्चे माल और पुर्जों तक के आयात पर और अधिक प्रतिबंध लगाने पड़े । इस बीच हमारा पुनर्भुगतान दायित्व धीरे-धीरे बढ़ता गया जिससे कि गत अप्रैल से हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 18.75 करोड़ डालर उधार लेने पड़े ।

अतः उत्पादन में शीघ्र वृद्धि ही एक ऐसा उपाय है जिसके आधार पर हम रचनात्मक रूप से और आशावादी ढ़ंग से अपनी नानाविध समस्याओं का हल निकाल सकते हैं । अल्पकालीन कार्यवाही के तौर पर खाद्यान्न तथा उर्वरक और कृषि के लिए आवश्यक अन्य कच्चे माल का आयात करना जरूरी है जिससे चालू मौसम में कृषि के उत्पादन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिल सके । अधिक उदार आयात नीति के आधार पर ही हम औद्योगिक उत्पादन में एक नई गतिशीलता लाने की आशा कर सकते हैं ।

वर्तमान परिस्थितियों में शीघ्र तीव्र आर्थिक प्रगति न केवल नये निवेश और नई क्षमता के निर्माण पर निर्भर है बल्कि पहले से जो पूंजी लगाई गई है उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने पर निर्भर है । यही कारण है कि दीर्घकालीन निवेश करने से पहले हमें शीघ्र लाभ देने वाले निवेशों और वर्तमान क्षमता का पूरा पूरा और अधिक अच्छा उपयोग प्राप्त करने के प्रयासों को प्राथमिकता देनी पड़ी ।

जब कि वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां धीरे-धीरे इसी दशा की ओर उन्मुख हैं, एक क्षेत्र ऐसा है, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही नितान्त आवश्यक होती जा रही है अर्थात् हमारे भुगतान-शेष की स्थिति जो देश में मूल्यों में वृद्धि के कारण अधिकाधिक असह्य होती जा रही है ।

अवमूल्यन से पहले सूती कपड़े के निर्यात को वसूल किये गये वास्तविक मूल्य के 30 से 50

प्रतिशत और इससे अधिक की भी सहायता दी जाती थी। नये निर्माणों के लिये निर्यात पर सहायता की प्रभावी दर और भी अधिक थी। जूट, चाय और लौह-अयस्क जैसी वस्तुओं के परम्परागत निर्यात के लिए भी थोड़ी सहायता दी जा रही थी। और इस सहायता को और अधिक बढ़ाने की मांग थी। दूसरी ओर, सहायता के रुक जाने से इस बात की चेतावनी मिल गयी थी कि हम विदेशी सहायता पर निश्चित रूप से अथवा अधिक समय तक निर्भर नहीं रह सकते। अतः हमें यह सोचना था कि निर्यात में नई गति कैसे लाई जाए जिससे हमारी भुगतान शेष की स्थिति सुधर जाए और हम शीघ्र आत्म-निर्भर हो जायें।

हमें दो मार्गों में से किसी एक को चुनना था कि या तो हम निर्यात को दी जाने वाली सहायता में और अधिक वृद्धि करते अथवा विनिमय दर में औपचारिक परिवर्तन करके उसे यथार्थ के समीप लाते।

यह अनुभव किया गया था कि आयात के अधिकारों के प्रयोग को और अधिक बढ़ा कर सहायता देना सम्भव नहीं होगा। यदि निर्यात के लिये सीधी सहायता अधिक मात्रा में दी जाती तो हमारे बजट पर अधिक बोझ पड़ता और इसे कोई भी वस्तुतः अवमूल्यन से भिन्न नहीं मानता। इसके अलावा, आर्थिक सहायता से निर्यात को स्थायी रूप से निरन्तर उतना प्रोत्साहन न मिलता जितना कि औपचारिक रूप से विनिमय-दर में परिवर्तन कर के मिल सकता।

अवमूल्यन से उन निर्यातों को भी लाभ पहुँचेगा जिनको अब तक पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी। समय बीतने पर, विनिमय दर में परिवर्तन और सामान्य रूप से निर्यात-उद्योगों में उसके परिणामस्वरूप होने वाली वृद्धि से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में संसाधन अधिक बढ़ेंगे और इस प्रकार तीव्र निर्यात संवर्धन के लिये आवश्यक शर्त बन जायेगी। इसी कारण अवमूल्यन से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देसी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है और अदृश्य लेखे में शुद्ध आय भी अधिक होती है। इस प्रकार रुपये के अवमूल्यन का निर्णय उस स्थिति को मान्यता देना था जो उत्पन्न हो रही थी और भविष्य के लिये ऐसा उपाय भी था जिससे हम जल्दी से जल्दी आत्म-निर्भर हो सकें।

कभी कभी यह सुझाव दिया जाता है कि यदि हमे अपने निर्यात में वृद्धि करनी थी तो अवमूल्यन के बजाय हम मूल्यों में कमी करने का प्रयत्न करते किन्तु यह सुझाव न केवल वास्तविकता से परे था बल्कि सामान्य मूल्य स्तर में काफी गिरावट लाने की आशा करना गलत था। यदि आगे फिर काफी अच्छी फसल हो जाय तो उसका कुछ भाग हम भावी आवश्यकताओं के लिये रख लेंगे, न कि उस से मूल्यों में अनुचित गिरावट होने देंगे।

कुछ लोगों का यह विचार है कि वर्तमान परिस्थितियों में निर्यात बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। मैं ऐसा निराशावादी दृष्टिकोण मानने के लिये तैयार नहीं हूँ।

यह भी कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें कुछ चुने हुये उपायों की आवश्यकता है जबकि अवमूल्यन एक सामान्य उपाय था जिससे सामान्य रूप से अथवा विदेशों में लागत और लाभों में वृद्धि हुई है। किन्तु विद्यमान परिस्थितियों में भी हमें समय समय पर आम तथा चुनिन्दा उपायों की आवश्यकता होती। रुपये का अवमूल्यन करते समय भी हमने इस बात का ध्यान रक्खा है कि इसका प्रभाव सीमित रहे। इसीलिये अनेक उत्पादों पर आयात-कर लगा दिया गया।

आयात के सम्बन्ध में भी हमने आयात करों में उचित सहायता देकर या उनमें ताल-मेल बैठाकर यह प्रयास किया है कि खाद्यान्न, उर्वरकों और पैट्रोलियम उत्पाद जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न होने दी जाये ।

वे व्यक्ति भी जो अवमूल्यन को कष्टदायक तथा अपरिहार्य आवश्यकता मानते थे, कभी कभी यह सोच बैठते हैं कि ऐसा करके सरकार ने अपनी असफलता स्वीकार कर ली है । हम यह सुझाव नहीं मान सकते । कुल मिलाकर, आर्थिक क्षेत्र में हमारी प्रगति किसी भी कसौटी से प्रशंसनीय है । पिछले 15 वर्षों में पर्याप्त आर्थिक प्रगति हुई है । अभी पीछे जो कठिनाइयां हमने अनुभव कीं वे अंशतः उन कारणों से पैदा हुईं जो हमारे नियंत्रण के बाहर थे । यह और भी बड़ी असफलता होती यदि हम विद्यमान वास्तविकताओं को न मानते और इस प्रक्रिया में आत्म-निर्भरता की ओर शीघ्र प्रगति के अवसरों की आहुति दे देते ।

सरकार को इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारा पहला काम उस मुद्रास्फीति को रोकना है जो पहले से चली आ रही है। हमारा इरादा आवश्यक कार्यवाही करने का है, विशेषकर मितव्ययता के लिए जिससे कि चालू वर्ष में केन्द्र तथा राज्य के बजटों में संतुलन स्थापित हो सके ।

रिजर्व बैंक को भी उधार लेने पर बैंकिंग पद्धति द्वारा अत्यधिक रोक लगानी पड़ेगी । उत्पादन की आवश्यकताओं को बचत द्वारा पूरा किया जाना चाहिये न कि रिजर्व बैंक से उधार लेने की प्रणाली को बढ़ा कर ।

मुद्रा स्फीति की समस्या को सुलझाने के लिये राजकोषीय तथा धन सम्बन्धी नीति के अलावा निकट भविष्य में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है । कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये कच्चे माल और पुर्जों के आयात की अधिक उदार नीति से, जिसकी चालू वर्ष के पूर्वार्ध के लिये हम घोषणा कर चुके हैं, अधिक उत्पादन बढ़ेगा ।

इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति जो पहले से ही विद्यमान थी अवमूल्यन के साथ सम्बद्ध है अथवा इसे इससे प्रोत्साहन मिला है । अवमूल्यन के बाद के चार सप्ताहों में थोक मूल्यों में 1. 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अवमूल्यन से पहले के चार सप्ताहों में यह वृद्धि 2.4 प्रतिशत थी ।

सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों तथा उद्योगों के सहयोग से यह प्रयत्न किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को न बढ़ने दिया जाय ताकि मुद्रास्फीति की स्थिति का लाभ उठाकर कृत्रिम अभाव पैदा न किया जा सके । फुटकर दुकानों की स्थापना और उपभोक्ताओं के सहयोग से आवश्यक वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य का भुगतान रोकने के लिये तब तक सहायता मिल सकती है जब तक अधिक उत्पादन का प्रभाव सामान्य मूल्य स्तर पर स्थायी रूप से पड़ना शुरू नहीं होता ।

हमने निर्यात उद्योगों और ऐसे उद्योगों को जिनके पास आयातित कच्चा माल है, और अधिक क्षमता बढ़ाने के लिये उदारतापूर्वक अनुमति देने का भी विचार किया है । आयात को और अधिक उदार बनाने की एक योजना की हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं । निर्यात और आयात के सम्बन्ध में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाली अनिवार्य संदिग्धता को हमने दूर कर दिया है

और अब यह निर्यात करने वालों और आयात-स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादकों, दोनों के लिये सम्भव हो सकेगा कि वे एक स्थिर नीति के आधार पर अपनी आयोजना बना सकें।

भुगतान-शेष या मूल्य स्थिरता सम्बन्धी समस्याओं का समाधान हमें केवल ऐसे वातावरण में काफी लम्बे समय के बाद ही मिल सकेगा जिसमें प्राथमिकता बढ़ती हुई उत्पादकता और यथार्थ बचत के आधार पर आर्थिक प्रगति सतत होती रहे। संसाधनों के उपयोग में उचित प्राथमिकता स्थापित करने की दिशा में अवमूल्यन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय था। किन्तु इसको सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में उपयुक्त निवेश संबंधी निर्णय ले कर पूरा करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि देश की वतर्मान आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाये।"

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 तथा 6 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बड़े (खरगांव) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : मैं एक संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मुझे खेद है कि इस समय सभा में पूरे सदस्य नहीं हैं। आशा थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिये सभी दलों के सदस्य उपस्थित होंगे तथा इसमें भाग लेगें।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEEKER *in the Chair*]

5 जून की अर्ध रात्रि को लोगों को पता चला कि रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया है, हमारी साख क्षीण हो चुकी है और कि हमारा राष्ट्र दिवालिया हो चुका है। वास्तव में विश्व में हमारे रुपये का मूल्य कई वर्ष पूर्व कम हो चुका था परन्तु लोगों ने इसको महसूस नही किया क्योंकि सत्तारुढ़ दल के व्यक्तियों ने इस तथ्य को लोगों से छिपा के रखा तथा उनकी आँखों में धूल झौंकी।

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री प्रो० शिवाय तथा राजाजी कई वर्ष से यह चेतावनी दे रहे थे कि हमारे रुपये का मूल्य कम हो रहा है और हमे इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। मैं ने भी कई बार इस सभा में इस बारे में सरकार को चेतावनी दी थी परन्तु उन चेतावनियों की उपेक्षा की गई परन्तु आर्थिक नियमों ने अपना काम कर दिया।

वास्तव में बात यह नहीं है कि अवमूल्यन बुरा है अथवा अच्छा। अवमूल्यन तो एक उपाय है। इसका अच्छा अथवा बुरा होना तो इस बात पर निर्भर करता है कि इसको लागू करने वाले व्यक्ति इसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। आज देश में जिन लोगों के हाथों में सत्ता हैं, उनके द्वारा इन उपायों को ठीक ढंग से उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है।

इस स्थिति के उत्पन्न होने के मुख्य कारण ये हैं कि हमने निर्यात कम किया है और आयात अधिक किया है। हमने अपनी आय से अधिक खर्च किया है। ये सभी बुराइयां दूसरी तथा तीसरी पंच वर्षीय योजनाओं में मिलती हैं जो कि घाटे की अर्थव्यवस्था पर आधारित थीं। इसी कारण देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन योजनाओं में भारी उद्योगों तथा इस्पात पर अधिक जोर

दिया गया है और कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं को उपेक्षा की गई है। इन योजनाओं के लिये हम विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर रहे। मुद्रास्फीति की स्थिति के लिये किसी हद तक पी० एल० 480 भी जिम्मेदार है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुँच गये हैं जहाँ हमें पुराने ऋण चुकाने के लिये नये ऋण लेने पड़ते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इन सब समस्याओं पर रचनात्मक रूप से विचार करना चाहिये ताकि हमें अगले दो तीन वर्षों में दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन न करना पड़े तथा वर्तमान अवमूल्यन से लोगों पर जो त्याग लादा गया है वह नष्ट न हो।

भारी करों के कारण जनता की जेब से वह रुपया जो लाभदायक तरीकों से उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता था, सरकार के अनुत्पादक खजाने में गया है। यही कारण है कि कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में उत्पादन कम हुआ है।

अधिक नियत्रंण के कारण उद्यम नष्ट हो गया है, भ्रष्टाचार तथा मुनाफखोरी बढ़ी है। जिस प्रकार रुस में स्टालिन के काल की आर्थिक गलतियों तथा आर्थिक आयोजन के कारण लोगों को कष्ट सहन करना पड़ा था, उसी प्रकार भारत में भी लोग नेहरु काल की ग़लतियों तथा आयोजन के कारण पीड़ित हैं। पिछले 15 वर्षों में हुए गलत कार्यों तथा समय समय पर दी गई चेतावनी के बावजूद वर्तमान दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हुई है।

यदि देश को इस कठिन स्थिति से बचाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इस बारे में मैं पांच अथवा छः ठोस प्रस्ताव करने वाला हूँ और आशा है कि अधिकांश माननीय सदस्य उनसे सहमत होंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार उनको क्रियान्वित करेगी। सरकार को हर प्रकार की घाटे की नीतियों को छोड़ना होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि अवमूल्यन के पश्चात के बाद भी इस नीति का त्याग नहीं किया गया है। 18 जुलाई को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में वित्त मंत्री ने बताया है कि राज्यों ने गत तीन सप्ताह में रिजर्व बैंक से निर्धारित राशि से लगभग 20 करोड़ रुपये अधिक धन लिया है। इस प्रकार की नीति को छोड़ देना चाहिये। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सिविल गैर विकास कारी खर्च में भारी कमी करनी चाहिये तथा सचिवालय स्तर पर होने वाले खर्च को बिल्कुल समाप्त करना चाहिये।

आश्चर्य की बात तो यह है कि भर्ती बन्द करने की बजाय सरकार ने सिविल सेवाओं में अधिक भर्ती की है। जैसा कि समाचार पत्रों से पता चलता है मुझे विश्वास है कि वित्तमंत्री राजस्व व्यय में तीन प्रतिशत तथा पूंजी व्यय में पांच प्रतिशत कटौती करने के लिये सहमत हो गये हैं। इससे 50 करोड़ रुपये की बचत होगी। तीसरे हमें विदेशों से ऋण केवल अत्यावश्यक प्रयोजनों के लिये ही लेनी चाहिये। नये कारखाने स्थापित करने से पूर्व हमें वर्तमान कारखानों को मजबूत बनाना चाहिये। हमें चौथी पंचवर्षीय योजना को तब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए जब तक हम अपने घर को ठीक न करलें तथा जो धन हम अबतक लगा चुके हैं उससे कुछ प्राप्त न कर लें। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों में पर्याप्त कमी करनी चाहिये जिससे कि लोगों के पास अधिक रुपया बच सके तथा वे इस रुपये को उत्पादक कार्यों में लगा सकें। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि परमिटों, कोटे तथा नियंत्रणों का जिसमें स्वर्ण नियंत्रण भी शामिल है समाप्त किया जाना चाहिये। राजनीतिक भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ आयात लाइसेंस हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे इन सुझावों से अधिकांश माननीय सदस्य सहमत होंगे।

प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या सरकार ये मूल परिवर्तन करने के लिये तैयार है ? ऐसा

प्रतीत होता है कि सरकार ऐसे परिवर्तन करने के लिये तैयार नहीं है। जो कुछ दिखाई देता है वह तो इस आशा के विरूद्ध है कि सरकार देश को इस दल-दल से बचायेगी जिसमें उसने हमें डाल दिया है। सरकार ने तो अपनी पिछली गलती के लिये दुख भी प्रकट नहीं किया है।

विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी सरकारों से ऋण लेने का मूल्य सरकार ने अवमूल्यन के रूप में दिया है। 5 जून को भी अवमूल्यन के स्थान पर दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था। वह रास्ता था अवमूल्यन न करना, कोई सहायता न लेना तथा चौथी योजना न बनाना। अथवा अवमूल्यन न करना, थोड़ी सहायता लेना तथा छोटी योजना बनाना। यह रास्ता एक आत्म-सम्मान का रास्ता था। परन्तु क्योंकि यह रास्ता चौथी योजना में बाधक था इसलिये इसे नहीं अपनाया गया है।

सरकारी क्षेत्र हमारी अर्थ व्यवस्था में एक अपव्यय का क्षेत्र है। इसमें जितनी भी पूँजी लगाई है उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। परियोजना सहायता जो हमें विदेशों से मिलेगी वह उसी क्षेत्र में लगाई जायेगी। स्वयं प्रधान मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकारी क्षेत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इसलिये मैं कहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र के लिये विदेशों से लिया गया ऋण हमारे लिये एकदम घाटे का सौदा है। सरकार ने विश्व बैंक तथा अन्य देशों के साथ एक घाटे का सौदा ही किया है।

समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में 16,000 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी। इसका अर्थ यह है कि गत वर्ष योजना सम्बन्धी ज्ञापन में जो बताया गया था उससे 1500 करोड़ रूपये अधिक सरकारी क्षेत्र में खर्च किये जायेंगे।

चौथी योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा काफी नहीं रहेगी। कराधान और अन्य उपायों से 18000 करोड़ रुपये की रकम जुटाई जायेगी। समस्या का ठीक समाधान करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान में कटौती करने का सुझाव दिया गया। भारतीय रुपये का मूल्य विमुक्त बाजार में अमेरिका के 10 सैंट के बराबर रह गया है और यदि सरकार इस दीर्घकाय चतुर्थ योजना से चिपटी रही तो भारतीय रुपये की कीमत दो-तीन वर्षों में 5 सैंट रह जायेगी। यदि नीतियों में परिवर्तन न लाया गया तो देश और दिवालिया हो जायेगा। चतुर्थ योजना के आकार को कम किया जाये ताकि मुद्रास्फीति न बढ़े।

देश का तब तक हित नहीं होगा जब तक वर्तमान सरकार को अपदस्थ नहीं किया जायेगा और गत 15 वर्षों से शासन करने वाले दल का सत्ता का एकाधिकार समाप्त न किया जायेगा। हमारे देश में सभी बुद्धिमानों की एक निर्दलीय सरकार होनी चाहिये। यह खेद की बात है कि इस सम्बन्ध में दी गई सलाह को ठुकरा दिया गया। कुल मतदान के 50 प्रतिशत से भी कम मतदान कांग्रेस दल को संसदीय चुनावों में मिला है फिर भी यह दल सरकारबनाये हुए है। अतः इस समस्या का समाधान राजनैतिक है न कि आर्थिक। कई विरोधी दलों के होने के कारण मतदान का विभाजन हो जाता है और अल्पमत दल को शासन करने का मौका मिल जाता है।

श्री खाडिलकर (खेड): देश तथा लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अवमूल्यन किया गया है। ऐसा करना वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक था। अब अवमूल्यन के विषय पर अवमूल्यन के उपरान्त सम्बन्धी कार्यवाही पर चर्चा होनी चाहिये। श्री मासानी ने अमरीका के ऋणदाताओं

को परामर्श दिया है कि भारत को ऋण न दिया जाये जितने तक कि वह एक विशेष नीति का अनुचरण नहीं करता। इस संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस संसद के सदस्य को ऐसी विदेशी सरकार को परामर्श देने का अधिकार है जो हमारी ऋणदाता हो।

श्री मी० रु० मसानी: मैंने अमरीका की सरकार को ऐसी कोई चीज करने का परामर्श नहीं दिया। वह वक्तव्य गलत है। यह कहना अनुचित होगा कि श्री नेहरू के समय में जो नीतियां अपनाई गई उनके कारण भारत एक दिवालिया देश हो गया है। 17 वर्ष पहले परिस्थितियां भिन्न थीं। स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी साम्राज्यवादियों के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न कर दी गई थी। गरीबी तथा पछड़ेपन को हटाने के लिये हमें उपाय करने थे। उस समय तो नेहरु की नीति को अपनाने के सिवाय और कोई चारा ही न था। वह ऐसा विकास चाहते थे कि जिससे पश्चिम और पूर्व दोनों से स्वतंत्र रहें। अवमूल्यन के पश्चात जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उस स्थिति से भी हम श्री नेहरू की नीतियों पर चल कर ही निकल सकते है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विदेशी मुद्रा और बजट सम्बन्धी कुछ गलतियां हुई परन्तु जो गलती नहीं करता है वह उन्नति भी नहीं करता। आज के समय में हमें स्वयं अपना आत्म निरीक्षण करना चाहिए अवमूल्यन एक उचित कदम है और इससे शीघ्रप्रगति होगी। बाहरी प्रभाव के कारण अवमूल्यन नहीं किया गया। रुपये का अवमूल्यन योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी था। इस देश में विशेष योजना, विशेष सामाजिक और अन्य प्राथमिकताओं के साथ एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया गया था। गणतंत्र में स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था का होना आवश्यक है। एक विशेष दिशा में अर्थव्यवस्था को मोड़ने का 18 वर्ष के राष्ट्रीय प्रयत्न से जनता को काफी लाभ हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक का भी अपना सिद्धान्त है। उनके पास कोई मूल्य समता सिद्धान्त है जिसको वे भारत तथा अन्य देशों पर लागू करते हैं जिन्हें वे ऋण देते हैं। योजना तथा वित्त मंत्रियों को चाहिये कि यह साफ बतायें कि क्या हमने यह सिद्धान्त कतई तौर पर मान लिया है। यदि यह सिद्धान्त हम मानते हैं तो रुपये का सम्बन्ध किसी विदेशी मुद्रा से स्थापित करना आवश्यक है और रुपये की स्थिरता बनाये रखने के लिए उस पर दृढ़ रहना आवश्यक है इस समय विकासशील देशों के साथ हमारी व्यापार की शर्तें उल्टी हैं हमारी अर्थ-व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं।

चूंकि हम अपनी योजना में सहायता प्रधान हैं इसलिए इस देश में मानसिक परतन्त्रता की भावना अकसर पाई जाती है। यह भावना खाद्य वस्तुओं तथा अन्य सभी वस्तुओं के बारे मे पाई जाती है। जो भी विदेशी है, हम उसे अच्छा समझते है और उसके गुणों की ओर ध्यान नहीं देते। जब तक हम इस भावना को सदा के लिए नहीं छोड़ देते, हम वर्तमान स्थिति का सामना नही कर सकेंगे जिसमें कि हमें कुछ कड़वे तथा निडर निर्णय लेने होंगे।

रुपये का विदेशी मूल्य गिर रहा था। देश के अन्दर वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये थे और इस कारण विदेशी बाज़ार में रुपया का मूल्य कम बताया जाता था और इस लिए रुपये का अवमूल्यन विवश परिस्थितिओं में किया गया। किन्तु हमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिये ताकि हमें पुनः अवमूल्यन न करना पड़े। हमें अपनी मुद्रा में विश्वास उत्पन्न करना चाहिये। इस कार्य को पूरा करने के लिये हमें कुछ उपाय करने के लिए तैयार रहना चाहिये। मेरे एक मित्र श्री मी० रु० मसानी ने सुझाव दिया है कि योजना तथा योजना आयोग को सदैव के लिए खत्म कर दिया जाये।

श्री मो० रु० मसानी: मैंने योजना को खत्म करने के लिए नहीं कहा । मैंने केवल इतना कहा है कि जब तक इस स्थिति पर काबू नहीं पा लेते चौथी पांचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया जाये।

श्री खाडिलकर : उनका सुझाव है कि पांच वर्षों के लिए कोई योजना नहीं होनी चाहिये । वास्तव में उन्होंने यह कहा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वास्तव में हमारे पास योजनारहित योजना है क्योंकि हमारे पास कोई योजना नहीं है ।

श्री खाडिलकर : मैं इस विवेचन की ओर बाद में आऊंगा पहले श्री मी० रु० मसानी के विवेचन पर वक्तव्य को पूरा करने दें । श्री मसानी ने सुझाव दिया है कि यदि अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उस रास्ते का अनुसरण न करें जिस पर 18 वर्षों के लिए चले हैं । पांच वर्ष तक कोई नया आयोजन नहीं किया जाए । यह भी सुझाव दिया गया कि घाटे की वित्त-व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। सरकारी क्षेत्र में कोई प्रायोजना न हो तथा सरकारी क्षेत्र में कोई विनियोजन न किया जाये । अठारह वर्षों के विकास के पश्चात् कोई भी सरकार सरकारी क्षेत्र के विस्तार तथा सामाजिक सेवाओं पर व्यय को नहीं छोड़ सकती । देश में आयोजन को तो जारी रखना ही होगा । सरकारी क्षेत्र के विस्तार के सम्बन्ध में कुछ प्राथमिकतायें अवश्य रखनी चाहिये ताकि अन्त में उसे उच्च स्थान प्राप्त हो जाये ।

सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सरकार के बनाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । ऐसी सरकार का जनता से सम्बन्ध टूट जायेगा । वह बहुत ही अप्रजातन्त्रीय तथा एकतन्त्रीय सरकार होगी ।

यह आलोचना अनुचित है कि रुपये के अवमूल्यन के बारे में सरकार ने पहले से कोई घोषणा क्यों नहीं की । लोकतंत्र में सरकार को किसी जानकारी को रोकने का अधिकार है ।

पिछले अठारह वर्षों में बनाये गये सामाजिक आर्थिक ढांचे के भीतर ही हमें आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देने हैं । इन वर्षों में हमने जो कुछ किया है, उसे हम छोड़ नहीं सकते ।

एक विकासशील देश में मुद्रास्फीति अनिवार्य है । परन्तु मुद्रा-स्फीति और मूल्यों की वृद्धि काबू से बाहर नहीं जानी चाहिये । केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि राज्य सरकारों को अधिक ऋण लेने की अनुमति न दें राज्यों को बिना ठीक योजना के घाटे की अर्थ-व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । बड़े-बड़े भवन बनाने पर अधिक रुपया नहीं व्यय करना चाहिये । विकास से भिन्न कार्यों पर जो व्यय होता है वह वांछनीय से अधिक है । एक स्थायी वित्त समिति होनी चाहिये जो प्रत्येक मंत्रालय को अन्तिम रूप से व्यय करने की अनुमति देने से पहले उसकी जांच पड़ताल करे ।

यह अच्छा हुआ कि आयात अधिकार योजना को समाप्त कर दिया गया है किन्तु यह कुछ हद तक ही लाभदायक है । जब भी आयात का अधिकार कुछ विशेष मामलों में दिया जाये तो उसकी एक समिति जांच करे जिसे इस कार्य के लिए बनाया जाये तथा उसका ठीक प्रकार से हिसाब किताब रखा जाये । निर्यात प्रोत्साहन भी संतोषजनक नहीं है । लगभग 40 से 100 करोड़ की विदेशी मुद्रा का कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा गया । इस मामले की जांच की जाये ।

जहां तक हो सके निर्यात को कम किया जाये । एक ऐसी धारणा है कि किसी न किसी बहाने कुछ लोग आयात करने के लिये प्राथमिकता ले लेते हैं । इस पर रोक होनी चाहिये । जहां

तक नियंत्रणों का सम्बन्ध है, यद्यपि यह कुछ मामलों में अनावश्यक है परन्तु उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इनमें भेद भाव बरता जाये।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, इसमें हम बिल्कुल विफल हुए हैं। जब तक कृषि का आधार मजबूत नहीं किया जाता, हम आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। समय आ गया है कि इसके बारे में कुछ किया जाये।

राजनीतिक उत्तरदायित्व नियत नहीं किया जाता। सरकार से सुझाव किया गया कि राजनीतिक उत्तरदायित्व नियत किया जाये। किसी नीति के सफल होने तथा विफल होने की राजनीतिक जिम्मेदारी होती है इसे नियत किया जाये। यह कार्य शीघ्र ही होना चाहिये।

हमें पुनः गांधी काल की भावनाओं पर चलना होगा। केवल आत्म निर्भरता की बातें करने से ही कोई लाभ नहीं, एक स्टोर अथवा सुपर बाजार बनाने से वितरण की समस्या हल नहीं हो सकती। वितरण तथा आय की समस्या देश भर में व्यापक व्यवस्था बना कर ही हल करनी होगी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, अवमूल्यन के निर्णय की घोषणा के बाद मुझे प्रधान मंत्री का संदेश प्राप्त हुआ था कि वह विरोधी दल के सदस्यों से परामर्श करना चाहती हैं। उस दिन मैंने समाचार पत्रों को वक्तव्य दिया था कि अब इस पर बातचीत करने का कोई लाभ नहीं। सरकार ने सदन में इस बात का बलपूर्वक खंडन किया है कि रुपये का मूल्य कम करने का पहले कोई प्रस्ताव था। मालूम होता है कि सारी चर्चा गुप्त रूप से हुई है।

अवमूल्यन की परिस्थितियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। 1950–51 से पूर्व ऋण कोई नहीं थे। 1950–51 में केन्द्रीय सरकार के कुल ऋण 32 करोड़ रुपये से अधिक नहीं थे। परन्तु 1960 तक यह ऋण लगभग 161 करोड़ रुपये हो गये और 1965 तक 2,629 करोड़ रुपये तक पहुँच गये। इन्हीं ऋणों के कारण रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा।

सरकारी उपक्रमों का काम संतोषजनक नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका प्रशासन ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्हें व्यापार का कोई अनुभव नहीं है। पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे 30 औद्योगिक निगमों में लगी हुई 1700 करोड़ की पूंजी से कुल आय केवल 1.9 करोड़ रुपये हुई है। करदाताओं की परिश्रम से अर्जित आय का धन सरकारी क्षेत्र में लगाकर बर्बाद किया जा रहा है।

यह गलत बात है कि अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होगी। हमारे पास निर्यात योग्य कोई वस्तुएं नहीं हैं। सरकार की दूरदर्शिता की कमी के कारण बहुत बड़ी राशियां बर्बाद हो गई हैं। कुछ योजनायें आरम्भ करने तथा उन पर बहुत बड़ी राशि लगाने के पश्चात् उन्हें बन्द कर दिया गया। धन की इतनी अधिक बर्बादी रोकी जानी चाहिये।

गैर सरकारी व्यापारियों की तुलना में सरकार जनता का अधिक शोषण करती है। परियोजनायें क्रियान्वित करने पर व्यय भ्रष्टाचार के कारण बहुत बढ़ गया है। सरकार ने निर्धन लोगों का गला घोंट कर बहुत धन कमाया है। भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। वह दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। हमें अपनी स्थिति ठीक करने के मामले पर अवश्य ही विचार करना चाहिये।

समझ में नहीं आता कि अवमूल्यन से आयात किस प्रकार रुक जायेगा क्योंकि पहले ही आयात लाइसेंस के अधीन ही किया जा सकता है। जैसे ही आप निर्बाध आयात की अनुमति

देंगे, क्या होगा ? श्री खाडिलकर ने एक उदाहरण दिया है कि देश में 46 लाख रुपये की ताशों का आयात किया गया। अब 500 करोड़ रुपये की लिपस्टिक का आयात किया जायेगा।

रुस के श्री मनुभाई शाह के हाल ही के दौरे में वह इस बात पर सहमत हो गये कि रुस से आयात पर भारत 57.7 प्रतिशत अधिक देगा परन्तु 6 जून, 1947 से पहले किये गये करारों के अन्तर्गत निर्यात पर केवल 47.5 प्रतिशत ही अधिक लेंगे। आयात तथा निर्यात की दरों में यह अन्तर क्यों है। हमारे लिए रूस तथा अमरीका दोनों ही एक जैसे हैं।

अवमूल्यन से देश को किसी प्रकार लाभ नहीं हो सकता।

इन परिस्थितियों में रुपये का मूल्य पुनः निर्धारित नहीं किया जा सकता। सरकार ने रुपये का मूल्य कम करके बहुत बड़ी गलती की है। सामान्य व्याहारिक ज्ञान की कमी के कारण ही अवमूल्यन हुआ है। सरकार को उचित रुप से अवश्य ही विचार करना होगा ताकि हमारा देश बार बार अवमूल्यन का सहारा लेकर दक्षिण अमरीकी देशों का रास्ता न अपनाये।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई–केन्द्र–दक्षिण) : सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं अवमूल्यन का समर्थन करता हूँ। जब देश में एक विशिष्ट आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब अवमूल्यन आवश्यक हो जाता है। यह कहना अथवा आशा करना भी अनुचित है कि इस प्रश्न पर अन्य दलों के साथ परामर्श किया जाना चाहिये था। सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह अवमूल्यन के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेती तथा उसने यह निर्णय करके अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। इसलिये, इस बारे में निर्णय लेने के कारण अथवा दूसरों से परामर्श न लेने के कारण हम सरकार पर कोई दोष नहीं लगा सकते।

कुछ अन्य मामलों में तथा कुछ अन्य आधारों पर सरकार पर दोष लगाया जा सकता है। सरकार को मुद्रा, विदेशी मुद्रा तथा इसी प्रकार के अन्य सम्बद्ध विषयों के बारे में जनमत को शिक्षित करने के लिये कदम उठाने चाहिये थे। एक मुद्रा आयोग स्थापित किया जाना चाहिये था जो मुद्रा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय की समीक्षा करता और देश की जनता को उस विषय की जानकारी देता। इस विषय पर विचार करना रोचक होगा कि क्या हमारी मुद्रा सम्बन्धी समस्या के बारे में अब भी किसी प्रकार की जांच करना लाभदायक होगा।

मैंने पहले ही कहा है कि जब देश में कुछ विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब अवमूल्यन आवश्यक हो जाता है। वे परिस्थितियां हैं जब भुगतान शेष में लगातार कमी होती जाये। यदि हमारा मूल्य स्तर दूसरे देशों, जिनसे हमारा व्यापार हो, के मूल्य स्तरों से पुराना हो जाये, तीसरे जब देश में लागत ढांचे में वृद्धि हो जाये और हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना माल न बेच पायें तो अवमूल्यन आवश्यक हो जाता है।

[**श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair.*]

एक सौ भारतीय रुपये और 18.66 ग्राम सोने के बीच क्रय शक्ति की समता बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसलिये हम इस प्रकार की स्थिति स्वीकार नहीं कर सकते थे और अन्य देश भी उसे अनुचित नहीं समझते थे। ऐसे विश्व में जहां हमें परस्पर सहयोग की मांग करनी पड़ती है, यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे जितनी जल्दी दूर किया जाता उतना ही अच्छा था।

यद्यपि भारतीय सौ रुपये और 18.66 ग्राम सोने के बीच क्रय शक्ति समता समाप्त हो चुकी है फिर भी हम अब भी पुराने आधार पर ही अन्य देशों के साथ लेनदेन कर रहे हैं। हम ऐसा केवल इसीलिये कर सके हैं क्योंकि विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं। यदि ये दो संस्थाएं नहीं होती तो हमें रुपये का अवमूल्यन बहुत पहले ही करना पड़ता।

बहुत से देशों को अवमूल्यन करना पड़ा है। हमें इस प्रश्न पर विशेषरुप से उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। अमरीका, ब्रिटेन, फ्राँस, इटली और रुस जैसे कई देशों को अवमूल्यन करना पड़ा है।

हमें यह आशा करनी चाहिये कि अवमूल्यन के पश्चात व्यापार पुनः चालू होगा और आर्थिक प्रगति तीव्र होगी। अन्य देशों में भी इसी प्रकार हुआ है और जहांतक हमारा सम्बन्ध है, पिछली तीन पंच वर्षीय योजनाओं में हमने जो रुपया लगाया है उसको देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि हम प्रगति के मार्ग पर बहुत अच्छी तरह स्थित हैं।

रुपये का विनिमय दर कम करने में देश की प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। यदि हम अधिक तेजी से प्रगति करते हैं, आर्थिक विकास करते हैं और बिना किसी कठिनाई के ऋण-भुगतान सम्बन्धी दायित्व पूरा करते हैं तो हम अपनी प्रतिष्ठा को कायम रख सकते हैं।

यह कहा गया है कि हमने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के दबाव में आकर अवमूल्यन किया है। परन्तु हमें यह समझना चाहिये कि यदि ये संस्थाएं न होती तो भी हमें अवमूल्यन करना पड़ता। हम अन्य देशों की तुलना में अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ही अवमूल्यन करने के लिये बाध्य हुए हैं।

अन्त में मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम इन दोनों संस्थाओं के संस्थापक सदस्य हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ दिवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जिस सामाजिक, आर्थिक विचार धारा को हम सब ने स्वीकार कर लिया था, अवमूल्यन उसके मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में यह एक निश्चित परिवर्तन आया है और हम पीछे की ओर चल पड़े हैं।

सरकार ने देश की जनता को धोखा दिया है। जिस प्रकार सरकार ने अवमूल्यन किया है यदि ऐसा किसी अन्य देश में किया जाता तो सरकार पर अभियोग चल गया होता। सरकार ने जनता तथा संसद को धोखा दिया है। सरकार ने जिस नीति को अपनाया है इसे तो उसके दल ने भी स्वीकार नहीं किया है। बार बार सदन में यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या अवमूल्यन के बारे मे विचार किया जा रहा है और सदा यही उत्तर दिया गया कि जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, अवमूल्यन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहाँ तक मेरे माननीय मित्र श्री अशोक महता ने भी अमरीका में यही कहा था कि मैं हजारों मील की यात्रा करके विनिमय मूल्य पर बातचीत करने यहां नहीं आया हूँ।

अवमूल्यन के बारे में सभा को धोखे में रखा गया है। यह कहना गलत है कि इस प्रश्न पर पहले कभी विचार नहीं किया गया था। सच तो यह है कि इस मामले पर कई स्तरों पर विचार किया गया है। 17 जुलाई 1965 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री हि० त० कृष्णमाचारी ने कहा था कि सरकार ने इस मामले पर अच्छी तरह विचार किया है और कि सरकार का यह दृढ़ विचार

है कि अवमूल्यन से वर्तमान समस्या को हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने न केवल इतनी ही बल्कि मुद्रा को सुदृढ़ बनाने के लिये उठाये जा रहे कदमों का उल्लेख भी किया था। जैसा मैंने कहा कि अवमूल्यन का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय की मार्च 1966 के रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि हमारी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन करने के बारे में कुछ बातचीत हो रही है। परन्तु यहां मंत्री महोदय इस बात से इन्कार कर रहे हैं। अवमूल्यन के पक्ष में एक तर्क यही दिया गया है कि हमारी निर्यात बढ़ जायेगी। परन्तु 83 प्रतिशत निर्यात ऐसी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल 17 प्रतिशत निर्यात के लिये ही यह सब कुछ किया जा रहा है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में स्पष्टरूप से बताया गया है कि जिन चीजों के निर्माण में आयात किया हुआ सामान प्रयोग होता है उनके मूल्य बढ़ जायेंगे और परिणामस्वरूप कर्मकार वर्ग के निर्वाह स्तर तथा मजूरी के ढांचों में कुछ उलट पलट हो जायेगी। परन्तु इन सब के बावजूद अवमूल्यन हुआ है।

भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री हि० ता० कृष्णमाचारी ने घोषणा की थी कि वह मुद्रा को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ कदम उठाने वाले है। परन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अय्यंगर ने भी कहा है कि मुद्रा को सुदृढ़ बनाने के लिये दिये गये सुझावों में से किसी को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि ऐसा करने के लिये कुछ साहसपूर्ण राजनैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि दुर्भाग्य से नहीं लिये जा रहे हैं। व्यापारी वर्ग ने भी सरकार का सहयोग नहीं दिया है और सरकार राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक से निर्धारित सीमा से अधिक राशि निकलवाने से रोकने में असफल रही है। गैर-विकासकारी खर्च में कोई कटौती नहीं की गई है। भारतीय पूंजीपतियों तथा एकाधिकारियों ने विदेशी हितों से मिलकर तथा भारत सरकार की सहायता से भारत की जनता के साथ कपट किया है। देश को कृषि तथा उद्योग किसी क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिये सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया है। सरकार ने पूंजीपतियों के सामने घुटने टेक दिये हैं और उसने समाजवाद को तिलांजली दे दी है।

मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार बार बार यह कहती रही है कि वह इनको स्थिर करने जा रही है। परन्तु सरकार मूल्यों को स्थिर करने में असफल रही है और मूल्य 80 प्रतिशत बढ़ गये हैं।

अर्थ व्यवस्था में कमियों के बारे में स्वयं योजना आयोग ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। सभी क्षेत्रों में वास्तविक कमी है।

विकास की दर केवल 16 प्रतिशत ही रही जबकि उसका लक्ष्य 30 प्रतिशत था।

बेरोजगारी की समस्या अधिक गम्भीर हो गई है क्योंकि तीसरी योजना में पहले तो 80 लाख लोग बेरोजगार थे परन्तु इस समय इनकी संख्या एक करोड़ 30 लाख हो गई है। जनसाधारण के कष्ट अधिक बढ़ गये हैं। इस बात को योजना आयोग के प्रतिवेदन में भी स्वीकार किया गया है कि देश में गरीब लोगों की हालत अधिक खराब हो गई है। लाभ तो केवल कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों को ही हुआ है। इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। इन सब बातों से स्पष्टरूप से पता चलता है कि देश में न तो समाजवाद ही आया है और न ही आर्थिक प्रगति हुई है। वास्तव में सरकार पूर्णतया असहाय हो गई हैं तथा वह पूंजीपतियों पर निर्भर है। चाहे सरकार कुछ ही कहे सरकारी क्षेत्र का विकास नहीं होने वाला है।

क्या यह सच नहीं है कि अमरीका ने बोकारो इस्पात कारखाने में सहायता देने से इन्कार कर दिया है और कहा है कि वह सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये सहायता नहीं देगा। उवर्रक करार पर समझौता होने के यही कारण हैं।

ऐसी आर्थिक स्थिति में विनियमित नियंत्रण की आवश्यकता है। परन्तु यहां तो विनियंत्रण आरम्भ हो गया है और समाजवाद के नाम पर वह अबाध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जिसे इस देश ने रद्द कर दिया है और देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा।

अवमूल्यन अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने अथवा समाजवाद को आगे ले जाने के लिये नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित सिद्ध करने के लिये किया गया है। यहीं से हम अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता खोने के मार्ग पर चल पड़े हैं।

सरकार द्वारा कई बार कहा गया है कि अवमूल्यन का निर्णय किसी विदेशी दबाव के अन्तर्गत नहीं किया गया है। परन्तु कांग्रेस कार्यकारी दल के सदस्यों में एक दस्तावेज बांटा गया था उसका कुछ भाग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उससे पता चलता है कि प्रधान मंत्री ने बताया है कि अवमूल्यन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक के अर्थशास्त्रीयों ने ऐसा करने का परामर्श दिया था। यह देश के लिये एक बहुत ही शोचनीय बात है।

इस समय सरकार अनिश्चितता की नीति पर चल रही है, यह देश को गड़बड़ी तथा क्रान्ति की ओर ले जायेगी।

यदि सरकार इमानदार है तो उसको चुनाव से छः मास पूर्व त्याग पत्र दे देना चाहिये ताकि लोग स्पष्टरूप से अपना निर्णय दे सके कि वे सरकार की नीतियों का अनुमोदन करते हैं अथवा नहीं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि लोगों को चुनाव में स्वतन्त्र रूप से अपने मत व्यक्त करने दिया जाये तो वह इस सरकार को उलट देंगे।

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल) : सभापति महोदय मैंने श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है जिसमें उन्होंने अवमूल्यन का उल्लेख भी किया है। ऐसा कहा गया है कि सरकार ने संसद को धोखा दिया है क्योंकि मंत्री महोदय ने अवमूल्यन सम्बन्धी अफवाह को गलत बताया था। एक आर्थिक पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार "प्रत्येक सरकार को अवमूल्यन के बारे में अपने इरादे को तब तक नहीं बताना चाहिये जब तक कि वह सरकारी तौर पर उसकी घोषणा करने के लिये तैयार न हो जाये। यदि कोई सरकार अवमूल्यन सम्बन्धी अफवाह को गलत नहीं बताती तो यह बात निश्चित समझी जायेगी कि अवमूल्यन होगा। इसका परिणाम यह होगा कि सम्बद्ध मुद्रा सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने से पूर्व ही गायब हो जायेगी।" इस पत्रिका में आगे चलकर कहा गया है कि इसलिये मंत्री महोदय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह जानबूझकर ऐसी बातों को गलत ठहराये।

इस बात पर आपत्ति प्रकट की गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने इस बारे में मंत्रणा दी थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के लिये उनके अपने चार्टर के अनुसार यह आवश्यक है कि वह सदस्य देशों के उनकी मुद्राओं के विनिमय दर के बारे में परामर्श दे। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो इसका यह अर्थ है कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

का एक कृत्य है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के ठीक चलन को नियमित रखना । इस लिए भारत सरकार को अपनी मुद्रा स्थिति के बारे में मंत्रणा देने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का कार्य मंत्रणा देना था और अवमूल्यन के लिए भारत सरकार को मंत्रणा दी गई । यह भारत सरकार के ऊपर था कि वह उस मंत्रणा को स्वीकार करे अथवा नहीं । अभी हाल तक भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की मंत्रणा को स्वीकार करने के लिए इन्कार करती रही । यद्यपि अवमूल्यन को स्वीकार करने से इन्कार किया जा सकता था परन्तु रुपये के वास्तविक मूल्य तथा सरकारी मूल्य में असमानता के कारण अर्थ-व्यवस्था में जो गड़बड़ी हो रही थी उसको मानने से इन्कार करना बहुत कठिन था । राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा था और फल स्वरूप अधिक आयात की आवश्यकता थी किन्तु इसकी तुलना में निर्यात बहुत कम हो पाता था । वस्तुओं को देश के अन्दर बेचना अधिक लाभदायक हो गया था । देशी प्रतिस्थापकों को प्रयोग में लाने की अपेक्षा आयात करना अधिक लाभदायक था । कई उपाय करने के अतिरिक्त भी विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधर नहीं पाई थी । अवमूल्यन के बारे में चाहे जो कुछ भी कहा जाये परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्थिति बड़ी तेजी से बिगड़ रही थी । विदेशी मुद्रा की कमी बराबर चली आ रही थी, औद्योगिक उत्पादन बन्द होने वाला था और बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा था । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने अपना मत नहीं बदला और अवमुल्यन के दबाव डालता रहा । बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसके सुधारने के लिए तुरन्त कोई न कोई कार्यवाही करना अत्यावश्यक था ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यदि अवमूल्यन न किया जाता तो दूसरा ऐसा कौन सा उपाय था जिससे विकास दर तथा लोगों के कल्याण को बनाये रखा जा सकता था । श्री मसानी जी ने बताया है कि एक सौदा किया गया है । यदि ऐसा होता तो इसका प्रमाण यह होता कि 90 करोड़ डालर जिनके बारे में इतनी अधिक चर्चा चल रही है, अब तक हमें उपलब्ध हो गये होते । अवमूल्यन के पश्चात् भी अभी तक हमें सहायता नहीं मिल पाई जबकि वास्तविकता यह है कि हमें इस सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता है । इससे स्पष्ट है कि कोई सौदा नहीं किया गया है ।

विपक्षी दलों द्वारा सुझाव दिया गया है कि विदेशी सहायता के बिना काम चलाया जाये । यदि यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाये तो चौथी योजना में अदा की जाने वाली शोधन सम्बन्धी 300 करोड़ की रकम कहां से पूरी होगी ।

ऐसा सुझाव दिया गया है कि हम योजना में कांट-छांट करें अथवा उसे समाप्त कर दें । बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं और उनको अभी पूरा करना है । पिछले वर्षों में हमने जो ढाँचा खड़ा किया है उसको पूरा करना है । क्या कोई व्यक्ति गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद यह सुझाव दे सकता है कि योजना को समाप्त करके वर्तमान समूची अर्थ व्यवस्था को एक दम गड़बड़ी में डाल दिया जाए ।

यह कहा गया है कि अवमूल्यन से उत्पन्न होने वाली हानियां तुरन्त ही आरम्भ हो जायेंगी परन्तु उससे प्राप्त होने वाले लाभ जैसे निर्यात तथा उत्पादन में वृद्धि कुछ समय बीतने के पश्चात्

ही प्राप्त होंगे । यह बिल्कुल सत्य है और इस बारे में यदि किसी को शिकायत होनी चाहिये तो वह कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिये क्योंकि यह निर्णय चुनाव से पहले के वर्ष में ही लिया गया है। यदि सरकार ने केवल अपने दल के हितों को ही ध्यान में रखा होता तो सरकार के लिए यह बहुत ही आसान होता कि चुनावों तक मामलों को किसी न किसी प्रकार यों ही घसीटते दिया जाये। परन्तु सरकार ने एक बड़ी कठिनाई के समय बड़ा ही कठिन निर्णय किया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

केवल अवमूल्यन से कोई समस्या हल नहीं हो जायेगी। अवमूल्यन की सफलता अवमूल्यन के पश्चात उठाये गये कदमों की सफलता पर निर्भर करती है। अतः यह नितान्त आवश्यक था कि ये कदम भी अवमूल्यन के साथ साथ उठाये जाते। पौंड की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो उपाय किये थे उनसे हम प्रेरणा ले सकते थे। हमने अवमूल्यन के बाद की कार्यवाही थोड़ा-थोड़ा करके की है। जहां तक अवमूल्यन के पश्चात के कदमों का सम्बन्ध है सर्वप्रथम उत्पादन में वृद्धि करने, मूल्यों की वृद्धि को रोकने तथा निर्यात के लिए अधिशेष माल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति के काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को, जो निर्यात की जाती है और जो आयात की हुई वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग की जाती है, प्राथमिकता दी जाये ताकि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। कृषि उत्पादन को बढ़ाये जाने की आवश्यकता बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है मौजूदा क्षमता को प्रयोग में लाने तथा हाथ में ली गई प्रयोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। शीघ्र उत्पादन करने वाली नयी प्रयोजनाओं को प्राथमिकता दी जाये।

कुछ वर्षों से हमारी अर्थ-व्यवस्था एक प्रकार से 'संरक्षण प्राप्त बाजार' की भांति हो गई है और पिछले इन वर्षों में इस बाजार में काम कर रहे गैर-सरकारी क्षेत्र ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने की गतिशीलता खो दी है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में यह एक मौलिक कमी है। अब समय आ गया है कि विश्व मूल्य हमारी लागत तथा मूल्य ढांचे के लिए मार्ग-दर्शक हों; नये एककों के आयोजन में मितव्ययता बरतनी चाहिये। लागत को कम करने के बारे में हमें जापान से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त हो सकता है। सरकार को ऐसे करों पर पुनः विचार करना चाहिये जिनके कारण कृषि तथा औद्योगिक मूल्यों में वृद्धि होती है।

हमें अपने वैज्ञानिकों तथा शिल्पिकों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिये ताकि भारत में वांछित उत्पादकता का उत्पादन हो सके। जानकारी के आयात पर की जाने वाली रकम को बचाया जाये। देसी जानकारी के विकास तथा प्रयोग के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन देना चाहिए।

अवमूल्यन के कारण मूल्य में वृद्धि हो सकती है जिससे साधारण व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अवमूल्यन से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर सरकार को मूल्यों की वृद्धि को रोकना चाहिये। यदि सब वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण न रखा जा सके तो कम से कम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाये।

सरकार ने मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है। सरकार को चाहिए कि उन उपायों को दृढ़ता से लागू करे और ऐसा न करे जैसा कि पहले राज्यों के सम्बन्ध

में किया था। राज्यों को चाहिये कि वे राजकोषीय तथा धनसम्बन्धी अनुशासन को और कड़ा बनायें। अनुत्पादन व्यय में अधिक से अधिक कटौती की जानी चाहिए। कमी को पूरा करने अथवा और कम करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न होने दिया जाये कि कुछ लोग सट्टेबाजी द्वारा कमी से लाभ उठायें। सरकार को सट्टेबाजों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन पंजाब प्रशासन के ढंग पर सब राज्यों में जमाखोरों और चोर बाजारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए शक्तियां ग्रहण कर ले। सरकार को यह भी देखना चाहिये कि सट्टेबाजी के लिए आयात किये हुए माल की जमाखोरी करने की संभावना न रहे। देश में आयात किये हुए माल के लिए मांग को कम करने के लिए जागरूक प्रयत्न किये जाने चाहिएं। स्वदेशी भावना को पुनः जागृत किया जाना चाहिए।

विदेशी सहायता तभी तक लाभदायक हो सकती है जब तक विकास में वृद्धि हो सके अन्यथा नहीं। जितना जल्दी हो सके विदेशी सहायता को समाप्त किया जाये किन्तु यह कहना यथार्थ से परे तथा सत्य नहीं होगा कि विदेशी सहायता को एकदम समाप्त कर दिया जाये। वास्तव में जो कुछ किया जा सकता है वह यह है कि हम आरम्भ में अपने दिलों को इतना मजबूत बनायें कि हम विदेशों से परमावश्यक न्यूनतम ऋण तथा परमावश्यक न्यूनतम सहायता से कुछ भी अधिक नहीं लेंगे। इस सम्बन्ध में आरम्भ इस प्रकार किया जा सकता है कि हम आयात किये हुए अनाज का कुछ भाग अलग निकाल कर रख दें जो अनुशासन तथा अतिसंयम के उपायों द्वारा फालतू स्टाक जमा करने का आधार बने। ऐसा तभी किया जा सकता है जब हमें प्रतिपक्षी दलों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो।

योजना के 15 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। आधुनिक संयंत्र, उद्योग, शक्ति तथा सिंचाई, आधुनिक यातायात संचार प्रणाली तथा अणुशक्ति आयोग जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी बहुत कार्य हुआ है जो आज राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति है। योजना के अधीन काफी विकास हुआ योजना का अत्यधिक अभिलाषी होना युक्तिसंगत है। सदियों से भारत पिछड़ा हुआ है, गरीबी, अज्ञानता आदि आर्थिक समस्याओं को जल्दी दूर किया जाये क्योंकि यह गणतंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

अब चूंकि अवमूल्यन हो चुका है, हमें न केवल उसको निभाना है बल्कि उससे अधिक से अधिक लाभ उठाना है। हमें उसके द्वारा देश का हित करना है। और इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम सब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिल जुल कर कार्य करें।

Shri Yashpal Singh : If you permit me, I may put my proposal? The Chairman in the chair at that time had promised that I can put the proposal.

Mr. Speaker : You were absent at that time. Shri S.N. Dwivedi had said today that the proposals of those who were absent should not be admitted.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : फैसले में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

Mr. Speaker : I had said at that time that persons who were absent and whom I had called, their proposals will not be admitted now.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : स्वीकृति के लिए किसी प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत नहीं हो सकता । स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए किसी प्रस्ताव को केवल इसलिए स्वीकार न किया जाये कि यह देर से रखा जाता है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप ने कांग्रेस दल के एक सदस्य द्वारा रखे गये प्रस्ताव को स्वीकार किया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने प्रतिपक्षी दलों से रखे गये किसी प्रस्ताव को अस्वीकार किया है ? जहां तक देर का सम्बन्ध है उसे मैं क्षमा कर सकता हूँ और ऐसा मैंने सदैव किया है । इसके कई दृष्टान्त हैं । देर को क्षमा करने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं । जहां तक उन सदस्यों के प्रस्तावों का सम्बन्ध है, जो अनुपस्थित रहते हैं, मैं उन्हें प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अब आप किसका संशोधन स्वीकार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ पाण्डेय का निम्न संशोधन—

"कि सभा, देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात, तत्सम्बन्धी भारत सरकार द्वारा किये गये उपायों का अनुमोदन करती है ।"

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सालेमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मौलिक प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रतिस्थापित किया जाये :—

"कि सभा, देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात, तत्सम्बन्धी भारत सरकार द्वारा लिए गये उपायों का अनुमोदन करती है और मूल्यों पर नियन्त्रण करने के लिए कामगर कदम उठाने के लिए तथा प्रशासन और सरकारी व्यय में सब स्तरों पर बचत करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करती है"

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

48 वां प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 48 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN HOUR DISCUSSION

राज्यों की समाहार उद्ग्रहण योजना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have tried to raise this matter of procurement levy schemes of the states many a time. But I could not do so due to lack of time and quorum in the House. I had asked the Government whether they have made some arrangements and come out with certain conclusion after giving a careful thought and doing thorough

probe into this matter. Let me state that it is a matter of great regret that Government have not so far made a comparative study of the procurement schemes in different states. In this connection I have tried to collect some figures. In all the states compulsory levy have been imposed on the farmers on the basis of acreage. The requirements of the farmers have not been taken into consideration. I want to urge upon the Government that in this direction they should formulate a uniform scheme or at least lay down uniform principles in respect of levy for future. This is very important matter that the requirements of the farmers should have been taken into account before any levy scheme is introduced.

Another important matter which I want to stress is that the levy should not be imposed on small farmers because they donot have much wealth with them. They have only small amount of money with them. As far as paddy is concerned, compulsory levy should not be imposed on those farmers who possess only 10 acres of land and less than that. In this connection something has been done by the Bihar Government.

In addition to this, this is also noteworthy that the Government procure the foodgrains from the farmers at a very low price, while at the same time the prices in the normal market are very high. I think, it is the duty of the Government to provide manufactured articles to farmers at subsidized rates. It will be very essential and I am of the opinion t if Government are not capable of doing it or they dont want to do so, then they have right to pay less to the farmers for their foodgrains.

I also want to draw the attention of the House to this fact that it is really very distressing that the D. I. R. is being wrongfully used in Bihar and other states to implement the levy scheme. Many a farmers have been prosecuted also, in this connection. I want to urge upon the Minister that Government should place before the House a concrete food policy. As we have been urging for a very long time that food zones should be abolished forthwith. This has also been urged at several occasions that the private trade in foodgrains should be finally banned. It is good if the Government should carry out its food procurement scheme through the food corporation. And in this connection Government should come forward with some definite scheme.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन): माननीय सदस्य ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि समाहार के बारे में देश में एकरुपता नहीं है। विभिन्न राज्य विभिन्न प्रकार से इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे भारत भर में समाहार की एक सी व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। भारत एक विशाल देश है और यहां प्रत्येक राज्य में विभिन्न परिस्थितियां है। अतः इस दिशा में कोई एकरूपता ला सकना प्रायः असम्भव सा हो जाता है। इस दिशा में विभिन्न राज्यों ने अपने अपने हालात के अनुसार विभिन्न तरीके अपना रखे हैं। यदि यह सुझाव मान लिया जाय कि 10 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को इससे मुक्त कर दिया जाय, तो इससे बहुत ही कम मात्रा में समाहार हो पायेगा और समस्या को हल करने की दिशा में बहुत ही कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

इस दिशा में मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि काश्तकारों के लिए 10 एकड़ भूमि कम नहीं होती। देश के बहुत मात्रा में किसान परिवारों के पास 10 एकड़ अथवा इससे कम ही भूमि है। विभिन्न राज्यों में जो भी स्थिति है उसके अनुसार वहां विभिन्न प्रकार से उन्हें छूट दी जा रही है। यह एक ऐसा विषय है कि इस पर कोई एक सामान्य नीति का निर्माण कर सकना सम्भव नहीं।

माननीय सदस्य ने इसी संदर्भ में यह आरोप लगा दिया कि किसानों को सरकार अनाज की जो कीमतें अदा कर रही है वह उनके लिए काफी नहीं है। उनका कहना है कि इससे उनको कृषि की लागत भी पूरी नहीं मिल पाती। यह प्रश्न अब खाद्यान्न नीति समिति को सौंप दिया गया है और उसका प्रतिवेदन अगस्त या सितम्बर में हमें मिलने वाला है। विभिन्न राज्यों द्वारा समाहार के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली नीति भी समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय है। प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने के बाद ही सरकार के लिए इस दिशा में कोई कदम उठा सकना सम्भव है। उस समय सरकार यह सोचेगी कि विभिन्न राज्यों के लिए अपेक्षित नीतियाँ निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 27 जुलाई, 1966 / 5 श्रावण, 1888 (शक) के **ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 27, July, 1966/5 **Sravana,** 1888 **(Saka).**

Tirthraj Press, Allahabad.